खण्ड ६—अंक २३

१६ अगस्त, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

215 L.S.D./56

विषय-सूचि

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२०, ११२२ से ११२६, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३९, ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका . १०६१–६४

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल के डिब्बे

†*१११४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड की रेल के डिब्बे बनाने की क्षमता बढ़ाने का है ; और

(ख) क्या भारतीय रेलों में रेल के डिब्बों की वास्तविक कमी का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख): जी हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : वर्तमान क्षमता के बढ़ाये जाने पर हुये निर्माण में कितनी वृद्धि होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : १८० डिब्बे प्रति वर्ष ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या बरोंली या ऐसे अन्य स्थानों पर रेल के डिब्बे बनाने वाले कारखाने स्थापित करने का कोई विचार है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : बरेली के पास छोटी लाइन के डिब्बे बनाने का एक कारखाना खोलने की एक प्रस्थापना है, परन्तु यह अभी तक विचाराधीन ही है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रेल के डिब्बो की आवश्यकता का कोई निर्धारण किया गया है, और यदि किया गया है तो हमारी कितनी प्रति शत मांगें देशीय उत्पादन से पूर्ण हो जायेंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने रेल के डिब्बों संबंधी अपनी आवश्यकताओं का बहुत ही सावधानीपूर्वक परिगणन किया है । आगामी पंच वर्षीय योजना में हमें बड़ी लाइन के लिये ६,१५६ और छोटी लाइन के लिये ४,७८६ रेलके डिब्बों की आवश्यकता होगी । हमने आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध कर दिया है।

†**श्री शिवनजप्पा** : क्या सरकार का विचार हुबली में छोटी लाइन के डिब्बे बनाने का कारखाना खोलने का है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० दो० रामस्वामी** : रेल के डिब्बे बनाने संबंधी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड की क्षमता बढ़ाने के क्या कारण है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न ही रेल के डिब्बे बनाने के लिये वर्तमान क्षमता बढ़ाने के बारे में है। यह कारखाना पहिले ही रेल के डिब्बे बनाता है। प्रश्न केवल क्षमता बढ़ाने का है।

†**श्री वीरस्वामी** : पेरमबूर स्थित रेल के सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के कारखाने में प्रति वर्ष कितने डिब्बे बनाये जायेंगे और क्या उस कारखाने से हमारी रेलों की आवश्यंकता पूर्ण हो जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कदाचित माननीय सदस्य को विदित है कि पेरमबूर से पहिला डिब्बा पिछले दिन ही आया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य, श्री म० दो० रामस्वामी को अपना प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। वह यह जानना चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट फैक्टरी का प्रयोग रेल के डिब्बे बनाने के लिये क्यों किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : क्योंकि वहां अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है और हम उसका प्रयोग करना चाहते थे।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में बनें डिब्बे पेरमबूर स्थित रेल के सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के कारखाने में बने डिब्बे की अपेक्षा सस्ते होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कैसे ही कह सकते हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में बने डिब्बे पेरमबूर के डिब्बों से सस्ते होंगे। प्रत्यक्षत: गुण प्रकार ही स्वयं भिन्न हैं।

†**श्री शाहनवाज खां** : पेरमबूर डिब्बा निर्माण कारखाने में बने एक डिब्बे की लागत १,८०,००० रु० होगी तथा ६०,००० रु० का उपस्करण व्यय इसके अतिरिक्त होगा।

†**च० रा० नरसिंहन्** : हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में बने डिब्बे के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : लगभग १,४०,००० रु० प्रति डिब्बा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपस्करण सहित ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

पांडेचेरी पत्तन

†*१११६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री २२ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अब पांडीचेरी पत्तन के नवीकरण संबंधी कार्य की क्या स्थिति है ; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अवतरणी के निर्माण के लिये टेन्डर दिया जाने वाला है।

(ख) लगभग १८ मास में।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस कार्य की लगभग लागत कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री अलगेशन :** २९ लाख रुपये से कुछ अधिक ।

गांवों में डाकघर

*१११७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **संचार** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में डाक की सुविधा बढ़ाने के लिये नये डाकघर खोलने की शर्तों में कमी करने के प्रश्न के बारे में क्या कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निश्चय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस संबंध में निश्चय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) शीघ्र ही ।

(घ) प्रस्तावित शर्तों में ढील देने के बारे में जो आर्थिक स्थितियां उपस्थित हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो नियमों में संशोधन किया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि उसका लक्ष्य क्या है ? क्या विभाग का यह लक्ष्य है कि इस देश के प्रत्येक गांव में कुछ समय बाद एक डाक-घर जरूर हो जाय ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं । देश के प्रत्येक गांव में शायद एक डाकघर की आवश्यकता भी नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो यह सुझाव रखा है कि इस समय जो दो मील तक के गांव एक डाकघर में लिये जाते हैं, उसके बदले चार मील तक के गांव लिये जायें, क्या इस आधार पर यह विचार किया जा रहा है या और भी कोई दृष्टिकोण सामने रखा जा रहा है, जैसे कितना नुकसान होगा ?

श्री जगजीवन राम: मुख्य आधार यही है कि यदि चार मील के दायरे के गांवोंको मिला कर दो हजार की आबादी हो जाय तो वहां पोस्ट आफिस खोला जाय, दूसरे तीन मील के अन्दर दूसरा पोस्ट आफिस न हो, और उसमें ७५० रु० से ज्यादा घाटा न हो । इसमें कितना घाटा होगा इस प्रश्न को देखा जा रहा है ।

†**श्रीमती अ० काले :** कितने नये डाक घर घाटे में चल रहे हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह बताना मेरे लिये कठिन है । प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमने १८,००० डाक घर खोले हैं और प्रत्येक डाक घर पर अधिकतम ७५० रु० की हानि होती है । परन्तु मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे भी डाकघर हैं जो इस हानि का कुछ भाग कमा सकते हैं । मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अब भी कितने डाकघरों को ७५० रु० का पूर्ण अनुदान दिया जा रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं दो हजार की आबादी पर और तीन मील के फासले पर जो पोस्ट आफिस खोले गये हैं, उस में क्या नतीजा सामने आया है क्योंकि यह काम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में शुरू हुआ था ?

श्री जगजीवन राम: मैं समझ नहीं सका कि नतीजा के क्या माने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या वे हानि पर काम कर रहे हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां। मैं बता चुका हूं कि बहुत से डाकघर हानि पर काम कर रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट आफिसेज के सेविन्ग्ज बैंक्स में जो चैक सिस्टम चलाया जा रहा है, वह चूंकि बड़े बड़े शहरों सें शुरू किया जा रहा है, तो क्या देहाती क्षेत्रों में जहां पर बैंक नहीं हैं और इसकी बड़ी आवश्यकता है, वहां पर जो यह डाकखाने खुलेंगे उनमें चैक व्यवस्था लागू करने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती, परन्तु मैं जानकारी देने को तैयार हूं। ग्रामीण डाकघरों में चैक प्रणाली रखना अधिक जटिल ह। माननीय सदस्य यह आवश्यक महसूस करेंगे इसके लिये केवल क्लर्क के लिये ही नहीं, जो चक संबंधी कार्य करता है, अपितु चैक उपस्थित करने वाले के लिये भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हर गांव में डाकखाना आवश्यक नहीं है, और साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार और कितने क्षेत्र में डाकखाने खोलने का विचार किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके विचार से अभी और कितने डाकखाने खोलने की आवश्यकता होगी जिसमें कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाय, और उनमें से प्रतिवर्ष कितने डाकखाने खोले जायेंगे ? क्या इस विषय में कोई योजना बनी है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम २०,००० डाकघर खोलना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ४,००० डाकखाने हर साल।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या छोटा नागपुर के मामले में २,००० जन संख्या की शर्त से छूट देने का कोई विचार है, क्यों कि यह एक आदिवासी क्षेत्र है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस पत्रिका की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें विभागीय कार्यों का उल्लेख है जिनमें यह बताया गया है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों और पहाड़ी जिलों पर यह नियम लागू न होगा। इसका परिणाम यह हो सकता है कि प्रत्येक डाकघर में १००० रु० की हानि हो और कुछ विशेष मामलों में हम १००० रु० से अधिक हानि स्वीकार कर सकते हैं।

श्री बोगावत : २००० जनसंख्या वाले सारे स्थानों में डाकघर खोलने में क्यों देरी हो रही है, विशेषकर जबकि यह बचन दिया गया था कि अप्रैल १९५६ में डाकघर खुल जायेंगे, तथा विशेषकर जब कि २००० जनसंख्या के बहुत से क्षेत्रों के लोग इन के लिये झगड़ रहे हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : देश चाय के बागानों में कुछ गांवों को छोड़कर २००० या अधिक जनसंख्या वाले गांवों में डाकघरों की व्यवस्था हो गयी है। अन्य क्षेत्रों के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार से क्षेत्र बना सकता है और फिर कह सकता है कि वहां डाकघर नहीं खुले हैं। हां, सारे क्षेत्रों में डाकघर खोलने में निश्चय ही अधिक समय लगेगा।

†**श्रीमती अ० काले** : क्या उत्तर प्रदेश में २००० या उससे अधिक जनसंख्या के सारे स्थानों में डाकघर खुल गये हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैंने यही कहा है। कुछ गांवों को छोड़ कर जिन्होंने हमारी सूचनानुसार स्वयं यह कहा है कि उन्हें डाकघर की आवश्यकता नहीं है, २००० जनसंख्या के सारे गांवों में डाकघर खुल गये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

रेलवे-स्टीमर सेवा

*१११८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन है कि जिसके अनुसार दीघा-घाट और महेन्द्रूघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) से स्टीमर पहलेजाघाट जाने के बजाय हाजीपुर या उसके आस पास किसी स्थान पर जायेंगे और पहलेजाघाट के स्थान पर एक और घाट बनवाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सोनपुर हाजीपुर के इकहरी लाइन वाले सेक्शन पर गाड़ियों की भीड़ भाड़ कम करने के लिये इस तरह के एक सुझाव पर विचार हुआ था, लेकिन इसमें कई खामियां (disadvantages) जिसकी वजह से इसे छोड़ दिया गया है। लेकिन सोनपुर और हाजीपुर से गण्डक नदी के पुल तक दोहरी लाइन बिछाने का इन्तजाम कर दिया गया है। गण्डक नदी पर दोहरी लाइन का पुल बनाने की भी मंजूरी दे दी गयी है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी: क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल भी की गई थी और यदि की गई थी तो उसमें गवर्नमेंट का क्या व्यय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जांच पड़ताल तो मेरे ख्याल में कुछ हुई थी मगर उसमें कुछ इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ जिससे माननीय सदस्य को चिंता हो।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : महेन्द्रूघाट से पहलेजाघाट जो जहाज जाते हैं क्या उनकी रफ्तार में और उनकी फ्रिक्वेंसी में कुछ और वृद्धि होगी या इनकी रफ्तार और फ्रिक्वेंसी उतनी ही रहेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : तेज़ी तो हम हर तरफ चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि अगर अच्छे स्टीमर आ जायेंगे तो उधर भी तेज़ी हो।

खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना और ले जाना

*१११९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख) खाद्यान्न का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कुछ राज्यों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों का संबंध है भारत की सीमा से उस पार छिपकर खाद्यान्न ले जाने को रोकने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार की प्रार्थना स्वीकार की गई है और इस राज्य से चावल, धान और इनसे बनी हुई चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आसाम और पश्चिम बंगाल की सरकारों को उचित उपाय करने और अपने सीमावर्ती जिलों से खाद्यान्न के लाने और ले जाने के नियमन के लिये अधिकार भी दे दिया गया है। मणिपुर राज्य से खाद्यान्न के निर्यात पर पिछले साल ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।अन्य राज्यों के विषय में सरकार का विचार है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक टोक के खाद्यान्न के लाने और ले जाने में दखल देना नही चाहिये और देश के किसी भाग में खाद्यान्न की कमी को सरकारी भंडार से खाद्यान्न को उदारता-पूर्वक भेज कर पूरा करना चाहिये।

†**श्री अच्युतन** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

[उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया।]

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि त्रिपुरा, मनीपुर और आसाम इन राज्यों में निषेधाज्ञा लगायी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन राज्यों में निषेधाज्ञा लगाने के पहले चावल और गेहूं के क्या दाम थे और निषेधाज्ञा लगाने के बाद क्या दाम हो गये ?

† **डा० पं० शा० देशमुख**: मुझे खेद है कि मेरे पास जानकारी नहीं है। सभा पटल पर रखे गये लम्बे विवरण में कुछ जानकारी दी है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा लेखा लगाया है कि हिन्दुस्तान की किन किन स्टेटस में डिफिसिट है और किन किन में सरप्लस है तथा जिन स्टेटस में सरप्लस अनाज है उन से डिफिसिट स्टेटस में अनाज भिजवाने के लिये भी क्या कोई इंतजाम किया गया है या नहीं किया गया है ?

डा० पं० शा० देशमुख: यह तो सरकार की नीति है कि जिन स्टेटस में सरप्लस है वहां से अनाज को डिफिसिट स्टेटस में भेजा जाय। इसमें यदि कोई दिक्कत पैदा होती है और वहां से अनाज नहीं ले जाया जा सकता है तो हमारे पास जो स्टाक है, उसमें से हम दे देते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसे राज्यों का उल्लेख किया जहां पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन राज्यों से प्रार्थनायें हुई थीं लेकिन अस्वीकृत कर दी गईं ?

डा० पं० शा० देशमुख : जी हां, जो बोर्डर स्टेट्स नहीं है, उनकी प्रार्थनायें नामंजूर की गई हैं, जैसे मध्य भारत है, पंजाब है।

† **श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को मद्रास राज्य के दक्षिण कनारा जिले से बम्बई राज्य में उत्तरी कनारा और रत्नगिरी जिलों को खाद्यान्न जाने तथा अन्त में इस खाद्यान्नका चोरी से गोआ जाने के बारे में कोई सूचना मिली है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

† **श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन राज्यों को ऐसी निषेधाज्ञा लगाने की स्वीकृति नहीं दी गयी, उन राज्यों ने ऐसा करने के लिये कौन से कारण बतलाये थे, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह ने ?

डा० पं० शा० देशमुख : मध्य प्रदेश तो मैंने नहीं कहा, मध्य भारत और पंजाब का नाम लिया है उनको यह डर था कि यदि खुला अनाज बेचा जाये तो वहां डिफिसिट हो जायेगा और भाव बढ़ जायेंगे।

† **श्री अच्यूतन** : क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है, विशेषकर पिछले तीन महीने में, कि एक राज्य से दूसरे राज्य को खाद्यान्न भेजने के लिए माल डिब्बे प्राप्त न होने के कारण, खाद्यान्न भेजने में बड़ी कठिनाई होती है ?

† **अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरा विषय ले रहे हैं।

† **श्री वीरस्वामी** : क्या मद्रास सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य को खाद्यान्न भेजने के बारे में कोई सुझाव दिया है, तथा यदि हां तो वे सुझाव क्या हैं ?

† **डा० पं० शा० देशमुख** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खाद्य के पैकेट

†*११२०. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के बहुत से स्टेशनों पर खाद्य पैकेट प्लेटफार्मों पर नहीं अपितु भोजनालयों में ही बिकते हैं, और इस प्रकार बहुत से यात्री, विशेषकर तृतीय श्रेणी के यात्री इस सुविधा से लाभ नहीं उठा सकते ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सब यात्रियों को बेचने के लिये पर्याप्त पैकेट नहीं होते ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** :(क) और (ख). जी नहीं । साधारणतया भोजन के कमरों में / भोजनालयों और प्लेटफार्मों पर पर्याप्त संख्या में सस्ते खाद्य पैकेट प्राप्त होंते हैं ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या रेलगाड़ी के आने पर प्लेटफार्म पर सारे पैकेटों को ठेलों आदि में रख कर बेचने का कोई प्रबन्ध है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : यह सामान्य जानकारी की बात है कि पैकेट विभिन्न स्टालों पर बिकते हैं और वे गाड़ी तक ले जाकर भी बेचे जाते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सारी रेलों के कितने स्टेशनों पर ऐसे वितरण का प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस प्रश्न का संबंध दक्षिण रेलवे से है । सांबर, कारी और दाल सहित निरामिष भोजन का एक पैकेट तीन आने में मिलता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि ऐसे पैकेट कितने स्थानों पर बिकते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : भात सहित ११९ स्टेशनों पर, पूरी और मसाला सहित ३४ स्टेशनों पर और बिरयानी सहित ४२ स्टेशनों पर ।

सरकारी फार्म

†*११२२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और भोपाल में सरकारी फार्मों में हानि होने पर भी उन्हें क्यों चलाया जा रहा है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : जम्मू और भोपाल में सरकारी फार्मों के उद्देश्य ऐसे हैं कि उन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता ।

भोपाल फार्म का उद्देश्य भूमिहीन मज़दूरों को पुन: काम देना था और यह काम प्राय: समाप्त हो चुका है तथा फार्म १९५६–५७ के अन्त तक बन्द हो जायेगा । जम्मू फार्म का मुख्य उद्देश्य भारत-पाकिस्तान की सीमा पर फार्म क्षेत्र के पास बस जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों में पुन: विश्वास की भावना जागृत करने के लिये कमी के क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से १२,००० एकड़ बेकार पड़ी हुई कृषियोग्य उर्वरा भूमि में कृषि करना था । आरम्भ में इस फार्म से कोई लाभ नहीं होता था परन्तु अब इसकी आमदनी बढ़ गई है और पहिले हुई हानि तेजी से कम हो रही है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इन फार्मों को प्रारम्भ करने के समय से इनकी हानि उत्तरोत्तर कम हो रही है अथवा बढ़ रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास जम्मू फार्म के आंकड़े हैं । उनकी हानी में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जम्मू और काश्मीर राज्य में कितनी भूमि का कृष्यकरण किया गया तथा उस भूमि में किस अनुपात में पैदावार हुई ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जैसा कि मैं उत्तर में कह चुका हूं भूमि का कुल क्षेत्र १२००० एकड़ था। मेरे विचार से हमने सारी भूमि का कृष्यकरण कर लिया है। प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां थीं और उत्पादन कम होता था। लेकिन अब उत्पादन बढ़ रहा है। वहां कई फसलें होती हैं इसलिये यथा उत्पादन का परिमाण बताना कठिन है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : चावल के फार्म में प्रति एकड़ कितनी पैदावार हुई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार जम्मू फार्म की इस भूमि को निकटवर्ती तम्बुओं में रहने वाले शरणार्थियों को देने का विचार करेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कुछ समय पूर्व इस प्रकार का एक प्रस्ताव था अन्त में भले ही ऐसा किया जाये लेकिन मैं इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं।

†**श्री ल० ना० मिश्र**: क्या सरकार ने योजना आयोग के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि इन राज्य फार्मों को भूमिहीन श्रमिकों को सहकारिता के रूप में दे देना चाहिये ? यदि हां तो क्या भूमि हीन किसानों को भूमि देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वस्तुतः भोपाल फार्म की स्थापना उसे भूमि हीन श्रमिकों को देने के लिये की गई थी। उन्हें वहां व्यक्तिगत रूप से बसाया जा रहा है सहकारी रूप से नहीं बसाया जा रहा है। जम्मू फार्म इस समय सरकार के अधीन है। मैं नहीं जानता हूं कि भविष्य में क्या नीति होगी लेकिन इस समय उसे भूमि हीन श्रमिकों को देने का कोई इरादा नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : भोपाल फार्म के संबंध में कोई जांच हुई थी .....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न जम्मू फार्म से सम्बन्ध रखता है तब भोपाल फार्म के संबंध में प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है ?

†**श्री वेलायुधन** : प्रश्न में जम्मू और भोपाल दोनों ही फार्म का स्पष्ट उल्लेख है। क्या मैं जान सकता हूं कि जांच का क्या परिणाम हुआ और क्या उक्त जांच के परिणामों से संबंधित कोई विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार की जांच के संबंध में कह रहे हैं किसी के दुर्व्यवहार अथवा अधिकार प्राप्त व्यय के संबंध में कोई जांच नहीं हुई। मेरे विचार से कोई जांच नहीं हुई है।

†**श्रीमती अ० काले**: सरकार को इन फार्मों में कितना घाटा हो रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: मेरे पास भोपाल फार्म के आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं जम्मू फार्म के आंकड़े दे सकता हूं। सितम्बर १९५२ से जून १९५४ तक ५·८२ लाख रुपया घाटा हुआ है। जुलाई १९५४ से जून १९५५ तक २·६६ लाख घाटा हुआ, जुलाई १९५५ से जून १९५६ तक १·१७ लाख घाटा हुआ है। यह अस्थायी आंकड़े हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : भोपाल में कितने भूमि हीन किसानों को बसाया गया है तथा उनमें से कितने अन्य राज्यों के निवासी हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : भोपाल फार्म में ४६९ परिवारों को बसाया गया। उनमें से २०० परिवार त्रावनकोर के हैं अन्य भोपाल के हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

वन

†*११२३. **श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान वनों से अधिकतम उत्पादन करने के लिये, सामान्य नीति बनाने की कार्यवाही कर रही है

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं तथा केन्द्र किस अनुपात में राज्यों को वित्तीय सहायता देगा ; और

(ग) कितने राज्यों को यह लाभ प्राप्त होगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). वनों से अधिकतम उत्पादन करने की सामान्य नीतियों को १९५२ के राष्ट्रीय वन नीति संकल्प में शामिल कर लिया गया है। कोई नई कार्यवाही नहीं की गई है किन्तु द्वितीय पंच वर्षीय योजना में , राज्यों में ऐसी योजनायें रखी हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, (१) सुदूरवर्ती वन क्षेत्रों के संसाधनों को प्राप्त करने के लिये संचार साधनों को तैयार करना (२) वर्तमान संचार साधनों में सुधार(३) लकड़ी के गट्ठे काटने के बढ़िया तरीकों को काम में लाना (४) वनों में काम करने वाले कर्मचारियो तथा श्रमिकों को सुविधायें स्वीकृत योजना के लिये केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण ऋण की व्यवस्था करेगी।

(ग) पच्चीस।

†**श्री राधा रमण**: क्या वनों से उत्पादन को इस वृद्धि तथा देश में वनों की घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न राज्यों में उनके विस्तार के लिये भी कोई सामान्य नीति बनाई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: मैं कह चुका हूं कि सामान्य नीतियों, १९५२ की राष्ट्रीय बन नीति संकल्प में शामिल हैं इन राज्यों से इन्हें लागू करने तथा बनों के क्षेत्र में वृद्धि करने का आग्रह कर रहे हैं।

†**श्री राधा रमण** : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के अधिकतम उत्पादन करने के लिये निश्चित राशि रखी गई है यदि हां तो यह राशि क्या है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : विभिन्न राज्यों को कुल २२,०२,९६,००० रुपये दिये गये हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की कोई समयोजित नीति नहीं है तथा वनों के संबंध में कुछ राज्यों की नीति बहुत खर्चीली है। क्या सरकार वनों को सर्वथा केन्द्र की सूची में ही रखने का विचार कर रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां। मैंने उन्हें समनुवर्ती सूची में रखने का प्रस्ताव रखा था लेकिन राज्यों ने इसे बिलकुल पसन्द नहीं किया।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कंट्रेक्टर्ज़ (ठेकेदारों) द्वारा फ़ारेस्ट्स (बनों) बहुत बुरी तरह से काटे जा रहे हैं? क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में प्रान्तीय सरकारों को आदेश भेजेगी ?

डा० पं० शा० देशमुख: जी हां, जहां जहां हमें बतलाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है, वहां हम सबों की सरकारों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि ऐसा न हो। मगर यह भी पाया गया है कि काफी शिकायतें बेबुनियाद होती हैं।

†**श्री माधव रेड्डी** : किन किन राज्यों ने १९५२ के राष्ट्रीय वन नीति संकल्प के अनुसार बन विकास के विशेष कार्यक्रमों को लिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : प्रत्येक राज्य की अपनी विकास योजनायें हैं और प्रत्येक राज्य इस सहायता का लाभ उठाना चाहता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं २५ राज्यों को इससे लाभ होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : सरकार की एक योजना राजस्थान के रेगिस्तान को वैल्ट (हरा भरा) करने के लिये एफारेस्टेशन (बनरोपण) करने की थी। क्या मैं जान सकता हूं कि उस योजना में अभी तक क्या प्रगति हुई है? इन पांच वर्षों में इस संबंध में जो प्रगति हुई है, क्या वह संतोषजनक है और यदि नहीं, तो वह योजना कब तक पूरी होने की आशा है?

डा० पं० शा० देशमुख: वह काम तो फिलहाल कुछ ठीक ही चल रहा है और हमें पूरी आशा है कि वह कामयाब होगा, लेकिन वह कितने परसेंट तक पूरा हो चुका है, या कितने परसेंट काम हुआ है, वह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसके बारे में मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने अन्डमान और निकोबार द्वीपों में एक दल भेजा था और प्रतिवेदन भी प्रकाशित हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने प्रतिवेदन को सिफारिशों के फलस्वरूप उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के लिये क्या किया है?

†**श्री पं० शा० देशमुख** : हम कुछ कार्यवाही कर चुके हैं। एक ठेकेदार काम कर रहा है तथा विभागीय रूप से भी पेड़ गिराये जा रहे हैं। मुझे स्वयं इस विधि से संतोष नहीं है। लेकिन हम इसे सदैव विचाराधीन रखते हैं और यथासंभव उस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं।

चैम्पियन रीफ खान

*११२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत १५ जून शुक्रवार को कोलार सोने की खान की चैम्पियन रीफ खान में आग लग गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां। आग, खान के ८९ वें स्तर में लगी जो काम में नहीं लाया जा रहा था।

(ख) आग लगने के कारण मालूम नही हैं क्योंकि आग उस स्तर में लगी जिसमें काम नहीं हो रहा था।

श्री रघुनाथ सिंह : इसके संबंध में आपकी तरफ से कोई इन्क्वायरी (जांच) की गयी?

श्री आबिद अली : जी हां इन्क्वायरी हुई थी लेकिन आग लगने का कारण मालूम नहीं हुआ और वहां से सोना चुराने के लिये आग लगायी गयी हो यह भी सिद्ध नहीं हुआ। पुलिस में रिपोर्ट कर दी गयी है और इस मामले की तहकीकात होगी।

श्री रघुनाथ सिंह : घायलों की संख्या कितनी है?

श्री आबिद अली : घायल कोई नहीं हुआ क्योंकि वहां पर काम नहीं हो रहा था।

जहाजों पर वस्तु भाड़ें की दरें

†*११२५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों पर माल लादने की दरों में भेदभाव के आरोप की जांच करने के लिये जो विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था उसकी जांच समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस जांच का क्या परिणाम हुआ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां।

(ख) भेद भाव का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका। जांच से यह अवश्य मालूम हुआ कि लदान की दरों में असमानता थी। ऐसे मामलों पर 'कान्फ्रेंस लाइन्स' के परामर्श से विचार किया गया जिसके फलस्वरूप कुछ मामलों में दरें घटाई गईं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं उन देशों अथवा जहाजी कम्पनियों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने इस कांन्फ्रेंस में भाग लिया था ?

†**श्री अलगेशन** : 'कान्फ्रेंस' शब्द का यहां अर्थ 'विशेष बैठक' के अर्थ में नहीं आया है बल्कि कई जहाजी समवाय जो एक मार्ग पर पोत चलाते हैं वे स्वयं ही एक सम्मेलन में आते ह। यह एक विशेष मार्ग पर चलने वाले जहाजों का स्वेच्छा से बनाया हुआ संघ है जिसे 'कान्फ्रेंस लाइन्स' कहते हैं। दरों के मामले में भेद भाव के संबंध में विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन पर इस प्रश्न पर कान्फ्रेंस लाइनों के साथ विचार किया गया । वे कुछ मामलों में दर घटाने को सहमत हो गये हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या कुछ जहाजी कम्पनियां भारतीय माल और अन्य देशों के सामान के बीच भेद भाव करती हैं और यदि हां तो क्या सरकार ने इन निरन्तर की शिकायतों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं अपने उत्तर में उक्त प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैं कह चुका हूं कि एक विशेष अधिकारी ने इस प्रश्न पर विचार किया है। उन्हें कुछ ऐसे मामले मिले जहां कि दरों की वसूली भारतीय निर्यात के हितों के विरुद्ध हुई है। जब कांन्फ्रेंस लाईन्स के समक्ष यह प्रश्न लाया गया तो उन्होंनें हमारे तर्क को मान कर दरों को घटा दिया।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या विशेष अधिकारी द्वारा पता लगायी गई असमानतांएं पर्याप्त व्यापक हैं ; क्या उनमें सभी ज्ञात मामले शामिल हैं अथवा यह केवल उन्हीं मामलों से सम्बन्धित हैं जिनमें 'कान्फ्रेंस लाइन्स' को मना सके हैं।

†**श्री अलगेशन** : हम उन्हे कुछ ही मामलों में मना सके हैं उन्होंने भारतीय बन्दरगाहों तथा पड़ोसी देशों के बन्दरगाहों से भेजे जाने वाली कई प्रकार की वस्तुओं की प्रशुल्क की दरें बताईं। प्रशुल्क दरों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है किन्तु वे कुछ तथ्य प्राप्त कर सके तथा उन तथ्यों के आधार पर 'कान्फ्रेन्स लाइन्स' से वार्ता की गई जो हमसे सहमत हो गये।

कलकत्ता बन्दरगाह का विकास

†* ११२६. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में कलकत्ता बन्दरगाह के विकास के लिये कौन सी परियोजनायें आरंभ की जायेगी तथा उन पर कितना व्यय किया जायेगा।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री गिडवानी** : विवरण को देखने से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निर्माण व्यय के लिये दिये गये २१.५८, ३५,००० रुपयों में से ८५६२१००० रुपये प्रथम पंच वर्षीय योजना से बकाया चले आ रहे हैं। प्रथम पंच वर्षीय योजना की सारी योजनाओं को न लेने और उन्हें समाप्त न करने का क्या कारण था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पहिला कारण यह है कि योजना के दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात परियोजना का कार्य किया गया तत्पश्चात् कुछ बड़ी परियोजनायें यथा क्वार्टरों का निर्माण, समान्त का लदान करने वाली शामिकाये (वर्न) और जल निकालने वाली नालियां बाद में निर्मित की गईं। क्रेन, मिट्टी निकालने वाले यंत्र तथा नौकायें क्रय नहीं की जा सकीं अतः उनका निर्माण करना पड़ा। समय पर इस्पात प्राप्त करने में भी बड़ी कठिनाई हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का ध्यान आई मात्सूमोटो जापानी गैवहन समवाय के व्यवस्थापक निदेशक के द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर भी आकर्षित हुआ है जिसमें लिखा जाता है कि भारतीय बन्दरगाहों में बहुत विलम्ब किया गया है तथा कुछ मामलों में एक एक महीना जहाजों को रोक लिया गया है जिससे कि जहाजों तथा जहाजों के मालिको को बड़ी कठिनाई होती है। यदि हां तो इस भीड़ भाड़ को रोकने के लिये क्या तत्काल कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हमारे बन्दरगाहों में होने वाले विलम्ब के मामलों के बारे में सत्यनिष्ठापूर्ण कार्यवाही की गई है और अब हमारे बन्दरगाहों में भीड़भाड़ काफी घट गई है। हमारे बन्दरगाह अब पहिले की अपेक्षा बहुत अधिक कार्य करते हैं। खंड अर्ध पद्धति की तरह बम्बई में कुछ कार्यवाही की गई है कलकत्ता मद्रास इत्यादि बड़े बन्दरगाहों के संबंध में यह विचाराधीन है। बन्दरगाहों के कार्यों में सुधार होने से भी विलम्ब में पर्याप्त कमी हुई है। पहिले अवश्य ऐसी स्थिति थी लेकिन अब हम विलम्ब को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री ही० ना० मुखर्जी** : १९५७ के बाद से कलकत्ता बन्दरगाह में ४००० टन इस्पात प्रति दिन आमद तथा हुगली नदी से मिट्टी निकालने के प्रतिशोधात्मक मूल्य को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गई है विशेषत: जब कि द्वितीय योजना में गंगा में बांध बनाना सम्भव नहीं है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से माननीय सदस्य कई बातें एक साथ पूछ रहे हैं—भले ही वे वांछनीय हों। जहां तक इस्पात के माल के उतारने का प्रश्न है उसका उत्तर इसी सभा में पहिले दिया जा चुका है। हमने ढेर लगा दिये हैं तथा हमने प्राप्तकर्ताओं से भी घाट पर माल आते ही उसे छुड़ा लेने को कह दिया है। इस्पात के वृद्ध राशि की निकासी के लिये उपरोक्त प्रणाली काम में लाई जा रही है।

पटना में हवाई अड्डा

*११२८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में या उसके निकट आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण एक बड़ा हवाई अड्डा बनाने के संबंध में क्या सरकार ने कोई निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई निश्चय कर लिया गया है कि यह हवाई अड्डा कहां बनाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूं जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २**]

इस विवरण में पत्र में एक संशोधन यह है कि "भीटा" के स्थान पर "बिहटा" पढ़ा जाना चाहिये।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण पत्र से पता चलता है कि पटना में जो विमान क्षेत्र है वह वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति ठीक तरह से करता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि उसके विकास का प्रश्न विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि यह विकास की कल्पना किस तरह से की गयी है ?

श्री जगजीवन राम : इसको बहुत अधिक बढ़ाने की गुंजाइश तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अगर बिहटा से काम लेंगे तो वह बहुत दूर पड़ जाता है। जब तक यहां काम चल सकता है तब तक तो यहां चलायेंगे लेकिन जब ज्यादा बड़े प्लेन चलने लगेंगे तो बिहटा का इस्तेमाल करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री श्रीनारायण दास : बिहटा में एक बड़े पैमाने का विमान क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इसके बारे में जांच भी शुरू होने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पटना के आसपास बिहटा से नजदीक, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कि बड़े विमानों को उतरने के लिये विमान क्षेत्र बनाया जा सके ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, इसमें खर्च का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। बेहटा में तो पहले से विमान क्षेत्र बना हुआ है, उसको हम लेना चाहते हैं ताकि जेट और बड़े विमान वहां पर उतर सकें। लेकिन फिलहाल तो पटना विमान क्षेत्र को ही और बढ़ा कर उसको इस्तेमाल करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि पटना के हवाई अड्डे पर डकोटा से बड़ा हवाई जहाज, जैसे वाइकिंग वगैरह, उतर सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या यह प्रश्न भी विचाराधीन है और क्या डकोटा से बड़े हवाई जहाजों को वहां उतारने के लिये कोई योजनायें बनायी जा रही हैं ?

श्री जगजीवन राम : यही तो कहा है कि पटना के हवाई अड्डे को बढ़ाया जायेगा ताकि वाइकिंग जहाज वहां उतारे जा सकें। लेकिन जब वाइकिंग वगैरह आ जायेंगे तो मुश्किल हो जायेगी। उनके उतरने के लिये वहां पर जगह नहीं है।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह सही है कि पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिये सरकार के पास पांच बरस से योजना है, लेकिन अन्तिम निर्णय इसलिये नहीं हो सका है कि बिहार सरकार जो जमीन देगी, या जो जमीन अधिकृत करके देगी, उसके लिये वह बाजार दर पर दाम मांगती है, लेकिन कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री देना नहीं चाहती, और इसी लिये बेहटा को बढ़ाना चाहती है जो कि पटना से दूर है और जिसकी वजह से पटना वालों को असुविधा होगी।

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने आपको बताया, पटना हवाई अड्डा तो है ही और उसको इस्तेमाल करने की हमारी योजना है, लेकिन उसके अधिक विकास की गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, और जब तक उन मकानों को न तोड़ा जाये वह हवाई अड्डा उस योग्य नहीं बनाया जा सकता कि वहां पर वाइकाउंट विमान उतर सकें। पटना हवाई अड्डे के विकास के बारे में बिहार सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री रा० स० तिवारी : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पटना हवाई अड्डे को बढ़ाया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि और भी हवाई अड्डों की मरम्मत की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : होगी तो सही, लेकिन इस वक्त वह हमारे सामने नहीं हैं।

इंम्फाल से तारों का पारेशण

†*११३२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों द्वारा तार तथा टेलीफोन की लाइनें तोड़ दी जाने के कारण ११ जून १९५६ से इम्फाल से तार, बेतार द्वारा भेजे जा रहे हैं ;

(ख) साधारण तारों को वायु द्वारा क्यों भेजा जा रहा है जब कि प्रेषकों से साधारण तारों के हिसाब से खर्च लिया जाता है ;

(ग) क्या बहुत से एक्सप्रैस तार अभी तक इस कारण नहीं भेजे गये हैं कि क्योंकि बेतार के आपरेटरों की कार्य अवधि एक दिन में केवल तीन घंटे ही होती है और सरकार उन्हें अतिरिक्त वेतन दे कर अतिरिक्त काम नहीं करा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार तार-संचार के पुनः प्रारम्भ होने तक साधारण तथा एक्सप्रैस तारों को शीघ्रता से भेजने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, नहीं। बेतार के तार केवल उस समय भेजे जाते हैं जब तार की भूमि की लाइनों में कोई बाधा पड़ जाती है।

(ख) लाइनों में प्रायः बाधा पड़ रही है। परन्तु बेतार का साधन भी तो कुछ तारों को ही संभाल सकती है। जब सभी तार बेतार के द्वारा नहीं भेजे जा सकते उस समय उन्हें विमान के द्वारा सिलचर भेज दिया जाता है जहां पर विभागीय तार घर है। जनता को इस संबंध में मूल तार घर में ही सूचित कर दिया जाता है।

(ग) इस समय ऐसी कोई भी एक्सप्रैस तार नहीं है जिसे भेजा नहीं गया है। बेतार आपरेटरों को यथासंभव अतिरिक्त समय के लिये रखा जा रहा है।

(घ) अधिक बेतार आपरेटरों को भरती करने तथा अतिरिक्त बेतार मशीनें लगाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : टेलीफोन तथा तार की लाइनें कितनी देर तक खराब रही हैं और क्या अब वे पूर्ण रूपेण ठीक कर दी गयी हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : वे कई स्थानों से काट दी गयी थीं, और मोनसून के कारण भी वे खराब हो गयी थीं। उन्हें ठीक करने का हर प्रकार का प्रयत्न किया गया है। परन्तु मौसम की खराबी के कारण उन्हें पूर्वतः ठीक नहीं किया जा सका है। टेलीफोन की लाइनों को तो ठीक कर दिया गया है और वे १९ जुलाई से अपना काम कर रही हैं।

†**श्री रिशांग किशिंग**: क्या सरकार को ज्ञात है कि इम्फाल और दीमापुर के बीच संचार टेलीफोन, तथा तार की लाइनों के खराब हो जाने पर तथा मौनसून के कारण वायु सेवाओं के अस्त व्यस्त हो जाने पर कई हजार तार कई दिनों तक तार घरों में पड़े रहे हैं और कोई भी अतिरिक्त बेतार आपरेटर भरती नहीं किया गया था और न ही अतिरिक्त काम करने वाले ओपरेटरोंको कोई अतिरिक्त वेतन दिया गया है, और यदि हां तो उस समय इस संबंध में कोई आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : पहली बात तो यह है कि मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि वहां पर बहुत से तार निलम्बित रूप में पड़े थे। अतिरिक्त समय की भी कोई सीमा होती है। वहां का एक ओपरेटर अतिरिक्त समय पर भी काम करता था, परन्तु वह २४ घंटे काम नहीं कर सकता था। उसे अतिरिक्त वेतन दिया जाता था। क्योंकि अब हम उपकरण बढ़ा रहे हैं इसलिये हम और अधिक ओपरेटर भेजने का विचार कर रहे हैं। उन दिनों अतिरिक्त ओपरेटर भेजना संभव नहीं था।

†**श्री म० कु० मैत्र** : जब तार विमान के द्वारा भेजे जाते हैं तो उस समय क्या प्रेषकों को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि उनको तारों को बेतार के द्वारा नहीं भेजा जा सका है और केवल विमान के द्वारा भेजे जायेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : यही तो मैंने पहले उत्तर में कहा है कि जिन तार घरों से तार भेजें जाते हैं वहां लोगों को पहले ही से इस बात की चेतावनी दे दी जाती है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि जहां पर टेलीफोन और तार की लाइनें बिगड़ जाती हैं अथवा जहां पहुंचाई नहीं जा सकती हैं वहां सरकार क्या वायरलैस सर्विस की सुविधा लोगों को देने की स्कीम पर गौर करेगी ?

श्री जगजीवन राम : यही तो सारा प्रश्न है कि जब लैंड लाइन्स खराब हो जायें तो वायरलैस से हम कितना काम कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खुरदा रोड पर वैमानिक (डिवीजनल) मुख्यालय

†*११३४. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री ६ अप्रैल, १९५६ को दक्षिण पूर्वी रेलवे खंड की खुरदा रोड पर विभागीय मुख्यालय के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या १२४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अन्तिम निर्णय दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : गत सत्र में उपमंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार की प्रस्थापना विचाराधीन है इस समय उसकी क्या स्थिति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हम अन्य रेलों का तो विभागीकरण कर रहे हैं। परन्तु गत जुलाई में पूर्व रेलवे को अलग करने पर, दक्षिण पूर्व रेलवे बहुत छोटी रह गयी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के विभागीकरण पर विचार करते समय, रेलवे प्रधान कार्यालयों के खोलने के बारे में उड़ीसा की ओर से कही गयी बात को सदा ध्यान में रखा जायेगा।

खोवाई हवाई अड्डे पर दुर्घटना

†*११३५. **श्री दशरथ देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि खोवाई हवाई अड्डे पत्तन पर २७ जून, १९५६को एक दुर्घटना हुई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि पर उतरते समय विमान हवाई अड्डे के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा से बाहिर खड़े हुए दो व्यक्तियों से टकरा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति मर गया था और एक बुरी तरह से जख्मी हो गया; और

(घ) क्या सरकार उस मृतक व्यक्ति के तथा घायल व्यक्ति के दुःखी परिवारों को कोई प्रतिकर देने का विचार रखती है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). जी, हां। खोवाई हवाई अड्डे की सीमा से बाहिर खड़े हुए दो व्यक्ति इंडियन एयर लाइन्स निगम के एक जहाज से टकरा गये थे जब कि वह २७ जून, १९५६ को खोवाई हवाई अड्डे पर उतर रहा था। एक व्यक्ति मर गया था और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया था।

(घ) दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों के प्रतिकर देने के प्रश्न पर निगम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है।

†**श्री दशरथ देव** : क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है कि वह जहाज हवाई अड्डे से बाहिर क्यों उतरा था, और यदि हां तो क्या कारण पता लगा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जांच की गयी है और यह पता लगा है कि चालक उस जहाज को धावन पथ पर पहुंचने से पहले ही उतारना चाहता था। वह बहुत नीचे आ गया और एक व्यक्ति को तो खोपड़ी पर टक्कर लगायी और दूसरे को सिर की पिछली ओर टक्कर लगायी।

†**श्री दशरथ देव** : उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : घायल व्यक्ति का नाम शिव देव वरमन है। दूसरे व्यक्ति का नाम रामेश देव वरमन था। वे हवाई अड्डे के क्षेत्र से लगभग ५० फुट दूर फुट पाथ पर चल रहे थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पशु-वध का रोकना

† *११३६. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशु वध के निवारण के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके बारे में क्या निर्णय किया है ?

† **कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) संविधान के अधीन राज्य सरकारें इस संबंध में स्वेच्छा से जैसा चाहें, विधान बना सकती हैं। इसलिये इस संबंध में राज्यों की अपनी मरजी में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई ख्याल नहीं।

बाबू रामनारायण सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इसके संबंध में विशेषज्ञों की क्या राय है ?

डा० पं० शा० देशमुख : विशेषज्ञ सब खिलाफ हैं इस बात के।

बाबू रामनारायण सिंह: विशेषज्ञ लोग जो आपने अभी बतलाया कि इसके खिलाफ हैं तो क्या उन्होंने अपनी राय सरकार का मुंह देख कर दी है या देश की हालत और जनता की जरूरियात पर भी विचार कर के उन्होंने कोई फैसला किया है ?

डा० पं० शा० देशमुख: मैं तो समझता हूं कि यह विशेषज्ञों का एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने कि बहुत सच्ची राय दी है और वह किसी के मुंह की तरफ देख कर नहीं दी है।

† **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : किन किन राज्य सरकारों ने गोवध के निवारण पर प्रतिबन्ध संबंधी विधान लागू कर दिये हैं और ऐसी कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अभी तक वैसे विधान नहीं बनाये हैं, और पशु वध प्रतिबन्ध वाले राज्यों से पशु वध प्रतिबन्ध हीन राज्यों में पशुओं को वध के लिये लाने के रोकने के संबंध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जैसा मैंने पहले कहा है केन्द्रीय सरकार इस बात की कुछ भी हस्ताक्षेप नहीं करना चाहती। १२ राज्यों ने गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। उनके नाम हैं : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, अजमेर, भोपाल, मनीपुर, त्रिपुरा और पंजाब। सौराष्ट्र में इस समय इस संबंध में विधान बनाया जा रहा है। वे राज्य जिन्होंने इस विधान को उपयोगी पशुओं पर लागू किया है वे हैं : आसाम, बम्बई, मद्रास, आन्ध्र, पश्चिमी बंगाल, हदराबाद और त्रावनकोर कोचीन। वे राज्य जहां अभी तक यह विधान लागू नहीं किया गया है वे हैं : उड़ीसा और पांडिचेरी। वे राज्य जहां गौवध होता ही नहीं है, वे हैं : कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कच्छ और विन्ध्य प्रदेश।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पशु वध प्रतिबन्ध वाले राज्य से पशु वध प्रतिबन्ध हीन–किसी दूसरे राज्य में पशुओं को ले जाने को रोकने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है।

त्रावणकोर कोचीन राज्य में पुलों का निर्माण

† *११३७. **श्री अच्युतन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में।

(क) त्रावनकोर कोचीन के त्रिचूर जिले में (१) परूर चराय और (२) पुलूट कांगानूर नामक पुलों के निर्माण पर लगभग कितना खर्च आयेगा ; और

(ख) क्या दोनों पुलों का काम शुरू हो गया है और उनका ठेका किस किस को दिया गया है ; और

(ग) वह काम कब तक पूरा हो जायेगा और वे पुल यातायात के लिये नियमित रूप से खोल दिये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३**]

†**श्री अच्युतन** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि परूर-चेराय पुल के बारे में ठेका अभी निश्चित नहीं किया गया है। ठेका अभी तक निश्चित न करने के क्या कारण हैं और क्या इसमें लोक निर्माण विभाग का कोई दोष है ?

†**श्री शाहनवाज खां**: टेन्डर तो मंगवाये गये थे परन्तु उन टेन्डरों में जो दर बताये गये हैं वे प्राक्कलित खर्च से २२ प्रतिशत अधिक हैं। और फिर उनके पास रेकिंग पाइलों को खींचने के लिये कोई सामान भी नहीं है, हमने अब उसका प्रबन्ध कर लिया है और इस काम को निर्माण विभाग की ओर से करवा रहे हैं।

†**श्री अच्युतन** : क्या सारा का सारा काम विभाग द्वारा किया जायेगा अथवा उसका कुछ भाग ठेकेदारों को दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उसका उप ढांचा विभाग की ओर से तैयार कराने का विचार है।

†**श्री अच्युतन** : उस प्राक्कलित खर्च में केन्द्रीय सरकार का कितना भाग होगा, और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि वर्षा काल के समाप्त होते ही शीघ्रातिशीघ्र सीमेन्ट तथा लोहे और इस्पात आदि शेष सामग्री संभरित कर दी जायेगी ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ये सारे काम तो राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं। उसने कुछ सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी। हमने वह सहायता दी है। बाकी सभी बातों का संबंध राज्य सरकारों और राज्यों के लोक निर्माण विभाग से है। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है।

†**श्री अच्युतन** : दोनों पुलों का प्राक्कलित खर्च ७·३२ लाख तथा १०·९३ लाख रुपया है। इस खर्च में केन्द्रीय सरकार का कितना भाग है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : प्रत्येक में दो लाख रुपये।

अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी के श्रमिकों की मांगें

† *११३८. **श्री म० कु० मैत्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५४ में अखिल भारतीय पत्तन तथा डाक श्रमिक फेडरेशन ने कलकत्ता, बंबई, मद्रास, विशाखापट्टनम् तथा कोचीन की बन्दरगाहों के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की ओर से सरकार को मांगों का एक चार्टर भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त चार्टर में की गयी मांगों में से अभी तक किसी भी मांग का न तो सरकार द्वारा अखिल भारतीय रूप में निर्णय किया गया है और न ही पत्तन न्यासों और डाक श्रमिक बोर्डों द्वारा पत्तन-वार निर्णय किया गया है, और

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ग) क्या यह सच है कि सरकार से कोई उत्तर मिलने पर अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी के श्रमिक फेडरेशन ने १७ तथा १८ जुलाई, १९५६ को बंबई में हुये अपने वार्षिक सम्मेलन में यह निर्णय किया है कि यदि सरकार एक उच्च सत्ताधारी त्रिदलीय वार्तालाप के द्वारा इन सभी समस्याओं का १५ सितम्बर,. तक हल न करेगी तो १५ अक्टुबर से सभी मजदूरों को काम से वापिस बुला लिया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां; इस संबंध में ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) कुछ एक मांगें तो बंबई पत्तन न्यास तथा दुसरे स्वामियों के झगड़े के बारे में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट से पूरी ही गयी हैं। कुछ एक अन्य मांगें डाक श्रमिक (नियोजन का विनियम) जांच समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार तथा पत्तन प्राधिकारियों द्वारा किये गये फैसलों से पूरी ही गयी हैं। शेष मांगों के बारे में संघों तथा पत्तन प्राधिकारियों के बीच बात चीत हो रही है।

(ग) फैडरेशन ने एक संकल्प स्वीकार किया है जिसमें अपने संबंध संघों को यह निदेश दिया गया है कि वे पत्तन प्राधिकारियों को अलटी मेटम दे दें कि वे प्राधिकारी उनकी न्यूनतम मांगों पर पुर्नविचार करें और उनके बारे में १५ सितम्बर, १९५६ तक कोई निर्णय कर लें नही तो वे १५ अक्तुबर १९५६ से अपने मजदूरों को काम पर जाने से रोक लेंगे।

† **श्री म० कृ० मैत्र** : क्या सरकार पत्तन न्यासी और गोदी श्रमिक बोर्डो को यह परामर्श देगी की वे शेष मांगों को पूरा करने के संबंध में पत्तन न्याय श्रमिक संघ से बात चीत करें।

†**श्री अलगेशन** : यह कोई नयी बात नहीं है। मांगों का चार्टर दिसम्बर, १९५४ में प्रस्तुत किया गया था। जब ये मांगे प्रस्तुत की गयी, तब औद्योगिक न्यायाधिकारण, बंबई तथा एक अन्य समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही थी। बाद में उस समिति तथा न्ययाधिकरण की सिफारिशों की लागू भी कर दिया गया। वैसा करते समय उन सभी वातों के बारे में संघों से बात चीत करने के लिये पत्तन अधिकारियों को कहा गया था। किसी सीमा तक बातचीत हुई थी, कई निर्णय भी किये गये थे और उन्हें कार्यान्वित भी कर दिया गया है। अब कुछ एक मांगे शेष बच गयी हैं। ऐसा विचार है कि इस मास के अंतिम सप्ताह के शुरु में ही विभिन्न पत्तनो के मुख्य अधिकारियों की एक बैठक की जायेगी और अंतिम मांगों के बारे में निर्णय किया जायेगा।

खादी बोर्ड

† *११४० **श्री धुसिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खादी बोर्ड के कर्मचारियों का कोई संघ है ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : ऐसे किसी संघ या संघों के संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है ?

†**श्री धुसिया** : क्या यह सच है कि किसी उत्तरदायी पदाधिकारी ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं से यह कहा था कि कोई संघ गठित करने की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो यह कहां तक न्याय संगत है ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देखा है।

†**श्री धुसिया** : क्या माननीय मंत्री इस मामले की जांच करेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : किस से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री को पत्र लिख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री धुसिया** : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली के खादी बोर्ड के कर्मचारियों को बारम्बार यह धमकी क्यों दी गयी है कि यदि उन्होंने किसी प्रकार का संघ बनाने का कोई प्रयत्न किया तो उन्हें पदच्युत कर दिया जायेगा।

†**श्री आबिद अली** : मैं बता चुका हूं कि खादी बोर्ड के कर्मचारियों के किसी भी संघ की रचना के संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है। इस के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर व्यवहार किया जाता है।

†**श्री बोस** : खादी बोर्ड के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कर्मकार समझा जायेगा।

†**श्री आबिद अली** : जी हां, यदि वे श्रमिकों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हों तो उन्हें समझा जायेगा ?

चक्षु बैंक.

† *११४२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य सरकारों द्वारा क्या कोई चक्षु बैंक खोला गया है और संघृत किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) तथा (ख). इस समय केवल दो चक्षु बैंक का संधारण किया जा रहा है और वे दोनों मद्रास में स्थित हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैसूर में चक्षु बक खोलने के लिये क्या कोई योजना विचाराधीन है क्या कोई केन्द्रीय सहायक मांगी गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस प्रयोजन से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चक्षु बैंक स्थापित करने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अधिकतर राज्य सरकारों ने इस मामले को अपने हाथों में लिया है। आन्ध्र में विशाखापतनम् स्थान पर ४,२०० रुपये के अनावर्तक परिव्यय पर एक चक्षु बैंक खोलने का प्रस्ताव ह। केन्द्रीय चक्षु बैंकों के संबंध में, राज्य सरकारों के विचार जानने के लिये हम ने उन से लिखापड़ी की है और जब तक हम विधि नहीं बनाते तब तक हम इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

†**डा० रामा राव** : एक व्यक्ति की आंख में चूज़े की आंख की पुतली स्थानान्तरित करने से जो शल्यकर्म सफल सिद्ध हुआ था, क्या उसके परिणाम की अन्तिम जानकारी सरकार को प्राप्त हो चुकी है और क्या सरकार इसका अनुसरण करेगी ताकि, यदि यह सफल हो, तो चक्षु बैंक अनावश्यक होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मैं ने समाचार पत्रों में इस समाचार को देखा था। निश्चित रूप से हम इस मामले पर अग्रेतर विचार करेंगे।

कोनी संस्था

***११४३. श्री ख० चं० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के जिला बिलासपुर में स्थित कोनी संस्था को वहां से अन्यत्र ले जाने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संस्था को स्थानान्तरित करने के लिये सरकार ने दूसरा कौन सा स्थान चुना है और क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) कोनी और उसके आसपास ऐसे कारखाने काफी नहीं हैं जहां ट्रेनिंग पाने वालों को कारखानों में काम करने का अनुभव भी मिल सके।

(ग) अभी तक कोई दूसरी जगह नहीं चुनी गई है। आवश्यकता पड़ने पर मध्य प्रदेश सरकार से सलाह ली जायेगी ।

श्री खु० चं० सोधिया : क्या इस संस्था की कोई बिल्डिग भी है वहां पर ?

श्री आबिद अली : जी हां, वहां पर एक मिलटरी अस्पताल था, उसी में यह इंस्टीट्यूट काम कर रहा है।

रतलाम-गोधरा लाईन

***११४४. श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे की रतलाम-गोधरा सेक्शन पर दोहरी रेलवे लाइन डालने के संबंध में खुदाई का जो काम चल रहा है, उसमें अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ; और

(ख) लाइन को दोहरा करने का यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ७५ लाख घनफीट, यानी मिट्टी का कुल ४ फीसदी काम पूरा हो गया है।

(ख) लगभग १९५८ के अन्त तक।

श्री अमर सिंह डामर : इस कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर आनरेबल मेंबर चाहते हैं तो मैं बाद में दे सकता हूं ।

श्री अमर सिंह डामर : यह दोहरी लाईन गोधरा से रतलाम तक ही होगी या कुछ आगे भी बढ़ेगी ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो यह गोधरा तक ही रहेगी।

पाकिस्तान को चावल का उपहार

†***११४७. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को उपहार के रूप में चावल देने की कोई प्रस्तावना की है, और

(ख) यदि हां , तो उस चावल की मात्रा कितनी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) ५,००० टन चावल की प्रस्तावना की गई थी और वह दिया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या पाकिस्तान सरकार ने ऐसी किसी सहायता के लिये प्रार्थना की थी और यदि हां, तो क्या उन्होंने मात्रा भी उल्लिखित की थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** दो बातें हैं। उन्होंने हम से कुछ चावल मांगा था और हम ने उन्हें एक ऋण के रूप में १५,००० टन चावल दिया था। प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पाकिस्तान जनता को जो कष्ट सहन करना पड़ा है उसे देखते हुये यह ५,००० टन चावल उपहार रूप में दिया गया था।

†**श्री भागवत झा आजाद :** माननीय मंत्री ने चावल की जिस अन्य मात्रा की चर्चा की है क्या वह ऋण रुप में दी गई थी या किसी और रुप में ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वह १५,००० टन चावल ऋण रूप में भेजा गया था। हम ने बीज के लिये ५०,००० मन धान भी दिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या उन्होंने इस बात का कोई संकेत किया है की वे कब तक इसे वापिस करेंगे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** आशा है कि उनकी नई फ़सल आते ही इसे हमें वापिस कर दिया जायेगा। हमें आशा है कि नवम्बर से पहिले इसे वापिस किया जायेगा।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान अन्य देशों को चावल का निर्यात कर रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मुझे मालूम नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सरकार ने उपहार तथा ऋण रुप में ५०,००० और ६०,००० मन चावल दिया है। इस बात को देखते हुये कि इस देश में लगभग दस लाख टन चावल की कमी है। क्या मैं जान सकती हूं कि चावल के दाम में कमी करने के लिये सरकार की नीति से यह कहां तक अनुकूल है कि वे इतनी अधिक मात्रा उपहार तथा ऋण रुप में दे रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह मात्रा ५०,००० या ६०,००० टन नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मन।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** बीज के लिये ५०,००० मन धान दिया गया था और ऋण रुप में १५,००० टन चावल दिया गया था। जैसा कि सभी जानते हैं पाकिस्तान बहुत ही बुरी स्थिति में था और उन्हें इस की अत्याधिक आवश्यकता थी। हमें सहायतार्थ उन्होंने १५,००० टन गेहूं ऋण रुप में दिया था। तथापि ये दोनों सौदे एक दूसरे के विरूद्ध प्रतिसंहृत नहीं किये जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस

†*१११५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को देखते हुये कि वर्धा और बलहारशाह के बीच रेलवे पटरी पर भारी रेलवे लाईन बिछा दी गई है, क्या ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस की रफ़तार अब बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग को तय करने में पहले जितना समय लगता था उसकी तुलना में अब कितने समय की बचत होती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) २३ मिनट।

---

†मूल अंग्रेजी में।

स्थायी श्रम समिति

†*११२१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री २ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों का पर्यवेक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार के विचार क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि स्थायी श्रम समिति के १५ वें सत्र की सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है या करने की प्रस्तावना है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**]।

गैर विभागीय चालकों की नियुक्ति

†*११२७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में दैनिक मजूरी पर विभागीय तार तथा टेलीफ़ोन चालकों को नियुक्त करने की कोई पद्धति है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियमिति चालकों के स्थान पर लाईन मैन चालकों को नियुक्त करने की भी पद्धति है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के क्या कारण है ; और

(ङ) उनका मासिक वेतन क्या है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां।

(ख) कार्य में अल्पकालीन वृद्धि तथा वर्तमान कर्मचारियों को अत्याधिक अनुपस्थितियों के कारण कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ग) केवल बहुत ही छोटे एक्सचेजों में टेलीफ़ोन चालकों का काम करने के लिये लाइन मैन नियुक्त करने की पद्धति है।

(घ) अत्याधिक अनुपस्थितियों के कारण कर्मचारियों की कमी को पूरा करने और प्रशिक्षित टैलिफ़ोन चालकों की कमी तथा उच्च चालन परिव्यय के कारण छोटे एक्सचेजों को खोलने में विलम्ब के परिहार के लिये यह एक अंतररोध प्रबंध है।

(ङ) ३५–१–५० रुपये और इस के अतिरिक्त ५ रुपये प्रति मास विशिष्ट वतन।

डूंगरपुर बान्सवाड़ा टेलीफोन लाइन

†*११२९. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डूंगरपुर-बान्सवाड़ा टेलीफ़ोन लाईन के पुनर्वास के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति की जा चुकी है ;

(ख) यह कार्य कब तक समाप्त होगा ; और

(ग) प्रस्तावित लाईन पर सागवाड़ा तथा गाबाकोट में सार्वजनिक टेलीफ़ोन कब तक लगाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जानकारी का अधिकतर भाग एकत्रित किया जा चुका है और कुछ और प्राप्त होना है।

(ख) लगभग छः महीनों में।

(ग) डूंगरपुर-बांसवाड़ा की दोहरी लाईन तैयार होते ही सागवाड़ा में सार्वजनिक टेलीफ़ोन की व्यवस्था कर ही जायेगी। गलियाकोट में सार्वजनिक टेलीफ़ोन स्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें हानि अन्तर्ग्रस्त है।

स्टेशनों पर खाने की चीजें

*११३०. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के पूर्व की ओर यात्रा करने में स्टेशनों पर शुद्ध घी से बनी खाने की चीजें बहुत ही कम मिलती हैं ; और

(ख) क्या सरकार ठेलों पर पटना (पूर्व रेलवे) और सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशनों पर शुद्ध घी से बनी खाने की चीजों और उत्तर रेलवे के कानपुर, लखनऊ तथा दिल्ली स्टेशनों की भांति सामने तैयार की गयी रोटियों की बिक्री का प्रबंध करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कानपुर से पूरब के स्टेशनों पर और दरअसल भारतीय रेलों को दूसरे स्टेशनों पर भी खाने की चीजें आम तौर पर वनस्पति घी या तेल में तैयार की जाती है।

(ख) शुद्ध घी में बनायी गयी चीजें पहले से पटना जंक्शन पर चलती-फिरती ट्रालियों में बेची जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर स्टेशन पर खाने की इस तरह की चीजें बेचने का विचार नहीं है।

जब पटना जंक्शन पर रेलवे की ओर से खान-पान का इंतजाम शुरू होगा तो यहां चलती फिरती ट्रालियों में सामने तैयार की गयी चपातियां बेचने का इंतजाम किया जायेगा। सोनपुर स्टेशन पर इस तरह की सर्विस शुरू करने का विचार नहीं है।

आयुर्वेदिक प्रशिक्षण संस्था

*११३१. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में एक ऐसी आयुर्वेदीक प्रशिक्षण संस्था खोलना चाहती है, जिसके स्नातक सरकार द्वारा मान्य होंगे ; और

(ख) भारत में कौन-कौन सी संस्थाओं को सरकार मान्यता देने योग्य समझती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी रेलवे में डिवीजन प्रणाली

†*११३३. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे में जो विभिन्न डिविज़न बनाये जा रहे हैं उनकी योगमील में लंबाई कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ डिवीज़नों के बनाने में भावी योग मील की संभावना पर भी विचार किया गया है; और

(ग) डिवीजनों की संख्या के संबंध में मूल योजना क्या थी और इस में कब परिवर्तन किया गया था और परिवर्तन के कारण क्या थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५**] ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मूल प्रस्तावना यह थी कि पश्चिमी रेलवे के सात डिवीज़न हों और बाद में रतलाम क्षेत्र में से गुज़रने वाले यातायात में प्रत्याशित वृद्धि तथा भावी निर्माणों पर विचार करते हुये यह निर्णय किया गया था कि आठ खंड हों ।

कटिहार-बारसोई लाईन

†*११३९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा कटिहार और बासोई के बीच दोहरी रेलवे लाईन के संबंध में जो सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया था रेलवे बोर्ड द्वारा उस का पर्यवेक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

त्रिपुरा के लिए चावल

†*११४१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा के लिये नियत कुछ चावल जून, १९५६ में पूर्वी पाकिस्तान में लूटा गया था ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या वह चावल त्रिपुरा सरकार का था या त्रिपुरा के कुछ वैयक्तिक व्यापारियों का था ; और

(ग) चावल की कितनी मात्रा का लूटा गया था ।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). सूचना मिली है कि पूर्वी पाकिस्तान में चावल के ५० थैलों को लूटा गया है । अभी यह निश्चित रूप से विदित नही हुआ है कि क्या लटा गया चावल त्रिपुरा सरकार का था या त्रिपुरा के वैयक्तिक व्यापारियों का था अथवा कि पाकिस्तान सरकार का था । पाकिस्तान सरकार से अभी पूछ ताछ की जा रही है ।

खड़गपुर के निकट रेल दुर्घटना

†*११४५. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ जुलाई, १९५६ के खड़गपुर तथा जाकपुर के बीच, जो दक्षिण पूर्व रेलवे पर स्थिति है; हावड़ा—अद्रा-चक्रधरपुर मुसाफिर गाड़ी के इंजन में ख़राबी के कारण यह दुर्घटना हुई थी ;

(ख) क्या ड्राइवर तथा फैयरमैंन आदि जल गये थे तथा उनमें से कुछ धक्के से बाहर जा पड़े थे ; और

(ग) क्या घायल कर्मचारियों को कुछ प्रतिकर दिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २६-७-५६ (तथा प्रश्न में उक्त २७-७-५६ को नहीं) २३·५० बजे जब नं ३१५ अप हावड़ा-अप्रा-चक्रधरपूर मुसाफिर गाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे पर स्थित खड़गपुर स्टेशन के निकट पहुंच रही थी, आग के डिब्बे के द्वारा से आग के इंजन के डिब्बे में पहुंच जाने के कारण इंजन के फेल हो जाने से रुक गई ।

(ख) इंजन का चालकरण अर्थात ड्राइवर और दो फायरमैन बुरी तरह से जल गये थे । दोनों फैयरमैन ६८/१६–१७ तथा ६९/१-२ मील संख्या पर, जब गाड़ी अभी चल रही थी, पायदान से कुद पड़े, थे, परन्तु ड्राइवर उस समय तक इंजन में बठा रहा जब तक कि वह गाड़ी को ठहरा न सका । बाद में ड्राइवर और एक फायरमैन खड़गपुरा रेलवे अस्पताल में घावों से मर गये ।

(ग) अभी तक नहीं ।

दिल्ली में व्यापक ज्वर

†*११४६. **श्री बंसल** : क्या **स्वाथ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तीव्र व्यापक ज़्वर जिसके शिकार अधिकतर बच्चे हैं; फैला हुआ है; और

(ख) जुलाई, १९५६ में बच्चों में इस तीव्र ज़्वर के जितने मामलों की सूचना अस्पतालों में मिली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** :(क) जी नहीं ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सौराष्ट्र रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†*११४८. **श्री० त० ब० विट्ठल राव :**
श्री डाभी :

क्या **रेलवे** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५५के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघलोक सेवा आयोग ने भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के तीन अधिकारियों को गवन के मामले में दिये जाने वाले दंड के संबंध में अपना निर्णय भेज दिया है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वन गवेषणा संस्था देहरादून

***११४९. श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन गवेषणा संस्था, देहरादून के संबधमें प्रोफेसर एच० जी० चैम्पियन की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति संसद्-पुस्तकालय में रखी जायेगी और मुख्य-मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल रखा जायेगा ; और

(ग) उन सभी सिफारिशों पर अथवा उनमें से कुछ एक पर अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं होते।

ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र

†*११५०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दौरान में एक और ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र तथा ट्रैक्टर जांच केन्द्र की स्थापना करने की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : द्वितीय प्रशिक्षण केन्द्र :—

१ जुलाई, १९५६ से बुदनी (भोपाल) में जो केन्द्र कार्य करने लगा है उसके संचालन से कुछ अनुभव प्राप्त हो जाने के पश्चात द्वितीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

टैक्टर जांच केन्द्र :—जांच केन्द्र के लिये अभी स्थान निश्चित नहीं किया गया है। इसके लिये प्रयत्न जारी है।

दिल्ली का विकास

†*११५१. **श्री दी० चं शर्मा** :
श्री भीखा भाई :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबु रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकर पुरी :
श्री कामत :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९९२ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भविष्य में विकास के लिये एक सर्वांगीण योजना तैयार करने के लिये सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त नगर आयोजकों ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ; और

(ग) दिल्ली में गन्दी बस्तियों को दूर करने के लिये अब तक जो कटरे लिये गये हैं उनका कितना मूल्य है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) तथा (ख) अन्तर्कालीन सामान्य योजना का प्रारुप पुरा होने वाला है। टेक्निकल विशेषज्ञों द्वारा छान-बीन करने के पश्चात, योजना के १ सितम्बर, १९५६ को सरकार को प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ग) गन्दे कटरों को लेने का आधार क्या हो उस पर अभी निर्णय नहीं किया गया है।

नेपाल को सहायता

*११५२. **श्री विभुति मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बौद्ध तीर्थों तक जाने वाली सड़कों के सुधार के लिये नेपाल सरकार को अनुदान दिया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया है और कौन-कौन सी सड़कें ठीक की जायेंगी; और

(ग) ये सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (ख) और (ग) : नेपाल में ककरावा से होकर जाने वाली नौगढ़-लुम्बिनी गार्डन रोड के मार्ग को बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा सहायता के रुप में ४·१७ लाख रुपये का अनुदान मंजूर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी निर्माण विभाग ने सड़क बनाने का काम हाथ में ले लिया है और उसके जल्दी से जल्दी पूरा हो जाने की आशा है।

कुल्लु में हवाई अड्डा

†*११५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिले में कुल्लु में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव किस स्थिति पर है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : क्षेत्र के स्थानावृत के कारण अनुसूचित वायू सेवा के लिये नियमित रुप से प्रयोज्य हवाई अड्डा बनवाने के लिये उपयुक्त स्थान चुनना संभव नहीं हो सका है। अतः इस मामले में प्रगति नहीं हो सकी।

मलेरिया की रोकथाम

† *११५४. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में मलेरिया की रोकथाम के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संघ के मलेरिया परामर्शदाता डा० पाल एफ० रसेल की सम्मति की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) मलेरिया की समस्या से भारत को मुक्ति दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** (क) : जी हां।

(ख) ऐसी समस्त जनता को जो ऐसे स्थानों में रहती है कि मलेरिया पीड़ित हो सकती है मलेरिया से बचाने के लिये मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को सरकार और अधिक विस्तृत कर रही है तथा अधिक क्षेत्र में लागू कर रही है।

चित्तौड़गढ़-कोटा लाईन

†*११५५. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की चितौड़गढ़-कोटा तथा उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) सर्वेक्षण विलम्ब से होने के क्या करण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६**]

पारदीप पत्तन

†*११५६. { **श्री संगण्णा** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य की सुकिन्डा खानों से लौह अयस्क का आसानी

---

†मूल अंग्रेजी में।

से यातायात करने की दृष्टि से वहां के पारदीय पत्तन के विकास का कार्य जापानी औद्योगिक विशेषज्ञों के एक दल को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का उस पर कोई नियंत्रण है और क्या वह कार्य की देख-रेख करती है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो किसके कहने पर जापानी विशेषज्ञों ने इस कार्य को हाथ में लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, इस कार्य के लिये एक संपूर्ण परियोजना प्रतिवेदन तैयार करन की दृष्टि से जापान के प्रविधिक विशेषज्ञों का एक सर्वेक्षण करने वाला दल उड़ीसा का दौरा कर रहा है।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा सरकार, जिसके कहने पर विशेषज्ञों ने कार्य अपने हाथों में लिया है, आवश्यक नियंत्रण तथा देख-रेख रखती है।

मध्य भारत का आदिवासी क्षेत्र

*११५७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत राज्य के आदिवासी क्षेत्र में रेलवे लाइन डालने के लिये क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलवे लाइन कितने मील लंबी होगी और कहां से कहां तक बनाई जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।
(ख) सवाल नहीं उठता।

शिमला के पास रेलवे दुर्घटना

*११५८. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री राम दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ जुलाई, १९५६ के १–१० म० प० पर शिमला से २० मील की दूरी पर कंडाघात और कनाओं रेलवे स्टेशनों के बीच एक दुर्घटना के फलस्वरुप कुछ आदमी मर गये और घायल हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का वास्तविक विवरण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) २९–७–५६ को दोपहर के समय लगभग १ बजकर २ मिनट पर जब, नं० ९ के० एस० सवारी-गाड़ी, उत्तर रेलवे के कालका-शिमला छोटी लाइन सेक्शन में कंडाघाट और कनाओं स्टेशनों के बीच ३७।६–७ मील पर मोड़ नं० ५१८ से गुज़र रही थी, उसका इंजन और उससे लगे हुये तीन डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से इंजन और उससे पीछे का दूसरा डिब्बा दोनों उलट गये।

इस दुर्घटना में दो आदमियों को गहरी और नौ को हल्की चोटें आयीं। जिन दो आदमियों को गहरी चोटें लगी थीं वे बाद में मर गये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

होमियोपैथिक संस्थायें

†*११५९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी होमियोपैथिक शिक्षण संस्थाओं की श्रेणी ऊंची की गई है ;

(ख) प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) क्या किसी अन्य संस्था की श्रेणी ऊंची करने का विचार है ; और

(घ) ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है जिनको होमियोपैथिक में गवेषणा करने की अनुमति और सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) तथा (ख) १९५६–५७ में निम्नलिखित दो संस्थाओं की श्रेणी ऊंची करने के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया है ;

(१) सरकारी होमियोपैथिक अस्पताल, सियोन, बंबई। ३८,०२० रुपया

(२) दि कलकत्ता होमियोपैथिक अस्पताल सोसाइटी, कलकत्ता । १,४९,८९० रुपया

(ग) जी हां।

(घ) कोई नहीं।

भारतीय वाणिज्यक नौवहन अधिनियम

†*११६०. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकर पुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है ; और

(ख) वह किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) संसद् में पुर:स्थापित करने के लिये एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

उड़िसा में खाद्य स्थिति

†*११६१. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में खाद्य पदार्थों की कमी है ;

(ख) इस राज्य की वर्तमान खाद्य स्थिति कैसी है ;

(ग) केन्द्रीय रिर्जव संग्रह में से अब तक कितने चावल और धान का संभरण किया गया है ;

(घ) चावल और धान का प्रचलित भाव क्या है ; और

(ङ) क्या उड़ीसा की हाल की बाढ़ों से खाद्य स्थिति को हानि पहुंची है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ङ) उड़ीसा राज्य में खाद्य पदार्थों की कुल मिलाकर कमी नहीं है। लगभग १,२०० उचित मूल्य वाली दूकानें चावल और धान क्रमश: १६ रुपये और ५ रुपये प्रति मन के भाव से बेचने के लिये खोली गई है। बाढ़ और सूखे से प्रभावित उन क्षेत्रों में जिनमें लोगों की क्रय शक्ति कम है और खुले बाजार वाले मूल्य ऊंचे है ; कुछ कठिनाई महसूस की जा रही हैं। उड़ीसा में चावल का खुला बाजार भाव १५ रु० १२ आ० से लेकर २० रुपये तक और धान का १० रुपये और १२ रुपये प्रति मन के बीच है।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†६८०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था द्वारा राज्यवार कितनी गवेषणा परियोजनायें स्थापित की जायेंगी ; और

(ख) कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था का द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित निम्नलिखित गवेशणा परियोजनायें विभिन्न राज्यों में आरंभ की जायेगी :

संख्या	योजना का नाम	राज्य का नाम तथा स्थान
१	मधुमक्खी पालन योजना	पूसा, बिहार।
२	सब्ज़ी पैदा करने का उपकेन्द्र	कुलू, पंजाब।
३	पौधे लगाने की योजना	निम्न स्थानों पर उपकेन्द्र खोले जायेंगे :— (१) कोचीन अथवा पट्टाम्बी त्रावनकोर-कोचीन। (२) अलमोड़ा, उ० प्र०। (३) नागपुर, म० प्र०। (४) जोधपुर अथवा राजस्थान में किसी अन्य जगह।
४	समायोजित पौधा विषाणु योजना	(१) पूना, बंबई। (२) शिमला, पंजाब।
५	समायोजित गेहूं धुन नियंत्रण योजना	(१) शिमला, पंजाब। (२) पूसा, बिहार। (३) वेलिंगटन, मद्रास। (४) इंदोर, म० भा०।

†मूल अंग्रेजी में।

संख्या	योजना का नाम	राज्य का नाम तथा स्थान
६	गेहुं रोग नियंत्रण योजना	शिमला, पंजाब ।
७	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के चार प्रादेशिक उप-केन्द्र इन स्थानों में खोले जायेंगे :	(१) मद्रास । (२) उ० प्र० । (३) आसाम । (४) राजस्थान ।

उपर्युक्त मद संख्या ४ और ५ की दो योजनायें जो पहले से ही भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली के अधीन कार्य कर रही थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ले ली गई हैं ।

स्टेशनों का अन्तःपाशन

†६८१. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के मार्ग पर के स्टेशनों के अन्तः पावान के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस (मार्ग) पर के कुल २९ स्टेशनों में से दो स्टेशनों का अन्तः पावान करने का काय किया जा रहा है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शेष २७ स्टेशनों को भी संमद्ध करने की योजना बनाई गई है ।

कलकत्ता में रेलवे प्रिंटिंग प्रेस

†६८२. **श्री रामानंद दास :**
श्री वाल्मीकी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे को बाहरी फर्मों द्वारा संभरण किये जाने वाले कागज़ तथा टिकट छपाने का मूल्य कुछ दिनों से विभागीय की तुलना मे अधिक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता के रेलवे प्रिंटिग प्रेस द्वारा छपाई के कार्य और टिकटों के संभरण तथा टिकट छापने वाले कागज की किस्म कुछ दिनों से घटिया हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्यों कि टिकटों को छपाने का कार्य पूर्वी रेलवे द्वारा विभागीय रुप से किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना

†६८३. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में बड़ी लाइन पर २० अतिरिक्त गाड़ियां और छोटी लाइन पर २० और अधिक गाड़ियां चलाने के कार्यक्रम पर अंतिम रुप से निर्णय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वे रेलवेवार मार्ग कौन-कौन से हैं जिन पर ये अतिरिक्त गाड़ियां चालू की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) कार्यक्रम, जिस पर अभी अंतिम रुप से निर्णय नहीं किया गया है, यह है कि १९५६–५७ में बड़ी लाइन पर २४ और छोटी लाइन पर २० अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जायें।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

राजस्थान में तारघर

†**६८४. श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के ऐसे सब डिवीजनल और तहसील मुख्यालय कितने हैं जिनमें अभी तक तारघारों की व्यवस्था नहीं है और १९५६–५७ में उन स्थानों में कितने तारघर खोलने का विचार है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** :

	सब-डिवीजनल नगर	तहसील नगर
१–४–५६ को जिनमें तारघरों की व्यवस्था नहीं थी।	४	३७
१९५६–५७ में अब तक जहां तारघरों की व्यवस्था हो गई है।	१	११
१९५६–५७ के शेष महीनों में जिनमें व्यवस्था हो जाने की आशा है।	३	२६ *

काजू

†**६८५. श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में औसतन २० पाउण्ड प्रति वृक्ष के हिसाब से काजू की इतनी कम पैदावार होने के क्या कारण है ;

(ख) पैदावार को बढ़ाने के लिये भारत सरकार से क्या विशेष सहायता मांगी गई है अथवा उसके द्वारा दी गई है ; और

(ग) काजू की पैदावार बढ़ाने तथा शोफहर का प्रयोग करने के मामले में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद द्वारा आरंभ किये गये गवेषणा कार्य का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमूख)** : (क) पैदावार कम होने के कई कारण बताये जाते हैं जैसे सामान्यत: जहां काजू बोया जाता है उस भूमि का उर्वर न रहना, पेड़ों के बीच पर्याप्त फासला न होना तथा बीजों से उगाचा जाना।

(ख) काजू की फसल में सुधार करने की गवेषणा योजना भारतीय कृषि गवेषना परिषद की ५० प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य में पहले से ही चल रही है। काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक विकास योजना भी राज्य सरकार से मांगी गई है।

(ग) मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन और आन्ध्र राज्यों में क्षैत्रिकी, वानस्पतिक तथा औद्यानिक जांच पड़ताल के द्वारा काजू में सुधार करने की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। काजू को उगाने के लिये एक उपयुक्त तरीका तैयार किया गया है जिसके द्वारा बहुत अच्छी किस्म के कुछ चुने हुये काजू के वृक्षों से अधिक पैदावार करने वाले पौधे तैयार किये जा सकेंगे।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अधीन शोफहर के इस्तेमाल करने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मैसूर में सी० एफ० टी० आर आइ द्वारा की गई जांच पड़तालों के परिणाम स्वरुप शोफहर से रस, मिस्टोद, मिश्री, फलपाक, चटनी, हलवा, रस वाले शोफहर और अचार आदि विभिन्न उत्पाद बनाने में विकास किया गया है। कोईर (आन्ध्र राज्य) की फल गवेषणा प्रयोग शाला में काफी बढ़िया काजू का मिस्टोद भी तैयार किया गया है।

---

* समय के अंदर वांछित सामग्री उपलब्ध हो जानेपर।

†मूल अंग्रेज़ी में।

बिना टिकट यात्रा

†६८६ **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये विभागों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे जोन कौन-कौन से हैं जिन में ये विभाग स्थापित किये गये हैं ; और

(घ) इस कार्य को करने के लिये इन विभागों द्वारा क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तथा (ख) किसी भी रेलवे में केवल बिना टिकट यात्रा करने को रोकने के लिये अलग विभाग नहीं है । प्रत्येक रेलवे के वाणिज्यिक विभाग का उत्तरदायित्व बिना टिकट यात्रा को रोकना होता है, जिसके साथ उसके अन्य कार्य भी रहते हैं ।

(ग) रेलों में बिना टिकट यात्रा करने को दूर करने के लिये जो तरीके अपनाये गये हैं उनमें ये तरीके भी सम्मिलित है :—

(१) स्टेशन के अन्दर जाने वाले और बाहर निकलने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच करने के लिये बड़े स्टेशनों के गेटों पर टिकट कलेक्टरों और छोटों स्टेशनों पर अन्य कर्मचारियों को तैनात करना ।

(२) निर्धारित कार्य-क्रमों के ,अनुसार निश्चित सेक्शनों पर टिकट चेकरों के कार्य की तथा यदा कदा आकस्मिक परीक्षण करने की व्यवस्था करना ।

(३) अनेक अवसरों पर रेलवे मजिस्ट्रेट के सहयोग से 'उड़ाकू दलों' (फ्लाइंग स्कवाड्स्) द्वारा बार बार आकस्मिक टिकट परीक्षण करना ; और

(४) स्टेशन टिकट कलेक्टरों तथा टिकट चेकरों के कार्य का स्तर निर्धारित करने के लिये समय-समय पर उन्हें "अदल बदल कर परीक्षण" करवाना ।

चीनी की प्रति-व्यक्ति खपत

†६८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५५–५६ में प्रति व्यक्ति चीनी के उपयोग का राज्यवार निश्चित पता लगाने का सर्वेक्षण किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** जी नहीं । ऐसा सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्यों में उपयोग की गई चीनी की कुल मात्रा के आंकड़ों का पहले से ही संकलन किया जा रहा है तथा उन आंकड़ों से विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति द्वारा उपयोग का पता लगाया जा सकता है । १९५५–५६ क सीज़न में प्रथम आठ महीनों मे चीनी का प्रति-व्यक्ति उपयोग निम्न प्रकार से था :—

राज्य	प्रति-व्यक्ति उपयोग (पाउण्ड)
१. आसाम	४·७
२. पश्चिमी बंगाल	१२·१
३. बिहार	४·१
४. उत्तर प्रदेश	५·३

†मूल अंग्रेज़ी में ।

राज्य	प्रति व्यक्ति उपयोग (पाउण्ड)
५. दिल्ली	६२·६
६. पंजाब	१३·५
७. राजस्थान	५·९
८. मध्य भारत	७·९
९. मध्य प्रदेश	६·०
१०. उड़ीसा	२·०
११. सौराष्ट्र	२१·८
१२. बंबई	१५·५
१३. हैदराबाद	३·७
१४. मैसूर	५·८
१५. आन्ध्र	३·६
१६. मद्रास	५·४
१७. त्रावनकोर-कोचीन	४·३

पंजाब में डाक, तार तथा टेलीफोन कार्यालय

†६८८. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के कांगड़ा तथा गुरदासपुर जिलों के किन स्थानों पर डाकखानें, तारघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन कॉल कार्यालय १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में खोले गये थे ; और

(ख) इन ज़िला के लिये १९५६–५७ का कार्यक्रम क्या है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

जिन स्थानों पर कार्यक्रम खोले गये उनके नाम

वर्ष	जिलों के नाम	डाकखाने जो मिश्रित नहीं है	डाक तथा तारघर मिश्रित	सार्वजनिक टेलिफोन कॉल कार्यालय
१	२	३	४	५
१९५४–५५	कांगड़ा	१. झलमन	इंदौर	पपरौला
		२. बलक रूपी	बंजर	बैजनाथ
		३. हरीपुर	बेरसर	

†मूल अंग्रेज़ी में ।

१	२	३	४	५
		४. सथना	नग्गार	नग्गार
		५. चमियाना	लडरौर	
		६. मनझर		
		७. सेहरी		
		८. माहौल		
		९. डरकोटा		
		१०. बहली		
		११. कोहला		
		१२. झीरा		
		१३. बजरोल		
		१४. सकोह		
		१५. कुकेहार		
		१६. हतली		
		१७. हालकियां		
		१८. सवाना		
		१९. नेहरान पोखर		
		२०. कोटी त्रिलोकपुर		
		२१. काश्मीर		
		२२. मेर		
		२३. जहु		
	गुरुदासपुर	पंडोरी वैसन	कोई नहीं	कोई नहीं
		अकरपुर { प्रशिक्षण विस्तार मध्य बटाला		
		भटोआ मैनी मैन खां		
१९५५-५६	कांगड़ा	१. भटवान	कोई नहीं	कोई नहीं
		२. धुयकियारा		
		३. बनेद की हट्टी		
		४. फोजल		

१	२	३	४	५
		५. गोरसा		
		६. जम्बल		
		७. मोहाल		
		८. साधू बरगरान		
		९. सगौर		
		१०. बालू ग्लोअ		
		११. भयाम्बी		
		१२. लगरु अभरोल		
		१३. नधार		
		१४. फाकलोह		
		१५. सोलोल		
		१६. बेह		
		१७. बुढ़ानी		
		१८. ककारयार		
		१९. बारी		
		२०. बोरु		
		२१. काथाग		
		२२. लूरी		
		२३. सराहन		
		२४. बथरा		
		२५. घामुर		
		२६. कथोली		
		२७. रक्कड़		
		२८. सरोत्री		
		२९. जयमल		
		३०. दोढ़्		
		३१. खरोता		
	गुरदास-पुर	फज़लाबाद मडौल कालोनी पठानकोट चौन्टा	कोई नहीं	फतेहगढ़ चूड़ियाँ ककलोह

(ख) (१) कांगड़ा जिले में १९ डाकखाने तथा गुरदासपुर जिले में ५ डाकखाने १९५६-५७ में यदि जांच के पश्चात् न्यायोचित पाये गये तो खोलने का विचार है ;

(२) यदि समय पर आवश्यक सामग्री प्राप्त हो गयी तो निम्न स्थानों पर तारघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जाने का विचार है।

(१) सार्वजनिक टेलिफोन कार्यालय

कांगड़ा जिला	गुरदासपुर जिला
१. नूरपुर	कोई नहीं
२. कूलू	
३. थूराल	
४. सुजानपुर	
५. पालमपुर रेलवे स्टेशन	
६. हमीरपुर	

(२) तारघर

१. भुरंज	कोई नहीं

हरखुआ स्टेशन

†६८९. **श्री झुलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हरखुआ" स्टेशन का नाम 'गोपाल गंज' नाम में बदलने की जनता की मांग है, क्योंकि यह स्टेशन गोपाल गंज सब-डिवीजन में अवस्थित है; और

(ख) यदि हां, तो यह नाम परिवर्तन करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां।

(ख) हरखुआ रेलवे स्टेशन का नाम गोपाल गंज में बदलना उचित नहीं समझा गया क्यों कि यह नाम पाकिस्तान में रिवर स्टीम नेवीगेशन कंपनी में स्थित वर्तमान स्टीम स्टेशन गोपाल गंज के नाम से मिलता है तथा इससे गड़बड़ी पैदा होगी।

अखिल-भारतीय चिकित्सा संस्था
सफदर जंग

†६९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था, सफदर जंग का भवन पूरा हो चुका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** कुछ भवन बन चुके हैं। जो भवन बन चुके हैं तथा जो बन रहे हैं और पूरे होने बाकी है, उनके नाम दिखाने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता हैं [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ७**]।

रेलवे में सुरक्षित पद

†६९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में प्रत्येक रेलवे में कितने रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्व थे ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) इसी अवधि में, प्रत्येक रेलवे पर कितने रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति रखे गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ८**]।

भाण्डार क्रय

†६९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारतीय रेलों द्वारा विदेशों से कुल कितने मूल्य के भांडार खरीदे गये ; और

(ख) उसी वर्ष भारत में कितने मूल्य के भांडार खरीदे गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

(क) लगभग १५.६८ करोड़ रुपये।

(ख) लगभग ९९.५७ करोड़ रुपये।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में खाद्यान्न फसल गवेषणा केन्द्र

†६९३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास द्वितीय योजना में त्रावणकोर-कोचीन राज्य में एक नया खाद्यान्न फसल गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कीड़ा लगने से नष्ट हुई फसल के लिये वित्तीय सहायता की प्रार्थना का सरकार के कोई स्थापना प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) त्रावनकोर-कोचीन राज्य की नारियल पैदा करने वाली रैयत का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमे राज्य की नारियल की फसल के रोगों तथा कीड़ों पर नियंत्रण करने के निम्न सुझाव है :—

(१) अधिक गवेषणा केन्द्र जिनमें पर्याप्त कर्मचारी है तथा जो समान रुप से वितारित है, राज्य में प्रारंभ होने चाहिये तथा उनको, पर्याप्त यंत्र, कृमि नाशक, रसायन तथा खाद आदि दिये जाने चाहिये।

(२) यदि कोई भारतीय पौधा रोग निदान विशेषज्ञ उपलब्ध न हो तो किसी विदेशी विशेषज्ञ कि सेवायें प्राप्त की जायें।

(३) भारतीय रबड़ तथा काफी बोर्ड के समान नारियल उत्पादकों तथा विशेषज्ञों का एक स्थायी बोर्ड बनाया जाये जिसमें जनता का सहयोग प्राप्त हो सके।

(४) बड़े कृषकों तथा छोटे भूमिधारियों को पिचकारियां, खाद तथा कृमिनाशक आदि मुफ्त अथवा रियायती मूल्य पर देने चाहिये।

(५) नारियल उत्पादकों तथा अन्य संबंधित उपयोगों की एक तदर्थ समिति बनाई जानी चाहिये जो समस्या का अध्ययन करे तथा उपचार संबंधी उपायों का सुझाव दें।

(६) विधान बना कर अथवा कार्यपालिका आदेशों से छिड़काव (स्प्रेइंग) अनिवार्य कर देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति तथा इसके दो केन्द्रीय नारियल गवेषणा केन्द्रों करना गोड़ तथा कमानगुलम, प्रथम पांच सुझावों में बताये गये मामलों पर ही प्रयोग कर रहे हैं तथा कोई अन्य कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

अंतिम सुझाव के बारे में राज्य सरकारों ने, राज्य के वर्तमान विधान को स्थिति के आवश्यकता नुसार बनाने के लिये आवश्यक संशोधन कर दिये हैं।

श्रम कल्याण पदाधिकारी

†६९४. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार तथा उड़ीसा के खनिज क्षेत्रों के श्रम हितकारी पदाधिकारियों की संख्या कितनी हैं, वे किस राज्य के हैं और किन स्थानों पर वे काम करते हैं ?

(ख) बिहार तथा उड़ीसा के खनिज क्षेत्रों में प्रसूति केन्द्र कितने है ; और

(ग) प्रसूति केन्द्र में कितने डाक्टर तथा नर्सें हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ⊥

विदेशी पर्यटक

†६९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में कितने विदेशी पर्यटकों ने आगरा देखा ; और

(ख) उनको क्या सुविधायें दी गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९,७६६

(ख) भारत सरकार ने आगरे में एक पर्यटक सूचना कार्यालय खोला है। अन्य बातों के साथ साथ, देखने के स्थानों, निवास स्थानों, यातायात, प्रशीक्षित पथ प्रदर्शकों आदि की व्यवस्था के संबंध में सूचना देने की सुविधायें सम्मिलित हैं।

कुष्ठ रोग

†६९६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सल्फोन चिकित्सा पद्धति केन्द्रों की संख्या तथा स्थान जहां कुष्टरोग की चिकित्सा होती है ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने व्यक्तियों के लिये व्यवस्था है ;

(ग) प्रथम योजनावधि में कितने व्यक्तियों की चिकित्सा हुई; और

(घ) द्वितीय योजनाविधि में किन स्थानों पर तथा कितने और केन्द्र स्थापित होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कुली

†६९७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर कितने लाइसेंस प्राप्त कुली हैं ;

(ख) उनमें से कितने को वर्दी दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) उन पर नियंत्रण अथवा अधीक्षण पदाधिकारी कौन है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ४,३०५।

(ख) १०१।

(ग) जहां ऐसे कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं, प्लेटफार्म निरीक्षक तथा प्लेटफार्म फौरमैन। जहां ऐसे कर्मचारी नियुक्त नहीं किये जाते हैं वहां स्टेशन मास्टर अथवा स्टेशन अधीक्षक नियंत्रक पदाधिकारी होते हैं।

चावल का निर्यात तथा आयात

†**६९८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६ में अब तक भारत से कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था ; और

(ख) भारत में कितने मात्रा में चावल का आयात किया गया तथा उसका मूल्य क्या था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जून १९५६ तक भारत से २२३.२६ लाख रुपये के मूल्य की ४२.७ हजार टन चावल निर्यात किया गया था ।

(ख) इसी तिथि तक भारत में ७२.६ लाख रुपये (मूल्य तथा भाड़ा) के मूल्य का १४.१ हजार टन चावल आयात हुआ है।

पेप्सू में बंजर भूमि

†**६९९. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५५ में कृषि योग्य कितनी बंजर भूमि थी ;

(ख) १९४९ से १९५५ तक प्रत्येक वर्ष अलग अलग इस प्रकार के कितने भूमि क्षेत्र म राज्य ने कृषि प्रारंभ की ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य को इस कार्य के लिये कोई सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना धन दिया है तथा यह सहायता किस प्रकार दी गई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	कृषि योग्य बेकार भूमि	बंजर भूमि (हजार एकड़)
१९५४–५५ *	५५१	४६१

---

*प्राक्कलित पुनरक्षण हो सकता है ।

टिप्पणी:—कृषि योग्य बेकार भूमि, वह भूमि है जिसमें कृषि हो सकती हो परन्तु कृषि के लिये काम में नहीं ली गई हो अथवा किसी कारण से खेती करने के कुछ वर्ष पश्चात छोड दी गयी हो ऐसी भूमि या तो बंजर होती है अथवा उस पर झाड़ी अथवा जंगल होते हैं जिससे उसका उपयोग नहीं उठाया जा सकता है। ये भूमियां निर्धारण की हुई हो सकती हैं। अथवा बिना निर्धारन की हुई और अलग अलग पड़ी हो सकती हैं अथवा कृषि भूमि के बीच में एक बार जिस भूमि में कृषि हुई हो परन्तु एक साथ पांच वर्ष तक जिसमें कृषि नहीं हुई हो, ऐसी भूमि भी इस श्रेणी में आती है।

बंजर भूमि वह भूमि है जिसमें पांच वर्ष से अधिक खेती न हुई हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) पेप्सू में वर्षवार कृषि योग्य बंजर भूमि में कृषि करने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं है। परन्तु १९४९–५० से १९५५–५६ तक पेप्सू में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के अधीन बेकार भूमि में की गयी कृषि के एकड़ दिखाने वाली सूचना इस प्रकार है :—

(हजार एकड़ों में)

१९४९–५०	२
१९५०–५१	४०
१९५१–५२	२७
१९५२–५३	१३
१९५३–५४	३३
१९५४–५५	३६
१९५५–५६ (लक्ष्य)	८१
१९५५–५६ (लक्ष पूर्ति)	२९*

*ये आंकडे जुलाई १९५५ से मार्च १९५६ तक की अवधि के सम्बन्ध में हैं।

टिप्पणी : ये आंकड़े इनके संबंध में है :

(१) राज्य ट्रैक्टर संगठण द्वारा बेकार भूमि की सफाई तथा कृष्य करण और

(२) यांत्रिक कृषि।

(ग) जी, हां।

(घ) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण नीचे दिया जाता है।

अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत बेकार भूमि में कृषि करने का वास्तविक व्यय (भारत सरकार का भाग)

(रुपये लाखों में)

पेप्सू

वर्ष	सही व्यय	
	ऋण	अनुदान
१९४९–५०(क)		
१९५०–५१	९·०५	०·४२
१९५१–५२	११·४२	०·६०
१९५२–५३	५·५२	.
१९५३–५४	२६·६९	. .
१९५४–५५	२५·०४	. .
१९५५–५६	४८·०३(स)	. .

(क) केन्द्रीय सरकार का व्यय कुछ नहीं हुआ बताया गया है। खाद्य लाभांश में से राज्य द्वारा योजना को धन दिया गया था।

(ख) स्वीकृत धनराशि

टिप्पणी : व्यय इनके संबंध में है :

(१) राज्य ट्रैक्टर संगठन द्वारा बेकार भूमि की सफाई तथा कृष्यकरण, और

(२) यांत्रिक कृषि।

रेलवे दुर्घटना

७००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विगत २१ जून को सायं ३–३५ पर पाण्डु क्षेत्र में कटिहार-सिलीगुडी मुख्य लाइन पर अधिकारी और गलगलिया स्टेशनों के बीच ९७० डाऊन मालगाड़ी का पिछला डिब्बा और ब्रेक-वैन एक पुल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : २१–६–५६ को दिन में लगभग ३ बजकर ३५ मिनट पर जब ९७० डाऊन मालगाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के पाण्डु रीजन के सिलीगुडी-कटिहार सेक्शन के अधिकारी और गलगलिया स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसका पिछला ब्रेक वैन नं० २६०१२ और उससे लगा हुआ खाली बन्द माल डिब्बा नं० ७६०८ (जो इंजन से बीसवें नंबर पर था) २५/९–१० मील पर पटरी से उतर गये और पुल नं० ८८ तक खिचते चले गये जो मील नं० २६/४ पर है। वहां पहुंच कर ये डिब्बे उलट गये और नीचे नदी में गिर पड़े। इंजन से उन्नीसवां माल-डिब्बा नं० १२०१ भी पटरी से उतर गया।

रेलवे दुर्घटनायें

७०१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की अनवरगंज-अचनेर लाइन पर एक ही दिन अर्थात् विगत २५ जून को दो रेल-दुर्घटनायें हुई, और

(ख) यदि हां, तो उनके ब्योरे और कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन :) (क) तथा (ख). २५ जून १९५६ को पूर्वोत्तर रेलवे के कानपूर-अछनेरा सेक्शन पर जो दो दुर्घटनायें हुईं उनका ब्योरा इस प्रकार है:–

(१) २५–६–५६ को शाम को लगभग ४ बजकर ३० मिनट पर, जब ४६५ अप कानपुर कासगंज सवारी गाड़ी, पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर-फतेहगढ़ मुख्य लाइन सेक्शन के गुरसहायगंज और खुदागंज स्टेशनों के बीच जा रही थी तो ६७/९ वे मील पर उसके इंजन से एक भैंस कट गयी। गाड़ी का कोई डिब्बा पटरी से नहीं उतरा, लेकिन गाड़ी ११ मिनट तक वहीं रुकी रही। इसमें न कोई घायल हुआ और न रेलवे को किसी तरह का नुकसान हुआ।

रेल की पटरी पर भैंस के आजाने के कारण दुर्घटना हुई।

(२) फिर २५-६-५६ की रात में लगभग ७ बजकर १८ मिनट पर जब यही गाड़ी अर्थात ४६५ अप कानपूर-कासगंच सवारी गाडी पूर्वोत्तर रेलवे के फत्तेगढ़-कासगंज सेक्शन के कायमगंज और रुदैन स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो इंजन से सातवें डिब्बे (तीसरा दर्जा नं० टी० ३७८९) के रौकर बार का बायां ट्रेलिंग हेंगर बोल्ट टूट गया, लेकिन इससे कोई दुर्घटना नहीं हुई।

जहाजों का खरीदा जाना

७०२. **श्री वाल्मीकी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे वर्ष १९५६–५७ में अब तक भारत के पोत समवायों (जहाजी कंपनियों) ने किन-किन देशों को जहाजों की खरीद के लिये आर्डर भेजे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन:) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, लिमिटेड बिशाखापतनम को आर्डर देने के अलावा भारतीय जहाजी कंपनियों ने इस बीच जर्मनी, बेलजियम और यूगोस्लाविया में भी जहाज़ बनाने के लिये आर्डर दे दिये हैं।

लहरिया सराय और सकरी स्टेशन

†७०३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में लहरिया सराय और सकरी स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड डालने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या फैसला किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन :)** (क) तथा (ख). लहरी सराय पर ३०० फुट लम्बा प्लेटफार्म शेल्टर बनाने का विचार किया गया है और इस कार्य को १९५६–५७ के कार्यों में सम्मिलित कर लिया गया है। सकरी स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म शेड बनाने का निश्चय नहीं किया गया है।

रेलवे अधिकारी

†७०४. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) २००० रुपये से ऊपर मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या ; और

(ख) प्रतिमास १५० रुपये से नीचे वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ११५।

(ख) ९,२०८,३०६।

सिंचाई की छोटी योजनायें

†७०५. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ के दौरान में पंजाब और पेप्सू की सरकारों द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) इन योजनाओं की संख्या कितनी थी ; और

(ग) इस संबंध में इस वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** :(क) पंजाब २२,३९,७४३ रुपये।

पेप्सू २९, ९०, २५० रुपये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) पंजाब ३३

पेप्सू ५

(ग) सूचना नीचे दी जाती है :

१. पंजाब में नहरों द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्रों में नालियां बनाने की योजनायें ।

२. कांगड़ा और अम्बाला जिलों में छोटी नहरों (कूल्हस्) का बनाना ।

३. पूर्वी नहर के नये क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार ।

४. मम्दोत शाखा नहर के अन्तिम भाग का विस्तार ।

५. गज्जर शाखा नहर का निर्माण ।

६. खुरंज शाखा नहर का विस्तार ।

७. फाज़लिका शाखा नहर की आलमशाह की छोटी नहर का विस्तार ।

८. क्वायर सिंह सिंधवाला नहर क अंतिम भाग का विस्तार ।

९. शाह नाहर नहर को फिर से बनाना ।

१०. गजरानी माईनर का विस्तार तथा इसके तिंगराना और राजपुरा की छोटी उप नहरों का निर्माण करना ।

११. डंग की छोटी नहर का निर्माण ।

१२. गुड़गांव जिले की रिवाडी तहसील को सिंचाई की सुविधायें प्रदान करना ।

१३. शमडू की छोटी नहर का विस्तार ।

१४. पेटवार की शाखा नहर की सेवाना की छोटी नहर का निर्माण ।

१५. सुर्खपुर की छोटी नहर का निर्माण ।

१६. पलवास की छोटी नहर की मुरम्मत तथा विस्तार ।

१७. जमनी खेरा की छोठी नहर का निर्माण ।

१८. झज्जर के दक्षिण में सिंचाई का विस्तार ।

१९. गड्टा की छोटी नहर का निर्माण ।

२०. बदेसरा की छोटी नहर का निर्माण ।

२१. गोगरीपुर की छोटी नहर का निर्माण ।

२२. जी० टी० रोड के पूर्व में दिल्ली शाखा की वर्तमान सिंचाई सीमा के क्षेत्रों में करनाल और रोहतक के जिलों से लेकर दिल्ली की सीमा तक सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना ।

२३. समालखा में छोटी नहर का निर्माण ।

२४. जौनती की छोटी नहर की बुराही की छोटी उपनहर का विस्तार ।

२५. खेरी में शाखा नहर का निर्माण ।

२६. मुडका में छोटी नहर का निर्माण।

२७. रम्बा में शाखा नहर का निर्माण।

२८. छेहराता में शाखा नहर का निर्माण।

२९. अजनाला में शाखा नहर का निर्माण।

३०. बैजनाथ नाले का निर्माण।

३१. किरण नाले का निर्माण।

३२. कलनपर में शाखा नहर का निर्माण।

३३. वक्रा की छोटी नहर की सिंचाई का दुबल खां, माजरा बाकरा सिवाना तथा पिलान्स के गावों तक विस्तार करना।

३४. झांगीरपूर में लिफ्ट चैनल का निर्माण।

३५. घासा छोटी नहर का विस्तार।

३६. दुलकोरा की शाखानहर की आर० डी० ६५,००० आर में से रिवाड़ी खेरा की छोटी नहर का निर्माण।

३७. परमाना में छोटी नहर का निर्माण।

३८. सुन्दर शाखानहर की आर० डी० १५,७,००० आर में से धामना की छोटी नहर में लिफ्ट चैनल बनाना।

३९. भिवानी खेरा की छोटी नहर का विस्तार।

४०. मोर में छोटी नहर का निर्माण।

४१. परमाना और वेधग गांव की सिंचाई के लिये करसोला की छोटी नहर का विस्तार करना।

४२. हरीता की छोटी नहर तथा उसकी छोटी उपनहर ढाका निर्माण करना।

४३. पेटवार शाखा नहर की मुरम्मत करना।

४४. नल लगाने की योजनायें।

४५. परिच्यवन कूपों की खुदाई।

४६. गुड़गांव जिले में बांध बनाना।

पेप्सू

१. कुवों की खुदाई।

२. नल कूपों की खुदाई।

३. नल लगाना।

४ पुराने तथा बेकार कुओं की मुरम्मत करना।

५. स्कूलों की मुरम्मत करना।

पंजाब में अतिरिक्त गाडीयां

†७०६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य में और अधिक पार्सल तथा सवारी गाडियां चलाने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तों इस पर क्या कारवाई की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन :)** (क) पार्सल गाड़ियों के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई है । किन्तु पंजाब सरकार ने अमबाला छावनी और चंडिगढ़ तथा भटिण्डा और सिरसा के बीच और अधिक सवारी गाड़ियां चलाने की जरुर प्रार्थना की है ।

(ख) अम्बाला छावनी और चंडीगढ़ के बीच इतना यातायात नहीं है कि वहां पर अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता हो । किन्तु भटिण्डा और सिरसा के बीच अधिक गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता के प्रश्न पर, अभी विचार किया जा रहा है ।

कपास की खेती

†७०७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में कितने एकड़ भूमि पर कपास की खेती की जायेगी ?

†**कृषी मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये कपास की खेती के लिये कोई क्षेत्रफल नहीं निश्चित किया गया है । किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में कपास की खेती का क्षेत्रफल लगभग २०६.४ लाख एकड़ हो जायेगा । इस से कपास का उत्पादन १९५४–५५ में ४२ लाख गांठों से बढ़कर १९६०–६१ में ५६ लाख गांठों तक हो जायेगा ।

हिंदुमल कोट-हरिद्वार गाड़ी

†७०८. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार हिन्दुमल कोट से हरद्वार तक सीधा डिब्बा लगाने का कोई विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं, क्यों कि इसके लिये इतनी भीड़ नहीं होती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब और पेप्सू में मलेरिया की रोकथाम

†७०९. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(क) सरकार ने १९५५–५६ में पंजाब और पेप्सू में मलेरिया नियंत्रण के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इस समय पंजाब और पेप्सू में कितनी मलेरिया यूनिट काम कर रही है और कहां कहां पर ;

(ग) पंजाब और पेप्सू में मलेरिया नियंत्रण की योजनाओं पर १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में अभी तक कितना रुपया व्यय हुआ है ; और

(घ) १९५६–५७ के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** (क) तथा (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ९**]।

(ख) पंजाब में ७ मलेरिया नियंत्रण यूनिटें काम कर रही हैं। उनके मुख्य स्थान गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, जालंधर, फिरोजपुर गुरदासपुर और पालमपुर में है। पेप्सू में पटियाला और कपूरथला में दो यूनिटें काम कर रही हैं।

(ग) १९५५।

राज्य	केन्द्रीय सहायता	राज्य व्यय	योग
पंजाब	१३,०६,६९० रु०	८,७२,९६५ रु०	२१,७९,६५५ रु०
पेप्सू	३,४४,६९५ रु०	२,४३,३३२ रु०	५,८८,०२७ रु०
	१९५६–५७ (जून, १९५६ तक)		
पंजाब	६,९४,९५६ रु०	१,३९,९८८ रु०	८,३४,९४४ रु०
पेप्सू	३,२९,३०१ रु०	(सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी)	

फाजिल्का में ऊपर का पुल

†७१०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब राज्य में फाज़िल्का की जनता से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर एक पुल बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) और (ख). फाजिल्का की जनता से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु इस सम्बध में की गई जाँच से विदित होता है कि इस लाइन पर यातायात इतना नहीं है कि जनता को असुविधा होती हो।

सिंधु पुनर्वास निगम

७११. श्री चाड़क : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिन्धु पुनर्वास निगम का पंजीयन किस तारीख को हुआ था ;

(ख) इसके सदस्यों की संख्या, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों के नाम क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) इस निगम के उद्देश्य और कर्तव्य क्या है ;

(घ) इस निगम को सरकार की ओर से अब तक किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई है ;

(ङ) अब तक इस निगम ने किस प्रकार का काम किया है और उस पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(च) क्या सरकार ने कभी इस निगम के लेखे का परीक्षण कराया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २६ जनवरी १९४८ ।

(ख) ८,००० सदस्य ।

प्रबन्ध निदेशक : श्री प्रताप दयाल दास :

सरकारी निदेशक :

(१) श्री पी० एन० सक्सेना ।
डैवलपमेंट कमिशनर, कांडला ।

(२) श्री एस० ए० घटमे,
चीफ कमिशनर, कच्छ ।

(३) श्री आर० जी० अम्भी,
डिप्टी सैक्रेटरी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

(४) श्री सावित्री प्रसाद,
डिप्टी सैक्रेटरी, पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार

अन्य निदेशक

(५) श्री भवानजी अर्जन खिमजी ।

(६) श्री होतचन्द गोपाल दास अदवानी ।

(७) श्री रामचन्द्र लीलाराम ।

(८) श्री गोविन्द राम हस राम ।

(९) श्री पुरुषोत्तम सिंह लुबीदास सिंह बजाज ।

(१०) श्री कल्याणजी धानजी शाह ।

(११) श्री लालजी महरोत्रा ।

(१२) श्री दीवानीमल एच० हीरानन्दानी ।

(ग) भारत से बाहर के और खास कर सिन्ध से आये हुये निर्वासितों को फिर से बसाना तथा पुनःस्थापित करना और उनके लिये जमीन प्राप्त करना तथा उसको सुधारना और उसमें मकानों को बना कर तथा इनमें बसने वालों के लिये अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को देना और उनके लिये रोजगार आदि की सुविधायें को प्राप्त करना ।

(घ) (१) सिन्धु पुनर्वास निगम के लिये सरकार की ओर से सहायतार्थ। ५० लाख रुपय

(२) सिन्धु पुनर्वास निगम को विस्थापितों के मकानों के लिये। १२० लाख रुपये

(३) गान्धी धाम में सिन्धु पुनर्वास निगम के हिस्सेदारों को जमीन के टुकड़ों के विकास और वितरण के लिये सरकार ने २६०० एकड़ जमीन पट्टे पर दे दी है।

(ङ) प्रशासन और छोटे छोटे उद्योग धन्धों जैसे कि–बिजली देने, सिमेंट ब्लाक के यंत्रादि के उत्पादन, आर० सी० सी० स्पन पाइप्स, तथा पोलो फैक्टरी, यांत्रिक और स्वचालित कारखानों को चलाने, व्यपारिक आधारों पर ठेकों पर काम, लेने करीब ४०० एकड़ जमीन को उन्नत करने जैसे कि–उसमें सड़क बनाने, पानी की व्यवस्था करने, नालियों निकालने, सामाजिक सुविधाओं को देने मिसाल के तौर पर–सार्वजनिक पार्कों, सिनेमा, मंदिर, क्लब, शिक्षा सम्बधी संस्थाये, बस सर्विस, स्वास्थ्य संरक्षण और जन स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करने, व्यापारिक कार्यों व जमीन कि उन्नति तथा विस्थपितों के लिये मकानों के बनाने पर ३१–३–५५ तक २,१८,३२,६६१ रुपये खर्च हो चुके है।

(च) जी हां, सौराष्ट्र प्रौजेक्ट के कम्पट्रौलर ने इस लेखे की जांच की है।

वन श्रमिक सहकारी समितियां

†७१२. **श्री भीखा भाई :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी वन श्रमिक सहकारी समितियां को खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि इन समितियों को कोई रियायतें दी गई हैं, तो क्या ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में वन श्रमिक सहकारी समितियों के लिये विशेष रुपसे कोई उपबंध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन

†७१३. **श्री सै० खां० रजमी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा भोपाल के सुल्तानपुर फार्म में कितनी वन्य भूमि का कृष्य-करण कर के खेती करने के योग्य बनाया गया है ;

(ख) क्या इस कृष्यकरण के लिये ट्रेक्टरों के द्वारा कुछ श्रमिक काम पर लगाये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों को कितनी धन राशि दी गई ; और।

(घ) कृष्यकरण के कारण जो लकड़ी मिली है. उसे किस प्रकार बेचा गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) ८८२६ एकड़।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन नहीं होता।

(घ) टेंडरों के आधार पर रायलटी लेकर गैर-सरकारी ठेकेदारों के द्वारा लकड़ी को बेचा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सुलतानपुर फार्म

†७१४. **श्री सै० खां० रजमी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल राज्य के सुल्तानपुर फार्म के कितने क्षेत्रफल में १९५४ की रब्बी फसल में ३४०० मन पैदावार हुई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** कुल क्षेत्रफल १२८४ एकड़ है जिसमें से ५३७ एकड़ में गहुं, ६६२ एकड़ में चना और पांच एकड में मटर की काश्त की गई थी ।

भुमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाना

†७१५. **श्री सै० खां० रजमी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमिहीन कृषि श्रमिकों के १००० परिवारों को भोपाल राज्य में स्थित सुल्तानपुर स्थान पर बसाने की जो योजना १९५३ में बनाई गई थी उसमें १९५५ में कोई रुप भेद किया गया था; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) योजना में रुप भेद करने के मूल कारण यह थे :—

(१) मूल योजना में दी गई शर्तो पर भूमिहीन श्रमिक उस फार्म में नहीं बसना चाहते थे;

(२) सिंचाई की उनपर्याप्त सुविधायें न होने के कारण जिनकी कि पहले कल्पना की गई थी मूल योजना में अवेक्षित भूखंड़ो से अधिक बड़े भूखंड आवंटित करना आवश्यक हो गया ;

(३) मूल योजना में यह विचार किया गया था कि चकबन्दी के पश्चात फार्म क्षेत्र का एक ही खंड हो जायेगा परन्तु ऐसा न होकर उसमें विभिन्न आकार के कई खंड हैं जो १७ मील की लंबाई में फैलें हुये हैं ।

इमारती लकड़ी के वृक्षों का विकास

†७१६. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांसमिशन खम्भों और फरनीचर के लिये इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के हेतू वृक्षों के विकास के लिये कितनी धन राशी पृथक रक्षित की गई है ;

(ख) गत पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष में कितनी और किस प्रकार की लकड़ी का आयात किया गया ; और

(ग) आयात को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) ट्रांसमिशन खम्भों और फरनीचर के लिये इमारती लकड़ी के उत्पादन के हेतु विशेष रुप से कोई पृथक रक्षण नहीं किया गया है । यह आवश्कतायें इमारती लकड़ी के अधिक उत्पादन की सामान्य योजनाओं से पूरी की जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

गुण प्रकार	एकक	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
डील और चीड़ की लकड़ी	टन	१,८९९	१,९१६	३,१४२	२,६६६	२,१८७
जर्रा लकड़ी	,,	१,१२९	..	..	..	..
सागवान की लकड़ी	,,	४४,८८१	१८,३४८	१३,७५७	११,८७२	३०,१५७
जलाने की लकड़ी	,,	९,४२२	१६,२५०	९,११६	१४,७८५	३०,९०६

(ग) अधिक लकड़ी काटने की विशेषकर बहुत दूर स्थित बनों में से लकड़ी काटने की सुविधाओ देने उपचार और सीज़निंग द्वारा दूसरे दर्जे की लकड़ी की गुण प्रकार में सुधार करने में अडंमान के बनों से मुख्य रुप से इस देश की लकड़ी का संभरण करने के लिये उनका विस्तार करने का उद्देश्य आयात को कम करना और इमारती लकड़ी के संबंध में राष्ट्रीय आत्म निर्भरता को प्राप्त करना है।

त्रिपुरा में खाद्य स्थिति

†७१७. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, १९५६ में खाद्य समन्वय समिति, त्रिपुरा से वहां की खाद्य स्थिति के और भी खराब होते जाने के बारे में कोई नोट अथवा ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में कौन कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां, खाद्य समन्वय समिति, त्रिपुरा से एक नोट मिला था।

(ख) और (ग). नोट में जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया था और त्रिपुरा सरकार ने उनपर जो कार्यवाही की थी उसका एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या १०**]।

पर्यटन

†७१८. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८७ के संबंध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिल्का झील के विकास और पुरी से कोणार्क तक एक सड़क बनाने के काम में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). पर्यटन संबंधी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भाग २ में जिसका कुछ वित्त घोषणा राज्य सरकार और कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है चिल्का झील के बारे में ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

जहां तक पुरी से कोणार्क जाने वाली सड़क का संबंध है, पुरी से पिपली तक पहले से ही एक अच्छी सड़क है। पिपली से कोणार्क तक सड़क का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार लागत का दो तिहाई भाग जो कि १८ लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये, देगी। अप्रैल, १९५६ की समाप्ति तक सड़क निर्माण के समय कार्य में कुल ११.५ प्रतिशत प्रगति हुई और इसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि अक्तबर १९५७ है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

उड़ीसा में चीनी के कारखाने

†७१९. **श्री संगण्णा:** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उड़ीसा में चीनी के कारखानों की स्थापना के संबंध में ६ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६२ के उत्तर के संबंध में यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् कोई अंतिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). (१) क्यों कि गन्ने की काश्त के लिये मैसर्ज उड़ीसा ऐग्रीक्लचर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की भूमि के पट्टे का प्रश्न अभी विवादस्पद था, इस लिये अनुज्ञापन समिति ने आवेदन-पत्र को अनिश्चित काल तक लंबित रखना वांछनीय नहीं समझा। इसलिये आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया है।

(२) मेसर्ज़ काटून एजैन्टस लिमिटेड, कलकत्ता ने बारागढ़, जिला संबलपुर में प्रतिदिन १५०० टन गन्ना पेरने वाला एक चीनी का कारखाना स्थापित करने के लिये दिये गये अपने आवेदन-पत्र को वापस ले लिया है।

(३) उसके पश्चात् मैसर्ज़ अस्का कोआपरेटिव शुगर मिल्स, अस्का से एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने प्रतिदिन १२०० टन गन्ना पेरने वाला एक चीनी का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये जाने की मांग की है और इस आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है ।

इंजन और यात्री डिब्बे

†७२०. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्राच लाइनों पर साधारणत: कितने यात्री डिब्बे काम में लाये जाते है और उनके परिवहन के लिये कितने इंजन प्रयुक्त किये जाते हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

	बड़ी लाइन	छोटी लाइन	संकरी लाइन
यात्री डिब्बे	११८७ १/२	२५३० १/२	५४३
इंजन	३११	४१९	१६६

सहकारी और विक्रय समितियां

†७२१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में प्रत्येक राज्य में कितने बड़े पैमाने की सहकारी समितियों और विक्रय समितियां को संगठित करने का विचार है ;

(ख) उपरोक्त समितियों के गठन के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) प्रस्तावित बडे पैमाने की सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र इस समय चल रही छोटी समितियों पर किस हद तक और किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ११]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

रेलवे में चोरियां

†७२२. **श्री धूसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई १९५६ के द्वितीय सप्ताह में छितौनी और छितौनी घाट के बीच चलती गाड़ी में से कपड़े की कुछ गांठे उतार ली गई थीं ;

(ख) कितनी गांठें थी और उनका मूल्य क्या था ; और

(ग) क्या वह माल प्राप्त कर लिया गया है अथवा उस के संबन्ध में कोई गिरफ्तारीयां की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). गत जुलाई में छितौनी और छितौनी घाट के बीच चलती गाड़ी में से कोई कपड़े की गांठें नहीं उतारी गई थी। ११-७-५६ को ८३६ डाउन माल गाड़ी में से, जब कि वह छितौनी स्टेशन के निकट थी, तीन व्यक्ति कूदते हुये देखे गये थे। उन में से एक व्यक्ति को जिसके पास एक बोरे में १९ जोड़े धोतियां और १२२ कच्छे थे। पकड़ लिया गया था और उसे सरकारी रेलवे पुलिस, गोरखपुर के सुपुर्द कर दिया गया था। पुलिस द्वारा अभी तक मामले की जांच की जा रही है।

तृतीय श्रेणी के सोने के डिब्बे

†७२३. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जोनल रेलवेज़ में तृतीय श्रेणी के सोने के डिब्बों के चालू किये जाने की किस हद तक सरहाना की गई है ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या १२**]

धनतरी कोयला खानों में हड़ताल

७२४. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विन्ध्य प्रदेश की धनतरी कोयला खानों के मजदूर एक महीने से अधिक समयसे हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन खानों के मजदूरों को काबू में करने के लिये लाठी चार्ज करना पड़ा था ; और

(घ) आज तक कितने हड़तालियों को जेल भेज जा चुका है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). माननीय सदस्य शायद बिन्ध्य प्रदेश की धनपुरी कोयला खान के नज़दीय बुरहार कोयला खान की हड़ताल के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। सूचना प्राप्त की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खान मार्केट, नई दिल्ली

†७२५. **श्री कामत** : क्या **स्वास्थ मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(क) क्या यह सच है कि खान मार्केट नई दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र के बीच कोयले और इंधन के डिपो हैं ;

(ख) वे कितने समय से वहां हैं; और

(ग) क्या उनके पास लाइसेंस हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) खान मार्केट में कोयले और इंधन के तीन डिपो हैं। जो कि रिहायशी बलाकों और दुकानों को दो पंक्तियों के बीच की सर्विस लेन में खुलते हैं।

(ख) १९५३ से।

(ग) नहीं।

सागर रेलवे स्टेशन

७२६. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय को दिनांक ११ मार्च १९५५ को दिये गये ज्ञापन (मेमोरेंडम) संख्या १३ के संबंध में सरकार द्वारा दिये गये अश्वासनों के अनुसार यात्री सुविधा समिति की बैठक में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर द्वारा सागर रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित विस्तार और रेलवे के ऊपर पुल बनाने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की गई थी ; और

(ख) सागर रेलवे स्टेशन के बारे में इस योजना का ब्योरा क्या है और उस पर समिति ने क्या निर्णय किया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना पर रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति ने १८-६-५५ की बैठक में विचार किया। इस योजना में यह काम शामिल हैं :—

(१) स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन

(२) एक ऊपरी-पुल का निर्माण

(३) तीसरे दर्जे के प्रतिक्षालय का विस्तार

(४) प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था

(५) प्लेटफार्म पर फर्श लगाने की व्यवस्था

पैसे की कमी और इस्पात और सीमेंट को दूसरे ज़रूरी कामों के लिये बचा रखने के उद्देश्य से समिति ने सोचा कि जितने अधिक स्टेशनों पर हो सके पहले ज़रूरी सुविधायें दी जायें। इस लिये समिति ने नीचे लिखे कामों को १९५७-५८ में किये जाने की सिफारिश की है:-

(१) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार

(२) प्लेटफार्म पर फर्श लगाने की व्यवस्था

पंजाब में ग्रामीण और नगरीय जल व्यवस्था योजनाएं

†**७२७. श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब को ग्रामीण और नगरीय जल संभरण योजनाओं के लिये अलग अलग कितनी धन राशि देने का विचार है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** विभिन्न राज्यों को उनकी जल संभरण योजनाओं के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग आवंटन किया जायेगा न कि समस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये एक साथ, वर्ष १९५६–५७ के लिये पंजाब सरकार को ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये चार लाख रुपया सहायक अनुदान के रुप में दिया जायेगा। नगरीय जल संभरण योजनाओं के लिये कोई धन राशि देने का विचार नहीं है।

रेलवे के फाटक

†७२८. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के कोगड़ा वैली सेक्शन में समलोटी मांगवाल स्थानों पर रेलवे के फाटकों का निर्माण करने के बारे में क्या प्रगति हुई ह अथवा क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : उत्तर रेलवे के कोगड़ा वैली स्टेशन पर समलोटी में रेलवे का फाटक बनाने और मांगवाल में फाटक को सुधारने का काम आरंभ नहीं किया गया है क्योंकि कोगड़ा के जिला बोर्ड ने, जिसने इन सुविधाओं का उपबंध किये जाने की मांग की थी, जैसा कि लागू नियमों द्वारा अपेक्षित है इन निर्माण कार्यों की मूल और आवर्तक लागत को देने की अपनी असमर्थता प्रकट की थी। हाल ही में कोगड़ा के डिप्टी कमीश्नर से समलोटी के निकट रेल का एक ऐसा फाटक बनाये जाने के लिये जहां किसी व्यक्ति को नियुक्त न किया जाये, एक परिवर्तित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और कोगड़ा जिला बोर्ड से प्रार्थना की जा रही है कि वह इस पर होने वाली मूल और आवर्तक लागत के संबंध में अपनी स्वीकृति से हमें सूचित करे।

जनता गाड़ियां

†७२९. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि जनता गाड़ियों में शौचालय बहुत गन्दे होते हैं और काम में लाये जाने योग्य नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन शौचालयों की हालत सुधारने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) इस बारे में न ही इस बारे में कि वे काम में लाये जाने योग्य नहीं हैं। कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) सभी रेलवेज़ पर सभी गाड़ियों के जिन में जनता गाड़ियां भी सम्मिलित हैं; शौचालयों की सफाई न किये जाने का प्रबंध पहले ही से कर दिया गया है। इस महत्व पूर्ण बात की ओर प्रबंधको का विशेष रुप से ध्यान आकर्षित किया गया है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय कृषक

†७३०. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २५ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया में कृषि का विशेष अध्ययन करने के लिये १५ विद्यार्थियों का चुनाव करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था ;

(ख) इन विद्यार्थियों के नाम और अर्हितायें क्या हैं और वे किन किन राज्यो के निवासी है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ग) क्या उनमें से कोई अनुसूचित जातियों के हैं?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) फरवरी, १९५५ में भारत सरकार ने एक प्रैस नोट द्वारा इच्छुक कृषकों से अपनी राज्य सरकारों के द्वारा आवेदन पत्र भेजने को कहा था, राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर तदर्थ समिति द्वारा विचार किया गया जिसके सभापति कृषि मंत्री थे और लगभग ४० कृषक भेंट के लिये बुलाये गये अन्त में १५ कृषक चुने गये और नवम्बर, १९५५ के प्रथम सप्ताह में वे भारत से गये।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१००५–२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१११४	रेल के डिब्बे	१००५–०६
१११६	पांडिचेरी पत्तन	१००६–०७
१११७	गावों में डाकघर	१००७–०८
१११८	रेलवे स्टीमर सेवा	१००९
१११९	खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना और ले जाना	१००९–१०१०
११२०	खाद्य के पैकट	१०११
११२२	सरकारी फार्म	१०११–१२
११२३	वन	१०१३–१४
११२४	चैम्पियन रीफ खान	१०१४
११२५	जहाज़ों पर वस्तुभाड़े की दरें	१०१४–१५
११२६	कलकत्ता बन्दरगाह का विकास	१०१५–१६
११२८	पटना में हवाई अड्डा	१०१६–१७
११३२	इम्फाल से तारों का पारेशन	१०१७–१८
११३४	खुरदा रोड पर वैमानिक डिवीज़नल मुख्यालय	१०१९
११३५	खोवाई हवाई अड्डे पर दुर्घटना	१०१९
११३६	पशु-वध का रोकना	१०२०
११३७	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पुलों का निर्माण	१०२०–२१
११३८	अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी के श्रमिकों की मांगें	१०२१–२२
११४०	खादी बोर्ड	१०२२–२३
११४२	चक्षु बैंक	१०२३
११४३	कोनी संस्था	१०२३–२४
११४४	रतलाम गोधरा लाइन	१०२४
११४७	पाकिस्तान को चावल का उपहार	१०२४–२५

5—215 L.S./56.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०२५–६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
११११५	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस	१०२५
११२१	स्थायी श्रम समिति . .	१०२६
११२७	गैर-विभागीय चालकों की नियुक्ति	१०२६
११२९	डुंगरपुर-बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन	१०२६–२७
११३०	स्टेशनों पर खाने की चीजें	१०२७
११३१	आयुर्वेदिक प्रशिक्षण संस्था	१०२७
११३३	पश्चिमी रेलवे में डिवीज़न प्रणाली .	१०२७–२८
११३९	कटिहार बारसोई लाइन .	१०२८
११४१	त्रिपुरा के लिये चावल .	१०२८
११४५	खड़गपुर के निकट रेल दुर्घटना .	१०२८–२९
११४६	दिल्ली में व्यापक ज्वर . .	१०२९
११४८	सौराष्ट्र रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	१०२९
११४९	वन गवेषणा संस्था, देहरादून .	१०२९–३०
११५०	ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र .	१०३०
११५१	दिल्ली का विकास	१०३०
११५२	नेपाल को सहायता	१०३०–३१
११५३	कुल्लु में हवाई अड्डा	१०३१
११५४	मलेरिया की रोक थाम	१०३१
११५५	चित्तोड़गढ़-कोटा लाइन	१०३१
११५६	पारदीप पत्तन	१०३१–३२
११५७	मध्य भारत का आदिवासी क्षेत्र .	१०३२
११५८	शिमला के पास रेलवे दुर्घटना	१०३२
११५९	होमियोपैथिक संस्थायें . .	१०३३
११६०	भारतीय वाणिज्यिक नौ वहन अधिनियम	१०३३
११६१	उड़ीसा में खाद्य स्थिति	१०३३–३४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		१०६३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६८०	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	१०३४–३५
६८१	स्टेशनों का अन्तः पावन	१०३५
६८२	कलकत्ता में रेलवे प्रिंटिग प्रेस	१०३५
६८३	अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना	१०३५–३६
६८४	राजस्थान में तारघर	१०३६
६८५	काजू	१०३६
६८६	बिना टिकट यात्रा	१०३७
६८७	चीनी की प्रति व्यक्ति खपत	१०३७–३८
६८८	पंजाब में डाक तथा टेलीफोन कार्यालय	१०३८–४१
६८९	हरखुआ स्टेशन	१०४१
६९०	अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था सफदर जंग	१०४१
६९१	रेलवे में सुरक्षित पद	१०४१–४२
६९२	भंडार क्रय	१०४२
६९३	त्रावनकोर कोचीन राज्य में अनाज की फसलों संबंधी गवेशणा केन्द्र	१०४२–४३
६९४	श्रम कल्याण पदाधिकारी	१०४३
६९५	विदेशी पर्यटक	१०४३
६९६	कुष्ट रोग	१०४३
६९७	रेलवे कुली	१०४३–४४
६९८	चावल का निर्यात तथा आयात	१०४४
६९९	पेप्सू में बंजर भूमि	१०४४–४६
७००	रेलवे दुर्घटना	१०४६
७०१	रेलवे दुर्घटनायें	१०४६
७०२	जहाजों का खरीदा जाना	१०४७
७०३	लहरिया सहाय और सकरी स्टेशन	१०४७
७०४	रेलवे अधिकारी	१०४७
७०५	सिंचाइ की छोटी योजनायें	१०४७–४९

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७०६	पंजाब में अतिरिक्त गाडियां	१०५०
७०७	कपास की खेती	१०५०
७०८	हिन्दुमल कोट हरिद्वार गाड़ी	१०५०
७०९	पंजाब और पेप्सू में मलेरिया की रोकथाम	१०५०–५१
७१०	फाजिल्का में ऊपर का पुल	१०५१
७११	सिन्धु पुनर्वास निगम	१०५१–५३
७१२	वन-श्रमिक सहकारी समितियां	१०५३
७१३	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	१०५३
७१४	सुलतानपुर फार्म	१०५४
७१५	भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाना	१०५४
७१६	इमारती लकडी के वृक्षों का विकास	१०५४–५५
७१७	त्रिपुरा में खाद्य स्थिति	१०५५
७१८	पर्यटन	१०५५
७१९	उड़ीसा में चीनी के कारखाने	१०५६
७२०	इंजन और यात्री डिब्बे	१०५६
७२१	सहकारी और विक्रय समितियां	१०५६
७२२	रेलवे में चोरियां	१०५७
७२३	तृतीय श्रेणी के सोने के डिब्बे	१०५७
७२४	धनतरी कोयला खानों में हड़ताल	१०५७
७२५	खान-मार्केट, नई दिल्ली	१०५७–५८
७२६	सागर रेलवे स्टेशन	१०५८
७२७	पंजाब में ग्रामीण और नगरीय जल व्यवस्था योजनायें	१०५८–५९
७२८	रेलों के फाटक	१०५९
७२९	जनता गाड़ियां	१०५९
७३०	आस्ट्रेलिया में भारतीय कृषक	१०५९–६०

भा. स. मु. ना.—वि०—३—२१५ लो० स०/५६—२६-८-५७–१९०

खण्ड ६ —अंक २३

१६ अगस्त, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१९०.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२·१ म० प०

श्री शिव दयाल उपाध्याय का निधन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को श्री शिव दयाल उपाध्याय के निधन की, जो इस सभा के उत्तर प्रदेश के बांदा जिला व फतेहपुर जिले के सदस्य थे, सूचना देनी है ।

हम श्री शिव दयाल उपाध्याय के निधन पर शोक प्रकट करते हैं तथा मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे साथ शोकातुर परिवार को सांत्वना का सन्देश भेजने में सहमत होगी ।

इसके पश्चात सभा के सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे ।

सदस्य का बन्दीकरण

†**अध्यक्ष महोदय:** मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे अहमदाबाद के पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट से श्री कामत के बन्दी किये जाने के बारे में १५ अगस्त, १९५६ का एक तार प्राप्त हुआ है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (जिला हमीरपुर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह बात प्रजातन्त्र के अनुकूल है कि कुछ सदस्य सभा से बाहर जाकर इस सभा के बहुमत से किये गये फैसलों को चुनौती देते हैं ? यदि कोई सदस्य बाहर जाकर इन फैसलों के विरुद्ध कुछ कहता है तो वह वास्तव में इस सभा का अपमान करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** साधारण रूप से विचारणीय बात यह है कि कोई सदस्य किसी मामले के बारे में यहां फैसला हो जाने के बाद सभा से बाहर जाकर इसके विरुद्ध कोई प्रचार कर सकता है ? सभा इस पर आराम से विचार करेगी ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोड नियम

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** मैं श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (३) के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड नियमावली, १९५६ की एक प्रति, जो अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०, १७६९, दिनांक ४ अगस्त, १९५६ में प्रकाशित हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस-३२३/५६**]

†मूल अंग्रेजी में ।

पर्यटन साहित्य

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : मैं निम्नलिखित पर्यटक साहित्य की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) गाईड टू उड़ीसा ।
(२) पुरी—भुवनेश्वर पर पुस्तिका ।
(३) गाईड टू साऊथ इन्डिया (मद्रास तथा आन्ध्र) ।
(४) हिल स्टेशन्स आफ साऊथ इन्डिया ।
(५) इन्सर्टस और उन्टाकुमन्ड, कोदाईकनाल एन्ड कोटागिरी ।
(६) हिल स्टेशन्स आफ वैस्टर्न इन्डिया ।
(७) हिल स्टेशन्स आफ वैर्स्टन इन्डिया ।
(८) गाईड टू काश्मीर ।
(९) गाईड टू शिमला ।
(१०) गाईड टू डल्हौजी ।
(११) फोल्डर एन्ड इन्सर्ट औन काश्मीर ।
(१२) फोल्डर औन हिमाचल प्रदेश ।
(१३) फोल्डर औन हिमालियन हाली डे ।
(१४) गाईड मैप आफ श्रीनगर ।
(१५) गाईड टू वेस्ट बंगाल एन्ड आसाम ।
(१६) फोल्डर एन्ड इन्सर्ट औन आसाम ।
(१७) गाईड टू दिल्ली ।
(१८) फोल्डर औन दिल्ली, और
(१९) गाईड मैप आफ दिल्ली ।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये एस—३२४–३४०, ३४० ए तथा ३४१/५६]

नियम समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (कपूरथला भटिंडा): मैं प्रक्रिया नियमों के नियम संख्या ३०६ के उपनियम (१) के अन्तर्गत, नियम समिति के पांचवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

अठ्ठारहवां प्रतिवेदन

†**व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर): मैं दामोदर घाटी निगम के १९५२–५३ और १९५३–५४ के लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (१९५५–५६) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे का फसलों पर प्रभाव

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन): मैं नियम २१६ के अन्तर्गत खाद्य और कृषि मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर अपना वक्तव्य देने की कृपा करें :—

"बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ने का फसलों पर प्रभाव तथा उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति"

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में फसलों पर सूखे के प्रभाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित संक्षिप्त वक्तव्य दिया जाता है :

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले—जैसे ही राज्य सरकार को साप्ताहिक वर्षा और ऋतु तथा फसलों सम्बन्धी रिपोर्टों से यह पता चला कि पूर्वी तथा अवध के जिलों में सूखा पड़ने की सम्भावना बढ़ रही है, उसी समय उसने सभी जिला अधिकारियों को स्थिति पर विशेष ध्यान रखने के लिये निदेश जारी कर दिये। उसने यह स्वीकृति दी कि अगर कहीं पर भी कम वर्षा हो तो उसकी कमी को राज्य के सिंचाई के कार्यों से पूर्णरूपेण पूरा करने का प्रयत्न किया जाये और जहां-तहां कच्चे कुएं खोदे जायें। इसी प्रकार, चारे की कमी को पूरा करने के लिये यह सुझाव रखा गया कि उस क्षेत्र के बन संरक्षक के परामर्श से वनों का प्रयोग किया जाये। सरकार ने घास तथा भूसे का संग्रह करने का भी प्रबन्ध किया।

उक्त सभी निदेश पूर्वोपाय के रूप में थे। सरकार से जो वास्तविक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, बहराइच तथा बलिया जिलों में ३१ जुलाई तक कम वर्षा हुई है। इसके परिणामस्वरूप इन जिलों में धान की पहली फसल को बड़ी क्षति पहुंची है। किन्तु ३१ जुलाई के पश्चात इनमें से कुछ जिलों में खास कर गोरखपुर, जौनपूर, बहराइच तथा वाराणसी में पर्याप्त वर्षा हो गई थी और इसके फलस्वरूप इन जिलों में कई स्थानों पर पहली फसल फिर से हरी हो गई है, पौद लगाना भी प्रारम्भ हो गया है। बलिया में जहां कि अपेक्षाकृत बहुत कम वर्षा हुई है, वहां भी घाघरा और गंगा के बीच स्थित दोआब में फसल की स्थिति काफी अच्छी है। किन्तु बलिया के पश्चिमी क्षेत्रों में बड़े अभाव की स्थिति है। वहां धान की पहली फसल की पूर्ण क्षति हो गई थी और अब दूसरी फसल भी वर्षा के अभाव के कारण नष्ट हो रही है।

देवरिया में सूखे का प्रभाव सबसे पहले हुआ। यहां धान की पहली फसल लगभग नष्ट हो गई थी। दूसरी फसल के बीज भी सूख रहे थे। गन्ने की फसल को भी बड़ी क्षति हुई है। किन्तु वहां पर १२, १३ और १४ अगस्त को अच्छी वर्षा हो गई है। अतः अब वहां पर फसल की आशा बढ़ गई है। धान की दूसरी खेती की बुवाई प्रारम्भ हो चुकी है और जिले के कई भागों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के हरे होने की आशा बढ़ गई है। इस वर्षा से गन्ने की फसल में भी काफी सुधार आ गया है। देवरिया में चारे की कुछ कमी है, किन्तु अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य सरकार ने दूसरे जिलों से चारे के आयात की व्यवस्था कर दी है।

पूर्वी जिलों को सप्लाई करने के लिये वाराणसी के केन्द्रीय सरकार के डिपो में एक लाख मन से ज्यादा गेहूं का स्टाक जमा है।

राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री ने पिछले दिनों अपने देवरिया के दौरे के समय राज्य सरकार को उन स्थानों पर उचित दामों की दूकानें खोलने की सलाह दी थी जहां परिस्थिति वश ऐसा करना आवश्यक हो। केन्द्रीय सरकार किसी भी संभव भावी आपत्ति का सामना करने के लिए वाराणसी में गेहूं के अधिक स्टाक बना रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० पं० शा० देशमुख]

बिहार—बिहार की अन्तिम परिस्थिति यह है कि आज-कल भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, सन्थाल परगना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और हजारी बाग के जिलों में अभाव ही नहीं अपितु अनावृष्टि भी विद्यमान है। पुर्निया, सारन, चम्पारन, शाहाबाद और पालामऊ के जिले में आंशिक अनावृष्टि विद्यमान है। पालामऊ में पिछले दिनों वर्षा होने पर परिस्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है।

चालू वर्ष के आरम्भ में राज्य सरकार ने ७५ लाख रुपये कृषि-ऋण के रूप में बांट दिये थे ताकि अभाव की स्थिति का सामना किया जा सके, परन्तु सौभाग्यवश अभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जहां आवश्यकता थी वहां कच्चा वटबन्ध बनाकर सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। पीने के पानी का कोई अभाव नहीं हैं।

स्थानिय मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी आकस्मिक कठिनाई का सामना करने के लिये राज्य सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त स्टाक है। मैंने जो तथ्य उस सम्बन्ध में बताये हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि खतरे का कोई कारण नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : हमने अल्प सूचना प्रश्नों की पूर्व सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब किसी को भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (सारन—दक्षिण) : औचित्य के प्रश्न पर। लगभग दस दिन पहिले मैंने इसी विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी। प्रश्न न तो अस्वीकृत हुआ और न ही मुझे सूचित किया गया कि यह स्वीकार हो गया है अतः अब माननीय मंत्री ने अल्पसूचना प्रश्न और उस पर पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों से बचने के लिए, एक वक्तव्य दे दिया है। क्या यह उचित है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी भी माननीय मंत्री को अल्पसूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जो माननीय सदस्य वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हैं, वे साधारण रूप में प्रश्नों की पूर्व सूचनायें दे सकते हैं। मैं यह ध्यान रखूंगा कि वे स्वीकार किये जा सकते हैं या नहीं।

संसद के सूचना कार्यालय में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हैं। सर्व प्रथम उनके पास ले जाकर अपने प्रश्न आदि के बारे में सूचना प्राप्त करनी चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण): मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य से उत्पन्न होने वाली कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिजली की दरों में कुछ कमी हुई है जिससे लोग उसका लाभ उठा सकें।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस समय साधारणतया प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि वे वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे कल यथाशीघ्र प्रश्न की सूचना दे सकते हैं मैं उसे स्वीकार करने का प्रयत्न करूंगा।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिहार से पश्चिमी बंगाल को कतिपय राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ राज्य क्षेत्रों का बिहार से बंगाल को हस्तांतरण करने का प्रश्न इस सभा में कई बार वाद-विवाद के लिये उपस्थित हो चुका है। यहां कई दिनों तक राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद होते समय, इसने पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात बंगाल और बिहार राज्यों के विलय के लिये रखे गये प्रस्ताव के कारण, राज्य पुनर्गठन आयोग की तत्सम्बन्धी सिफारिशें, राज्य पुनर्गठन विधेयक में जो इस सभा में कुछ दिन बाद पारित हुआ था, सम्मिलित नहीं की गई। अतः प्रस्ताव को अस्वीकृत हो जाने पर एक पृथक विधेयक बनाना तथा पुरःस्थापित करना पड़ा। इस प्रश्न पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार किये जाने के कारण यह स्वाभाविक है कि इस पर पर्याप्त विचार होता रहा है। मैं इस प्रश्न का महत्व महसूस करता हूं, क्योंकि इसका प्रभाव दो राज्यों पर पड़ता है तथा स्वाभाविक है कि दोनों राज्यों के लोगों को इसमें रूचि हो तथा कुछ सीमा तक वे उत्तेजित और चिन्तित हों।

सरकारी विनिश्चय की घोषणा १६ जनवरी को हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का अधिकतर भाग स्वीकार किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने आरम्भ में जिन राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण का सुझाव दिया था, उनमें से मानभूम सदर उप-खंड के दक्षिण-पश्चिमी भाग के केवल दो क्षेत्र अर्थात, पतमद्रा और चंडिल थानें छोड़ दिये गये हैं। विधेयक १६ जनवरी को प्रकाशित हुए विनिश्चयों के आधार पर बनाया गया था। विधेयक पुरःस्थापित होने के बाद संयुक्त समिति को सौंपा गया। संयुक्त समिति ने विधेयक के उपबन्धों की गहन जांच की। समिति ने इसमें पर्याप्त सुधार किया और मेरा ख्याल है कि कदाचित दोनो पक्ष उदारतापूर्वक यह स्वीकार करेंगे कि विधेयक समिति द्वारा संशोधित रूप दोनो पक्षों में प्रत्येक पक्ष को अधिक स्वीकार्य तथा कम अस्वीकार्य है। उस सीमा तक हमनें कुछ प्रगति की है।

जिस रूप में यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था उसमें कुछ त्रुटियां थीं जिन्हें दूर कर दिया गया है। इस विधेयक का सम्बन्ध दो खंडों से है जिसमें एक उत्तर में जिसका नाम पूर्निया है और दूसरा दक्षिण में है। संक्षेप में उसे पुरूलिया कहा जा सकता है इन राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण के लिये रखे गये प्रस्ताव पूर्णतया भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव अद्वितीय थे, तथा वे प्रशासन सम्बन्धी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिये बनाये गये थे।

१९४७ में हुए विभाजन के पश्चात पश्चिमी बंगाल राज्य एक प्रकार से दो भागों में विभक्त हो गया था मुख्य भाग और दार्जिलिंग, जलपाईगुरी और कूचबिहार के भाग के बीच एक दूसरे के मिलाने वाला कोई सम्बन्ध न था। अतः एक राज्य में दो असम्बद्ध राज्य थे। इससे असुविधा और प्रशासनिक कठिनाईयों व जटिलताओं का होना अनिवार्य था। वस्तुतः रास्ते का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ जहां तक परिवहन और संचार के साधनों का सम्बन्ध था, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से मिलाने वाला एक राजपथ पहले ही विद्यमान था। परन्तु दोनों के बीच का अन्तर पूरा करना था। अतः पूर्निया के कुछ भागों के हस्तांतरण के सुझाव भौगोलिक संस्पर्शिता सुनिश्चित करने के लिये रखे गये थे।

राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार महानन्दा नदी के पश्चिम की ओर किशनगंज उप-खंड का भाग और राजपथ के पूर्व की ओर का गोपालपुर थाना का कुछ भाग, दोनों भागों के बीच सम्बन्ध स्थापित करनें की दृष्टि से हस्तान्तरित होने थे। इसमें एक कठिनाई थी और मामले की जांच की गयी। अब भी १५ मील का एक टुकड़ा असम्बद्ध रहा। अतः संयुक्त समिति ने विनिश्चय किया कि राजपथ के पूर्व की ओर का किशनगंज उप-खंड का भाग पूर्णतया बंगाल को हस्तान्तरित कर देना चाहिये ताकि दो राज्यों को मिलाने वाला मार्ग निरन्तर एक राज्य में रहे। और कहीं कोई अर्न्तबाधा न हों यदि राज्य पथ को सीमा भी मान लिया जाये तो भी इससे परिस्थितियों की पर्याप्त पूर्ति न होगी। राजपथ को चालू रखने या राजपथ का उचित और पर्याप्त परित्राण करने की दृष्टि से बंगाल सरकार के लिये कुछ गुंजाईश का होना आवश्यक था। अतः यह सुझाव और रखा गया कि सारे राजपथ की पश्चिम की ओर की २०० गज भूमि और बंगाल को हस्तांतरित कर दी जाये। यह उपबन्ध कर दिया गया और इससे वह कठिनाई भी समाप्त हो गयी।

[पंडित गो० ब० पंत]

प्रस्तावित हस्तान्तरण के कारण किशनगंज नगर में, विशेषकर वहां जहां मुसलमानों की अधिकता है, पर्याप्त उत्तेजना हो गयी थी। वे उर्दू बोलते हैं और प्रस्तावित हस्तांतरण के बहुत विरूद्ध थे। इन प्रबन्धों से जिनका प्रस्ताव आरम्भ में दिया गया था, नगर के दो भागों में विभक्त हो जानें की सम्भावना थी। अतः यह विनिश्चय किया गया पूरा किशनगंज नगर बिहार में रहे तथा नगर की पूर्वी सीमा उस पट्टी की पश्चिमी सीमा भी हो जो बंगाल को हस्तान्तरित की जा रही थी। इस प्रकार किशनगंज उप-खंड और गोपालपुर थाना के भाग सम्बन्धी योजना युक्ति युक्त बनायी गयी। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि सब लोग वे चाहे बंगाली हैं या बिहारी, संशोधित विधेयक में रखे गये प्रस्ताव से प्रायः सहमत हैं। चाहे वे सच्चे और हार्दिक ढंग से इसका स्वागत करने के लिये तैयार न हों। यह वर्तमान परिस्थितियों में कठिन होगा।

दूसरे भाग का सम्बन्ध पुरुलिया उप-खंड से है। पुरुलिया उप-खंड या इसके उन भागों का हस्तांतरण जो अब बंगाल को दिये जाने हैं, पुनः भाषा के आधार पर मुख्यतः भाषा के आधार पर नहीं अपितु कसाई नदी से सम्बन्ध कुछ परियोजनाओं का संचालन सुनिश्चित करने तथा उनका उचित सुचारू प्रबन्ध करने के लिये किया गया था। पतमद्रा और चंडिल नामक दो थानें छोड़ दिये गये थे क्यों कि बिहार में इन क्षेत्रों के हस्तान्तरण या रखनें की ऐसी ही आवश्यकता थी वहां सुबरनरेखा नदी से सम्बद्ध बहुत सी परियोजनाओं की देखभाल करनी है तथा वहां एक जलाशय भी है जिसका सम्बन्ध जमशेदपुर से है और उसकी भी देखभाल बिहार करेगा। अतः दक्षिण में यह परिवर्तन किये गये।

अब भी एक और कठिनाई है धनबाद और जमशेदपुर में संचार के कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं हैं। अतः संयुक्त समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि केन्द्रीय सरकार जमशेदपुर और धनबाद के बीच एक राजपथ बनाये ताकि जमशेदपुर और धनबाद के बीच, जो कि दोनो ही बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र हैं, आसानी से होने वाले परिवहन में कोई रुकावट और कोई कठिनाई और कोई अड़चन न हों।

किशनगंज नगर या किशनगंज उप-खंड के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि बंगाल सरकार को इस बारे में आश्वासन देना चाहिये कि वे उस क्षेत्र में वर्तमान भाषा को रहने देने के लिये तैयार हैं, अर्थात, बिना किसी हस्तक्षेप को इसका प्रयोग होता रहेगा और क्योंकि उस क्षेत्र में पहले से ही बहुत अधिक जनसंख्या है इसलिये वहां कोई विस्थापित लोग नहीं बसाये जायेंगे। इन दोनों मामलों के बारे में मैं समझता हूं कि बंगाल के मुख्य मंत्री ने पहले आश्वासन और वचन दे दिया है। संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि इस आश्वासन को पूरा करने के लिये बंगाल सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है।

इसमें विधेयक में सम्मिलित पूर्ण योजना आ जाती है।

मैं संयुक्त समिति के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस जटिल विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

यह बात संतोष की नहीं तो कुछ सांत्वना की अवश्य है कि परिवर्तनों के किये जाने से यह संशोधित विधेयक दोनो पक्षों को परिवर्तन करने से पहले की अपेक्षा अधिक पसन्द है।

विधेयक के उपबन्धों के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। इन बातों के सामान्य पहलुओं के बारे में हमने कई अवसरों पर चर्चा की है। मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जो कुछ किया गया है उससे न तो बंगाल को संतोष है और न बिहार को। बंगाल और बिहार के प्रस्तावित विलय के अवसर पर बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रीयों ने जो वक्तव्य दिया था उसका मुझे स्मरण होता है। मुख्य मंत्रियों ने कहा था :

"इस लिये हम प्रस्ताव करते हैं कि दोनो राज्यों को एक दूसरे में मिला दिया जाये ताकि एक राज्य बन जाये।"

किन्तु उनकी अपील में इसके पहले एक पैरा था जिसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"पश्चिमी बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है। जैसा कि बाद में हुई घटनाओं से प्रकट हुआ है,न तो प्रतिवदन और न भारत सरकार के निर्णय ने बंगाल या बिहार के लोगों में से किसी को संतोष प्रदान किया है। बिहार के लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि निर्णय का अर्थ है बिहार से कुछ क्षेत्रों का बंगाल को हस्तांतरण। दूसरी ओर बंगाल में लोगों का यह ख्याल है कि उन्हें पर्याप्त क्षेत्र नहीं दिया गया है। यह भावनाएं स्वाभाविक हैं और यदि प्रत्येक राज्य के दृष्टिकोण से इन निर्णयों पर विचार किया जाये तो इन भावनाओं को समझना आसान है। किन्तु हम इस बड़े तथ्य को भूल नहीं सकते कि यह दोनो राज्य भारत संघ के हिस्से हैं और एक दूसरे से कई तरीकों से सम्बद्ध हैं।"

यद्यपि दोनो पक्षों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को मैं पूर्णरूप से ध्यान में रखता हूं तथापि दोनो राज्यों के नेताओं ने हमसे जो कुछ कहा था उसका स्मरण मैं उन्हें दिलाता हूं। हम किसी क्षेत्र को अलग नहीं कर रहे हैं और न हम किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में से एक इंच राज्य क्षेत्र देने जा रहे है। वास्तव में समायोजन करने विशेष कर पूर्णिया उप-विभाग में समा-योजन करने का एक बिशेष लाभ है। वहां सीमा पूर्वी पाकिस्तान से लगती है, बंगाल राज्य, केवल उस क्षेत्र को छोड कर, जिसको अब बिहार से बंगाल के हस्तांतरित करनें का विचार है, पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगता है, इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बंगाल राज्य पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से मिल जायेगा और प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये यह वांछनीय है कि इस सीमा का प्रभारी भार एक ही राज्य पर रहे। उसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हुए मैं बिहार के अपने साथियों से यह अपील करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

†**श्री म० प० मिश्र** (मुंगेर–उत्तर–पश्चिम): पुरुलिया का क्या होगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरा निवेदन है कि हमारे देश के विकास में हम सबको दिलचस्पी है। प्रत्येक हिस्से का विकास किया जाय ताकि हम उससे सर्वाधिक लाभ उठा सकें। यदि पुरूलिया के हस्तांतरण से बंगाल की समृद्धि बढ़ती है तो एक पड़ोसी के नाते बिहार भी लाभान्वित होगा वह उनके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और वे अपने क्षेत्र के लिये वैसी ही योजनायें प्रारम्भ कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सीमा पर रहने वाले लोग जितना एक राज्य में होते हैं। उतना ही दूसरे राज्य में होते हैं। सामान्यतः वे द्विभाषी होते हैं। प्रशासनिक विभाजन उनके सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस व्यवस्था के बावजूद बंगाल और बिहार में रहने वाले लोगों के बीच सौहार्द और सहकारी प्रयास की जो भावना है वह और दृढ़ होगी। कभी कभी हम आवश्यकता से अधिक निराशावादी होते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके परिणाम अच्छे होंगे।

संयुक्त समिति में मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह ने जो सहायता की है, उसके लिये मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। मैं जानता हूं कि इस विषय पर उनका निश्चित विचार हैं और हमारे आदिवासी मित्रों, भाइयों और बहनों की मैं सराहना करता हूं जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं, उनमें से कुछ उड़ीसा में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ बंगाल में, कुछ आसाम में रहते हैं। यदि इस प्रकार का कोई विभाजन होता है तो यह समझना स्वाभाविक है कि यदि उन्हें इकठ्ठा किया जाये तो अधिक अच्छा होगा। उन्होंने एक उचित और प्रभावी उपाय सुझाया है कि बंगाल और बिहार के प्रस्ताव को साध्य करनें तक उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। मुझे इसमें सन्देह है कि उनकी अपील का स्वागत होगा.....

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : लीजिये, वे अपील को सुनने के लिये भी तैयार नहीं है और इस प्रार्थना को सुनने से पहले ही "नहीं" कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद वे अधिक सहिष्णु....

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमेंड हारबर): यह युक्ति युक्त नहीं है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सहिष्णुता और राष्ट्रवाद का साथ होता है, असहिष्णुता राष्ट्रवाद के अभाव का एक चिन्ह है ।

मुझे यही कहना कि कुछ मास पहले बंगाल और बिहार के नेता अपना कल्याण, अपना भविष्य एक दूसरे को सौंपने के लिये तैयार थे । यदि, बंगाल और बिहार के विलय अथवा एकीकरण का प्रस्ताव क्रियान्वित हो जाता तो बंगाल के लोगों नें अपनी प्रगति के लिये, चाहे वह सांस्कृतिक, औद्योगिक आध्यात्मिक अथवा भौतिक हो, बिहार के लोगों पर पूर्ण विश्वास कर लिया होता । बंगाल के सुसंस्कृत नागरिकों पर पूर्ण विश्वास है । इन हालत में यह आशा करना कि जब प्रत्येक दूसरे को सारा ही सौंपने को लिये तैयार था कि अब वह थोड़ा छोड़ना और थोड़ा स्वीकार करना मान लेंगे, एक बहुत बड़ी बात है ।

†**माननीय सदस्य**: दूसरी ओर से कुछ नहीं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : दूसरी ओर से हर्ष आभार और सद्भावना के साथ मुझे यही अपील करनी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मुझे श्री विभूति मिश्र, श्री भूलन सिंह तथा श्री राम राज जजवाड़े की ओर से एक संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है कि विधेयक पर विचार स्थगित कर दिया जाये । मुझे इसे विलम्बकारी होने के नाते अनियमित घोषित कर देने में कोई संकोच नहीं है ।

†**श्री गाडगील** (पुना--मध्य) : यह निर्णय कर लिया जाये कि सामान्य चर्चा के लिये कितने घंटे होंगे और खंडवार चर्चा के लिये कितने ।

†**श्री म० प्र० मिश्र** : आम चुनाव में उन इलाकों की जनता को यह अवसर प्राप्त होगा कि वे इस बात पर मत प्रकट कर सके कि वह बिहार में रहना चाहती हैं अथवा उससे बाहर चला जाना चाहती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस समय इस मामले को स्थगित करना ठीक नहीं होगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हिन्दुस्तान में आवश्यकता पड़ने पर कहीं कहीं प्लेबिसाइट (जनमत संग्रह) लिया जायेगा । एस० आर० सी० रिपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा तो खत्म हुआ । बंगाल बिहार का प्रश्न बाकी है । उसके लिये या तो अभी प्लेबिसाइट ले लीजिये या अगले चुनाव में ले लीजिये । थोड़ी सी टेरीटरी (राज्य क्षेत्र) बिहार की बंगाल को देने से बंगाल का कुछ ख़ास बनता नहीं । प्रधान मंत्री ने जैसा कहा था कि प्लेबिसाइट ले लिया जायेगा उसकी नौबत और तो कहीं आई नहीं, दूसरे किसी स्थान पर भी उसकी मांग नहीं की गई है । अब केवल चूंकि बंगाल बिहार का ही सवाल रह गया है इसलिये वहां प्लेबिसाइट करने से प्रधान मंत्री की बात भी रह जाती है और बंगाल बिहार के लोगों की राय भी मालूम हो जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी मामले पर माननीय सदस्य जनमत संग्रह चाहते हैं, तो संविधान में संशोधन करके ही हम ऐसा कर सकते हैं । परन्तु इस समय समस्त राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित करके बंगाल और बिहार विधेयक को छोड़ देने में कोई तुक नहीं है । इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । विधेयक की सभी अवस्थाओं के लिये दस घंटे निर्धारित किये गये हैं ।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरा सुझाव है कि सामान्य चर्चा के लिये पांच घंटे, खंडवार चर्चा के लिये साढ़े चार घंटे और तीसरे वाचन के लिये आधा घंटा रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तेरह सदस्य ऐसे हैं जो पहले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाते समय बोल चुके हैं, और अब उन्होंने पुनः अपने नाम भेज दिये हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि संशोधन केवल दो तीन खंडों के सम्बन्ध में ही है। शेष सब छोटी छोटी बातें हैं और उनमें अधिक समय नहीं लगेगा। बिहार और बंगाल के सदस्यों की इसमें विशेष रुचि है, इसलिये साढ़े चार घंटे दिये जायें। बाकी आधा घंटा तीसरे वाचन के लिये रख लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सदन को यह स्वीकार है ? मेरे विचार में माननीय सदस्य इस सुझाव के पक्ष में ही दिखाई देते हैं। पांच घंटे सामान्य चर्चा लिये, साढ़े चार घंटे खंडवार चर्चा के लिये और आधा घंटा तीसरे वाचन के लिये नियत किया जाता है। सबसे पहले मैं बिहार के सदस्यों को बुलाऊंगा, क्योंकि बिहार खो रहा है और बंगाल पा रहा है।

†**डा० कृष्णास्वामी** (कांचीपुरम्) : गैर-बंगालियों की स्थिति क्या है ?

†**श्री गाडगील** : भारत के उन नागरिको के लिये भी कुछ समय रखा जाना चाहिये जो इस समस्या के सन्तोष जनक हल के इच्छुक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जितना समय है, उसमें जितनों को अवसर दिया जा सकेगा उतनें माननीय सदस्थों को अवसर दिया जायेगा। अब श्री जयपाल सिंह बोलेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम–दक्षिण–अनुसूचित आदिम जातियां) : यद्यपि, विधेयक के पुरःस्थापित किये जाते समय मैंने चर्चा में भाग लिया था परन्तु अब यह विधेयक नये रूप में हमारे समक्ष आया है और इसके लिये तर्क भी नये ही प्रस्तुत किये गये हैं ? मैं कोई रूकावट डालना नहीं चाहता हूं, क्यों कि अच्छा यही है कि यह समस्या किसी न किसी प्रकार से हल हो जाये। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का सिद्धान्त का मैंने हमेशा विरोध किया है। भाषा के आधार पर ही पश्चिम बंगाल का दावा है, और उसी पर मैं पहले कहूंगा।

मेरे सन्माननीय मित्र, गृह-कार्य मंत्री ने इस सदन में और इस सदन के बाहर भी मुझसे अपील की है और मुझे उसका सन्मान करना ही है।

मैं अपने पश्चिम बंगाल के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि बंगाल और बिहार के विलय के प्रस्ताव को क्यों छोड़ दिया गया ? क्या उप-चुनाव में हार जाना ही इसका कारण है ? क्या भारत के दो राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा देश के समक्ष रखा गया यह सुझाव कि बंगाल और बिहार को मिला कर एक बड़े शक्तिशाली सीमान्त राज्य का निर्माण किया जाये, मूर्खतापूर्ण था? इसका प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, भूत-पूर्व गवर्नर-जनरल और सारे भारत ने स्वागत किया था। मैंने भी उसका स्वागत किया था फिर एकदम से यह कहा गया कि संविलय ठीक नहीं रहेगा। न केवल बंगाल प्रत्युत देश के लिये भी यह बुरी चीज होगी। क्या हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ? आखिर समस्या क्या है ?

इस मामले में तो विधेयक का शीर्षक ही गलत है। इसे तो "बिहार राज्य क्षेत्रों का बंगाल को हस्तांतरण" करना चाहिये। मैं अनुदार नहीं हूं। मैंने अनेक बार कहा कि सारा बिहार ले लो। यदि समूचा बिहार नहीं चाहते तो दक्षिण बिहार ले लो, परन्तु आप को बदले में कुछ देना होगा।

रास्ते का प्रश्न उठाया जाता है। क्या बिहार कोई विदेशी राज्य क्षेत्र है कि रास्ते का सवाल पैदा हुआ है ? विधेयक में आपने उत्तर में उन्हें एक क्षेत्रता प्रदान कर दी है। सन्थाल परगना का क्या हुआ ? आप जमात्रा से धनबाद कैसे जाते हैं ? दक्षिणी भाग के सम्बन्ध में भी आपने क्या किया है धनवाद को रांची और जमशेदपुर से काट दिया है। आप कहते हैं कि एक राष्ट्रीय राजपथ बनाया

---

†मूल अंग्रजी में।

[श्री जयपाल सिंह]

जायेगा। परन्तु यह तो उत्तर में भी बनाया जा सकता है और इससे वहां के लोगो को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। बताया गया है कि जमशेदपुर से धनबाद तक का यह राष्ट्रीय राजपथ केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में होगा। परन्तु रांची से धनबाद कैसे जायेंगे, यह बात भी तो विचारणीय है।

एक आधारभूत बात की ओर मैं लोक-सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि आदिम जातियों को समेकित करने का यही समय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इन दो विधेयकों के द्वारा किया जा रहा राज्यों का पुनर्गठन भी आदिम जातियों की समस्याओं के प्रति अविश्वास ही प्रकट करता है। इस दूसरे विधेयक में भी हमारे दावों को जानबूझ कर स्वीकार नहीं किया गया है।

जलग्रहण क्षेत्र के ही प्रश्न को लीजिये। क्या राज्य क्षेत्रों के इस हस्तांतरण में केवल जलग्रहण क्षेत्र को ही सम्मिलित किया गया है। परन्तु मानचित्र को देखनें पर पता चलेगा कि इससे कहीं अधिक दे दिया गया है। यदि युक्ति यही है तो उत्तर प्रदेश पर भी बिहार के बहुत अधिक दावे होगें, क्योंकि हमारी सभी नदियां उत्तर प्रदेश से हो कर बिहार को आती हैं। फिर हमें मध्य प्रदेश के बहुत अधिक भूमि खंड पर दावा करना पड़ेगा। परन्तु हम ऐसे दावे नहीं करेंगे। इस प्रकार के विचित्र दावों को तो संसद द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिये। ऐसे मामले तो दामोदर घाटी निगम के सुपुर्द कर दिये जाने चाहिये। कसाई नदी के विकास के लिये भी दामोदर घाटी निगम ही उपयुक्त अभिकरण है और उसे ही यह कार्य सौंपा जाना चाहिये था।

मैं सदन को यह भी बता दूं कि कसाई नदी के क्षेत्र यद्यपि बंगाल में है परन्तु यह एक आदिम जाति क्षेत्र है। इस लिये मैं कहता हूं कि इस तर्क में कोई बल नहीं है। यह नहीं होना चाहिये कि उत्तर के लिये कोई और तर्क प्रस्तुत किये जायें और दक्षिण के लिये कुछ और। क्या राष्ट्रीय हितों का नाम लेकर ही पश्चिम बंगाल वाले सब कुछ हड़प कर जाना चाहते है? बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रदर्शित इस राज्य क्षेत्रीय विशालन की भावना को समाप्त किया जाना चाहिये। उत्तरी बंगाल बिहार को दे दीजिये। तब तो संस्पर्शता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। क्या दार्जिलिंग बंगाल भाषी क्षेत्र है? यह क्षेत्र बिहार का था, इसी लिये तो इसका नाम कुच बिहार है। जलपाईगुड़ी में कितने बंगाली हैं? चाय के बगानों में जाकर आप देखें तो वहां सभी श्रमिक बिहार और उड़ीसा के हैं। इसलिये गलियारे की समस्या को खतम करने के लिये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुच बिहार को दे दिया जाय। यह मेरा दूसरा हल है। मेरा पहला हल दोनों राज्य का विलय है, जिसे छोड़ दिया गया है। यदि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला लिया जाये तो एक शक्तिशाली सीमान्त राज्य बन सकता है और इसे पूर्व प्रदेश के नाम में पुकारा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद पूर्व प्रदेश वैसा भी सुदंर लगता है।

†**श्री ब० दास** : (जाजपुर-क्योंझर) : आप उड़ीसा के संबंध में कुछ मत कहिये।

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि मैं उनके साथ ही राजनीति में आ गया होता तो देश के उस भाग का इतिहास कुछ और ही होता।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि गलियारे वाली बात को भूल कर जो कुछ बिहार का है उसे बिहार को वापिस दे दिया जाना चाहिये। मेरा तीसरा प्रस्ताव यह है कि छोटा नागपुर पठार को इतिहास में बंगाल का पठार कहा जाता रहा है, इसलिये जैसा कि सन् १९११ में था इसे बंगाल को दे दिया जाना चाहिये। यह साधारण हल नहीं हैं जिन्हें मैं संसद के समक्ष गंभीर विचार के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं।

मेरा विचार तो यह है कि इस विधेयक को छोड़ दिया जाये, और एक इंच भूमि को इधर या उधर किये बिना वर्तमान बिहार को इसी रुप में रहने दिया जाय। जब तक कि हमारे बंगाली मित्रों में उदारता न आ जाये। अभी वे यह चाहते हैं कि हम ही सब कुछ देते जायें। कहा गया है कि यह पहली किस्त है, और पता नहीं अगली किस्त क्या होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

बंगाल बिहार के विलय की बात बड़ी गंभीरता से उठाई गई थी परन्तु उसे छोड़ दिया गया। यह क्यों ? संसद को इस मामले में विचार करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया ? बंगाल के मुख्य मंत्री श्री बी० सी० राय को वचन देने से पूर्व बिहार के मुख्य मंत्री से परामर्श क्यों नहीं किया गया ?

†**डा० रामा राव** (काकिनवाडा) : इन सब का उत्तर कौन देगा ?

†**श्री जयपाल सिंह** : शीघ्र ही दुसरे लोग इन बातों का उत्तर देने के लिये तैयार हो जायेंगे बंगाली मित्रों को सोचना चाहिये कि लाखों बंगाली जो हमारे राज्य में रह रहे है उनका क्या होगा। वे इस संबंध में क्या सोचेंगे।

मैं संयुक्त समिति का सदस्य था। उस दिन सदन में श्री ही० ना० मुकर्जी ने मेरे विरुद्ध काफी कुछ कहा। मैं उनके इस भ्रातृभाव के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। वह मेरे लिये यह भी कहत है कि मैंने आदिवासियों को कहीं का नहीं छोड़ा। यह अपनी अपनी राय है। परन्तु मैं सदन में ही उन्हें बताना चाहता हूं कि कम्यूनिस्ट रात दिन सांस्कृतिक एकता का राग अलापते है, परन्तु मैं तो बड़ी बंगाल बिहार की संस्कृतियों के मेल की बात कहता हूं। परन्तु मेरे माननीय मित्र के साहित्य में सांस्कृतिक का कुछ और ही अर्थ होगा। संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। एक भारतीय संस्कृति है। परन्तु इसके साथ दूसरी संस्कृति यां भी हैं। आदवासियों की भी अपनी संस्कृति है, परन्तु वह उसको नहीं मानते है। कुछ भी हो, हमें एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिये। मेरे मित्र को पता होगा कि बंगाल की ग्रामीण और कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था का आधार यह आदिवासी श्रमिक ही है। अपने कम्यूनिस्ट मित्रों से मेरा निवेदन है कि वह दिन रात सांस्कृतिक एकता का शोर मचाते हैं। परन्तु मेरा बड़ा ठोस प्रस्ताव है। बंगाल का पठार बंगाल में मिला दिया जाये और जो कुछ बिहार का है उसे बिहार में रहने दिये जाये। पश्चिम बंगाल के बंधु चाहें तो किसनगंज को भी ले सकते है। हमें कोई भी क्षेत्र उन्हें देने में आपत्ति नहीं है, प्रश्न यह है कि हमारे साथ बर्ताव में भेद-भाव क्यों किया जाता है। ऐसी समस्यायें खड़ी की जा रही हैं जिनसे बिहार की जनता संतुष्ट नहीं होगी। हम उदार हैं और उदार ही रहना चाहते है। परन्तु यें तो गत २०–३० वर्षों से हमें पिछड़ा हुआ हो कहते रहे है। यदि यह प्रगतिशील है तो हमें क्यों तंग करते है। क्या मेरी सब बातों का उत्तर मिलेगा ?

मैं सरकार को भी इस बात के लिये दोष देना चाहता हूं कि उसने राज पुनर्गठन की समस्या दो भागों में हल किया है। उस से कई क्षेत्रों का अपना दावा करने का अवसर नहीं प्राप्त हो सका। वह बिना पूछे बचन दे देती है और फिर हमसे सहयोग की आशा करते है। हमारी सरकार का यह व्यवहार ठीक नहीं है।

मुझे आशा है कि संशोधनों के समय आप मुझे समय देंगे। आपने मुझे युक्तियों की पुनरावृति न करने को कहा है। मुझे आशा है कि मैं सारे सदन के समक्ष अपने संशोधनों की सार्थकता सिद्ध करुंगा और आशा है कि संसद उन्हें स्वीकार करेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैंने बड़ी रुचि से गृह मंत्री का भाषण सुना परन्तु मुझ निराशा ही हुई। अभी भी वह संविलय की बाते करते हैं जो कि हमारी जनतंत्रात्मक आकांक्षाओं के विरुद्ध है। मैंने अपने मित्र श्री जयपाल सिंह का भाषण भी सुना उनकी बातों का उत्तर तो बाद में दूंगा परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि जब वह यह कहते हैं कि भाषा के आधार पर नहीं प्रस्तुत प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिये तो वह अपने आदिवासियों के हितों को हानि पहुंचाते है। जब यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था तो मैंने आशा प्रकट की थी कि उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे परन्तु वह आशा पूर्ण नहीं हुई है।

मैं यह मानने को तैयार हूं कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा के समीपवर्ती विवाद ग्रस्त क्षेत्र की प्रत्येक समस्या और भाषा संबंधी प्रत्येक अन्याय का समाधान इस अवस्था पर ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें अपनी ओर से एक सैद्धांन्तिक आधार पर यह प्रयास तो करना ही चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

पर हम दख रहें है कि उसमें अवसरवादिता से काम लिया जा रहा है, किसी सिद्धांत को सामने नहीं रखा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद, उसके संबंध में सरकार का निर्णय हमारे सामने आया, फिर दोनों ओर से दबाव डाला गया और अब संयुक्त समिति ने विधेयक के सम्बन्ध में अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इसी सिद्धान्त हीनता के कारण यह विधेयक बड़ा त्रुटिपूर्ण है।

यह बड़ा ही अच्छा हुआ है कि प्रधान मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरकार ने कांग्रेस के भाषावार राज्यों के सिद्धांत को त्याग दिया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सरकार ने जहां जहां भाषावार सिद्धांत को माना भी है, वह जनता के दबाव के कारण किया है। कांग्रेस ने अपने पुराने सभी सिद्धांतों को तिलांजली दे दी है। वर्तमान सरकार हर स्थान पर जनता को ही उपद्रवकारी और दोषी बताती है। सरकार का विचार है कि वह बड़े सोचविचार के बाद जनता के लिये अच्छी से अच्छी व्यवस्थायें करती है, लेकिन जनता सभी अच्छी चीजों का विरोध करती है। अन्यथा, इन सभी समस्यायों को सिद्धांतों के आधार पर लोकतंत्रात्मक ढंग से सुलझाया जा सकता था। जनता की प्रबल भावनाओं को समझाने की चेष्टा नहीं की गई है। मुझे आश्चर्य तो इस बात पर है कि सरकार क्यों सदा ही जनता की भर्त्सना करती है और कभी भी इस बात पर विचार नहीं करती कि गोली बारी आदि में हुई मृत्युओं का दायित्व किस पर है और न्यायिक तौर से हमे निश्चित करने का भी नही उठाती है। इसका फल यह हुआ है कि राष्ट्रीय संघर्ष का हमारा उत्साह ठंडा पड़ गया है। इसीलिये आज श्री जयपाल सिंह ही नहीं, प्रधान मंत्री तक भाषावार राज्यों के सिद्धांत के विरुद्ध बोलते हैं। इसीलिये आज सरकार नौकरशाही ढंग से बातें करने लगी है।

यही कारण है कि बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रदेशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का यह वर्तमान स्वरुप ठीक नहीं है। गृह-कार्य मंत्री के भाषण से तो ऐसा लगता है कि उसके द्वारा फिर से राज्य के संविलय और उनके एक दूसरे में मिलाये जाने की एक भूमिका बांधी जा रही है। सरकार को यह महसूस कर लेना चाहिये । कि जनता के वास्तविक प्रयोग से नये भारत के निर्माण के लिये भाषा व राज्यों का निर्माण आवश्यक ह। श्री जयपाल सिंह को यह विशेष तौरपर समझ लेना चाहिये कि नये भारत के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि सामान्य जनता को भी सरकार का सभी कृत्तियों में हाथ बंटाने योग्य होना चाहिये। बहु भाषी राज्यों में जनता का यह सहयोग नहीं हो सकता है। इसीलिये उनका निर्माण लोकतंत्रात्मक नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक संस्कृति का फल फूलना आवश्यक है, और यह भाषावार राज्यों में ही हो सकता है।

अंग्रेजी हमारी मातभाषा नहीं है, इसलिये हम उसकी सूक्ष्मताओं को नहीं समझ सकते हैं। हमारी अपनी संस्कृति हमारी अपनी मातृभाषा से सन्निद्ध रहती है। खेद की बात है कि इतनी स्पष्ट चीज के लिये भी मुझे संसद में तर्क देने पड़ रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह ने बड़ी स्पष्टता से देश के भाषावार विभाजन का विरोध किया है। लेकिन, वे भी चाहते हैं कि समस्त आदिवासी एक साथ रख जायें। आप आदिवासीयों के प्रश्न को भाषावार राज्यों की मांग के संदर्भ में देखे। (**अन्तर्बाधा**)

मैंने देखा है कि लोगों में बंगाल पर साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का दोषारोपण करने की प्रवृत्ति सी बन गई है। उनका कहना है कि बंगाल अन्य प्रान्तों के प्रदेशों को हड़पना चाहता है। मै यह नहीं कहता कि बंगाल के साथ कोई रियायत की जाये, या यह कि उसे देश के लिये किये बलिदानों का मूल्य चुकाया जाये।

मैं तो केवल यही कहता हूं कि आप बंगाल के मामले का परीक्षण कीजिये। आप देखेंगे कि उसका ऐतिहासिक विकास कुछ इस प्रकार से हुआ है कि वहां एकता की भावना देश के अन्य प्रान्तों से कहीं अधिक गहरी जम चुकी है। और, यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन कभी भी किसी भी बंगाली ने भारतीय राष्ट्रीयता से इन्कार नहीं किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत की त्येक भाषा पढ़ाई जाती ह, और यह आज नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। विश्वविद्यालय के

प्रकाशनों में भी भारत की सभी भाषाओं के प्रकाशन रहते है । हमें सदा यही पढ़ाया गया है कि समूचा देश एक है । हमारे सभी बड़े साहित्यकारों ने सभी भाषा भाषियों के संबंध में लिखे हैं । हमारा सदा से यही प्रयास रहा है कि बंगाली होने की अपनी चेतना और भारतीय राष्ट्रीयता की भावना में सामंजस्य स्थापित किया जायें । इसीलिये हम भाषावार राज्यों के सिद्धांत के अपनाये जाने के लिये कहते हैं और यदि उसे मान लिया जाता है तो फिर से कुछ समायोजनायें करना आवश्यक होगा ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें पुर्लिया में से चास, चाण्डिल और पटमदा को निकाल दिया गया है । यह गलत है । आज वहां की जनसंख्या के कोई भी विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । १९५१ की जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है । आप कह सकते हैं कि १९३१ की जनगणना के आंकड़े बहुत पुराने हैं । १९५१ की जनगणना में तमाम बंगला भाषी क्षेत्रों को गैर-बंगला भाषी क्षेत्र घोषित कर दिया है । हमें इस प्रकार की सामग्री के आधार पर कोई निर्णय नहीं करना चाहिये । मैं सर जार्ज गियर्सन और श्री ओं मेल्ली जैसे उदभट भाषा विज्ञान नेताओं की राय मानने को तयार हूं । पता नहीं सरकार ने भाषा के संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण क्यों नहीं किया है । इस प्रकार इस समस्या का निबटारा नहीं किया जा सकेगा । मेरा तो कहना यही है विवादग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में विशेष तौर पर जांच-पड़ताल की जानी चाहिये । यह धारणा गलत है कि इनसे जनता में वैमनस्य बढ़ेगा । 'बंगाली और बिहारी जनता में कोई' भी शत्रुता नहीं है । कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत से बिहारी रहते है । संविलय के विरूद्ध हमारे सत्याग्रह में उन्होंने भी भाग लिया था । हमारा वह सत्याग्रह भी 'बंगाली बिहारी भाई-भाई' के नारे पर चला था ।

बंगालियों और बिहारियों में शत्रुता होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसके विपरीत यदि हम सिद्धांत के आंधार पर आपस में बैठकर निर्णय करें तो, जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार बड़ी आसानी से इसका निबटारा किया जा सकता है ।

समूचा पुर्लिया सब-डिवीजन पश्चिम बंगाल में मिलाया जाना चाहिये । किशन गंज की समस्या को भी भाषावार सिद्धांत के ही आधार पर सुलझाया जाना चाहिये । इसके लिये प्रशासकीय सुविधा, या जलग्रहण क्षेत्र का तर्क देना उचित नहीं है । वहां किशनगंज और सरिपुरिया बोलियां बोली जाती है, जिन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी बंगला भाषा के ही अधिक समीप माना है । वहां शुद्ध बंगला भाषी क्षेत्र भी हैं । इसलिये किशनगंज के उन क्षेत्रों को तो पश्चिम बंगाल में मिलाया ही जाना चाहिये । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाई गई समूचे किशन गंज की मांग के संबंध में एक सीमा आयोग स्थापित किया जाना चाहिये ।

पता नहीं किशनगंज की मांग के संबंध में बिहार की ओर से इतना विरोध क्यों किया जा रहा है । मैं सरकार की प्रशासकीय आवश्यकता के आड़े नहीं आना चाहता । मैं चाहता हूं कि हमें किशनगंज के अन्य क्षेत्रों के बारे में छानबीन करनी चाहिये और जो भी उचित हो वह करना चाहिये ।

मैं दूसरे भाषा-भाषी प्रान्तों से अकारण ही प्रदेश छीनने के पक्ष में नहीं हूं । इसलिये मैं पश्चिम बंगाल के लिये धनबाद और जमशेदपुर की मांग नहीं करता । मैं बिहार राज्य की अर्थ व्यवस्था, और उसके द्वारा देश-भर की अर्थव्यवस्था को भी गड़बड़ाना नहीं चाहता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने किशनगंज की उर्दू भाषी जनता की चिन्ता तो की । अच्छा होता यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हैदराबाद की वास्तविक उर्दू भाषी जनता की भी उतनी ही चिन्ता करती ।

श्री जयपाल सिंह ने आदिवासियों के प्रति मेरे और मेरे दल के रुख के संबंध में कहा है । मेरा विचार तो यह है कि आदिम जातियों के देशव्यापी आन्दोलन की हमारे नेताओं और राज्यपुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन द्वारा उपेक्षा की गई है । हमने आवश्यक रूप से संविधान की छठवीं अनुसूची में उग्र परिवर्तन करने की मांग उठाई है । पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । आगामी संविधान (संशोधन) विधेयक में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । आदिवासियों ने समग्र भारतीय सभ्यता के विकास में भारी योग दिया है, और हम दृढ़ता से उनके पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि उन्हें विकास का पूरा पूरा अवसर दिया जाये ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यह कहा गया था कि दार्जिलिंग में आदिम जातियों के जो कुछ लोग बसते हैं उनके लिये विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये। हमने तो यहां तक कहा है कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिन भागों में आदिम जातियां बसती हैं उनमें एक प्रकार के उपराज्य बनाये जायें, जिससे कि उन्हे विकास का पूरा पूरा अवसर मिल सके।

मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक भाग में आदिम जातियों को विशेष परित्राण दिये जायें। नये भारत के इस विकास में, मैं चाहता हूं कि श्री जयपाल सिंह भी मेरे दल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इसी प्रकार हम आदिम जातियों को उनके आत्म-सम्मान के आधार पर शेष भारतीय जनता के साथ स्वीकृत कर सकते हैं। श्री जयपाल सिंह ने स्वयं ही माना है कि अभी इस समय झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, फिर वे पता नहीं क्यों समूचे बिहार और बंगाल के संविलय के पक्ष का समर्थन करने लगते है। यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं उनकी इस मांग को तो समझ सकता था कि समूची सन्थाल जाति जन एक ही प्रशासन के अधीन रहें, लेकिन वे स्वयं ही उसे इस अवस्था पर अव्यवहारिक मानते हैं। यदि वह मांग व्यवहारिक होती तो मैं उसका समर्थन करता। मेरी सूचना तो यह है कि राज महल ओर पकौर जैसे कुछ क्षेत्रों के सन्थाल पश्चिम बंगाल में आना चाहते है। शायद सन्थालों की आधी से अधिक जन संख्या पश्चिम बंगाल में आ सकती है।

सन्थालों के संबंध में हमारे दल का कहना यह है कि सन्थाल जनता की राय ली जानी चाहिये कि उनमें से कितने पश्चिम बंगाल में आना चाहते हैं और कितने बिहार में ही रहना चाहते है। हमें इसका पता लगाना चाहिये। इसके लिये हमें एक विशेष जांच पड़ताल करनी चाहिये। मेरी अपनी सूचना तो यह है कि २३ लाख सन्थालों में से १८ लाख पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी राय से उन्हें अन्य राज्य में मिलाने के बाद भी उनको विशेष परित्राण दिये जाने चाहिये। इसीलिये मैं श्री चेतन मांझी के उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसकी सूचना दी गई है। वे बंगाल और बिहार के अल्पसंख्याकों को परित्राण देने के लिये एक विशेष अल्पसंख्यक बोर्ड की स्थापना चाहते हैं। पता नहीं उसको संबंध में प्रो० श्री जयपाल सिंह ने क्यों कुछ भी नहीं कहा है। मुझे आशा है कि अगले खंडों पर चर्चा के समय वे इस संशोधन का समर्थन करेंगे। मैं केवल यही चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा का समायोजन करते समय भाषावार सिद्धांत को ही आधार बनाया जाना चाहिये।

मैं निवेदन करता हूं कि भाषावार राज्य भारतीय एकता की एक दृढ़ आधार शिला होंगे। इसी भाषावार सिद्धांत के अनुसार समूचा पुर्लिया सब-डिवीजन पश्चिम बंगाल में मिलाया जाना चाहिये। अन्य विवादग्रस्त क्षेत्रों के बारे में आप को विशेष तौर पर जांच-पड़ताल करनी चाहिये। हमें जन गणना के पुराने आंकड़ों को विश्वसनीय मानकर नहीं चलना चाहिये।

डा० रामसुभग सिंह ने भोजपुरी के संबंध में कुछ कहा था। मैं उन्हें याद दिलादुं कि हमारे ही दल के भूतपूर्व सदस्य महा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहले भोजपुरी में साहित्य रचना की थी। लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया था। यदि आप सचमुच ही आदिवासियों भोजपुरियों और मैथिल लोगों का भला चाहते हैं, तो आपको प्रशासन को उनकी अपनी अपनी मातृभाषाओं और संस्कृतियों से संबंधित करना चाहिये। तभी हमारा लोक तंत्र सफल हो सकेगा। तभी हमारी जनता में अपनी छोटी इकाई और भारतीय एकता के प्रति निष्ठा पैदा हो सकेगी।

हम सभी महाभारत और रामायण और अपनी प्राचीन संस्कृति के वातावरण में पड़े हुये है। इसे झुठाया नहीं जा सकता है हम अपनी इसी प्राचीन संस्कृति के आधार पर स्वतंत्र भारत की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध है और हम स्वतंत्र भारत में राजनीति और संविधानिक कार्यों के क्षेत्र में उसकी शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणत कर सकते है।

इसी लिये, इसको देखते हुये मैंने भाषावार राज्यों का विचार प्रस्तुत किया है। सत्तारुढ़ दल उसका मखौल बनाता है वह उसे समझने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिये मैं बिहार की जनता से इसके महत्व को समझने का प्रयास करने लिये कह रहा हूं। उन्हें हमारी सद्भावना

पर संदेह नहीं करना चाहिये। उन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि यह दावे भाषाई आधारों पर किये गये हैं और यदि वे समझते हैं कि यह गलत है तो वे हमारी प्रत्येक मांग का विरोध कर सकते हैं।

अतः मेरा सुझाव है कि विधेयक में कुछ रूपभेद किये जायें और समूचा पुर्लिया सब डिवीजन पश्चिम बंगाल में मिला दिया जाये और अन्य विवादस्पद क्षेत्रों के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये और भाषा के आधार पर तथा प्रशासनिक सुविधा के लिये विधेयक में जिस जोड़ने वाली की कड़ी की व्यवस्था की गई है उसे वैसे ही रहने दिया जाये।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग—पश्चिम) : मुझे एक कहावत याद आती है । एक उंट पर कोई सवार हो कर कहीं चला जा रहा था। लेकिन उसके हाथ में नकेल नहीं थी। किसी ने पूछा कि तुम कहां चले जा रहे हो ? उस ने कहा कि न जाने कहां जाता हूं ऊंट की मर्जी है चाहे जहां ले जाये। इसी तरह इस दश की जो सरकार है, पता नहीं वह देश को कहां ले जा रही है, क्या होना चाहिये इस ओर उस का विचार नहीं है, मालूम होता है कि देश की परिस्थिति न किसी के हाथ में है और न किसी की समझ में आती है। लोग बार बार कह रहें हैं कि इस तरह के मामले को मुल्तवी कीजिये। मैं कहता हूं कि यह जो झगड़ा आप के सामने आता है वह सरकारों का है, कह सकते है कि यह झगड़ा पालिटीशियन (राजनैतिक) लोगों का है । वे इसे तय नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस मामले को लोगों पर ही छोड़ दिया जाय तो वे मिल कर आपस में बड़े मज़े में तय कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल राज हो रहा है, उससे यह तो मामला तय होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार होश में आवे। पद के मद में अंधी हो कर वह न चले और इस मामले को जनता के ऊपर ही छोड़ दे।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं छोटा नागपुर का रहने वाला हूं। मैं समझता हूं कि यह मेरा अधिकार भी है कि मैं छोटा नागपुर के बारे में कुछ कहूं और यह मेरा धर्म भी है। अब अंग्रेज़ यहां पर थे तो हमें छोटा नागपुर वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट (विशेष व्यवहार) मिला हुआ था। उसके बाद जब यहां पर विधा न परिषद चल रही थी उस समय भी हमारी एक ट्राईबल एरियाज़ सब-कमिटी (आदिम जाति क्षेत्र उप-समिति) बनी थी और उसने भी यही राय दी थी कि छोटा नागपुर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिये। लेकिन इस संबंध में अभी तक भी कोई विचार नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा और बहुत विस्तार से बातें कहने से हल्ला होने लगता है और मैं इसे अच्छा नहीं समझता। छोटा नागपुर बिहार का एक डिवीजन है और बिहार और छोटा नागपुर में जो एक साथ रहने के साधन हो सकते हैं, उन साधनों का इस समय वहां पर अभाव है, उनकी कमी है । इन दोनों में एक दम प्रेम का नाम नहीं और बिहार के लोग छोटा नागपुर का हर तरह से शोषण करना चाहते हैं। इसी कारण से बहुत दिनों से यह बात चल रही है कि छोटा नागपुर को अलग कर दिया जाय। इस आंदोलन के नेता बहुत दिनों से जयपाल सिंह जी थे जो अब दूसरे रास्ते पर जाते प्रतीत होते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से विचार करें। छोटा नागपुर को अलग करने के बारे में मैंने एक एमेंडमेंट (संशोधन) भी दी है और मैं चाहता हूं उसको मंजूर कर लिया जाय। जब ऐसा होगा तभी उसके साथ आप न्याय करेंगे। तब मैं समझता हूं कि यह जो बंगाल बिहार का झगड़ा है, यह भी दूर हो जायेगा। इस समय मानभूम के जिस हिस्से को बंगाल में मिलाया जा रहा है, उसे तो मैं छोटा नागपुर का एक भाग ही मानता हूं। अगर छोटा नागपुर को बिहार से अलग कर दिया जाये तो यह प्रश्न भीहल हो जायेगा। इस समय मानभूम के और छोटा नागपुर के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका जिस प्रकार दमन किया जा रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, उससे वे बच जायेंगे अगर उनका एक अलग से एक अलहदा प्रान्त बना दिया जाये। तो वे लोग इस नई स्टेट में सुखपूर्वक रह सकेंगें। मैं सरकार से कोई अधिक उम्मीद तो नहीं करता कि वह मेरी बात मान लेगी लेकिन वो भी चूंकी वे भी लोगों के प्रतिनिधि हैं और शासन चला रहे हैं मैं यह अपना फर्ज़ समझता हूं कि जो मैं ठीक समझता हूं उसे आपके सामने रखूं। मुझे तो पता नहीं चलता कि सरकार किधर जा रही है। लेकिन फिर भी यदि वह कोई ऐसा प्रबंध कर दे कि समूचे छोटा नागपुर और संथाल परगना को

[बाबू राम नारायण सिंह]

मिलाकर झारखंड के नाम से एक स्टेट बना दे तो यह न्याय की बात होगी। आज संथाल परगना के लोगों की क्या परिस्थिति है तथा उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहे देता हूं कि जो दो इलाकों के लोगों के एक साथ रहने के लक्षण हुआ करते हैं वे लक्षण वहां पर नहीं हैं और अलग होने के जो जो लक्षण भी मौजूद होने चाहिये वे वहां पर मौजूद है। इस वास्ते में चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यदि यह चीज़ संभव न हों आज की पारस्थितियों में तो एक रिजनल काउंसिल (प्रादेशिक परिषद) जैसी कि आपने तैलेंगना में बनाई है या जिस तरह की आप पंजाब में बनाने का विचार कर रहें हैं, इस इलाके के लिये भी बना दी जाये। इस काउंसिल में उस इलाके के नुमाइंदे बैठकर जो जो छोटा नागपुर की जरूरत हैं, जो जो वहां पर होना चाहिये, उस पर विचार कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर देने से वहां के लोग सुख और शान्ति से रह सकेंगे और इस तरह से छोट्य नागपुर के लोगों के जो दुख:, तकलीफ तथा ग्रीवियेंसिस चले आ रहे हैं, वे भी खत्म हो जायेंगे।

मैं एक एक नज़ीर आप के सामने रखकर यह साबित कर सकता हूं कि छोटा नागपुर अपने पावों पर खड़े होने के काबिल है। अगर उस इलाके की आप आमदनी को देखें तो वह भी किसी तरह से कम नहीं है। अगर आप उसके एरिया को देखे तो यह भी काफी है। किसी तरह से आप ले आप को पता चल जायेगा कि अगर उसको अलग कर दिया गया तो अगर वह बिहार का आधा हिस्सा नहीं होगा तो एक तिहाई तो अवश्य ही होगा। आज क्या हालत बिहार में है, यह मैं आपको जरा सा बतलाना चाहता हूं। बिहार में जो सरकार बनी हुई है, उसमें एक भी छोटा नागपुर का मंत्री नहीं है। कई लोग कहेंगे कि एक दो आदमी ऐसे हैं जो कि छोटा नागपुर के कहे जा सकते हैं। लेकिन वे तो ऐसे आदमी हैं जो इम्पोर्टिड हैं। आप यहां पर सैंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) को देख लीजिये। इसमें बिहार के कई वज़ीर हैं लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि छोटा नागपुर का हो। इस तरह से जो अन्याय छोटा नागपुर के साथ किया जा रहा है, वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस को बर्दाश्त किया जाय। आज देश में असंतोष फैल रहा है और भ्रष्टाचर का बोल-बाला है और मैं चाहता हूं कि जो सरकार है वह इस पर विचार करे और इस को दूर करने की कोशिश करे। जब तक लोगों के दिल में यह बात नहीं बिठाई जाती कि उनके साथ न्याय होगा, देश में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। आज जिधर देखो गोली चल रही है। यह सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। आज देश के अन्दर करप्शन (भ्रष्टाचार) है, असंतोष है। लोक किसी भी वक्त भड़क उठते है और देश में हल चल मच जाती है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को यहीं पर रोक दिया जाय और अगर इसे रोकना संभव नहीं है तो मैं चाहूंगा कि जो तरमीम मैंने दी है कि छोटा नागपुर को अलग कर दिया जाय और उसका एक स्वतंत्र प्रान्त बना दिया जाये, उसे तो आपको अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर इस तरमीम को आपके लिये मंजूर करना कठिन है तो मैं चाहूंगा कि आप छोटा नागपुर के लिये एक रिजनल काउंसिल बना दीजिये जिस तरह से कि आपने तैलंगाना और पंजाब के लिये बनाई है। यदि आप ऐसा कर देंगे ते में समझता हूं छोटा नागपुर के लोगों को विश्वास हो जायेगा कि उनके साथ भी न्याय किया जा रहा है। अगर आपने ऐसा न किया तो झगड़े बढ़ेंगे और असंतोष जो इस समय व्याप्त है, चलता रहेगा। मुझे बहुत ज्यादा और नहीं कहना है और मैं चाहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य जो कुछ मै ने कहा है उसपर गंभीरता पर्वक विचार करें और हमारे साथ इंसाफ करें।

एक बात को देखकर मुझे बड़ी निराशा होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी यह प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर सोचविचार करें और फिर अपना निर्णय दें। यह कहा जाता है कि इस सरकार का जो निर्णय होगा उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकेगी। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ३ के मुताबिक पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्टेटस की सीमाओं में अदल-बदल कर सकती है और कोई भी डिसिज़न ले सकती है। लेकिन आज असल में होता क्या है। अध्यक्ष महोदय, अगर

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार कुछ फैसला कर देती है और इस सदन के बहुत से लोग सरकार की बात में हां में हां मिला देते हैं और उसे पास कर देते है। सरकार को भी यह पता रहता है कि सदस्य हां में हां मिला कर उसकी लाई हुई चीज़ को पास कर ही देंगे। चाहे मेंबर साहिबान जितना छटपटायें, उन्हें सरकार का साथ देना ही पड़ेगा और उसके हक़ में वोट देना ही पड़ेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल कानूनी शक्लग्रहण कर ही लेगा। जब ऐसी बात ह तो इस पार्लियामेंट का यह इस सदन का इस देश में क्या महत्व रह जाता है, यह सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि यह जो परिस्थिति है इसे बिल्कुल खत्म होना चाहिये। आज जो लोग सरकार की हां में हां मिलाते हैं वे दुर्भाग्यवश अपने अधिकारों को नहीं देखते हैं। उनका क्या हक़ है इसको वे नहीं पहचानते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस पार्लियामेंट में ईश्वर को साक्षी रख कर अपनी राय देनी चाहिये और ऐसा नही करना चाहिये कि जो भी चीज़ एक व्यक्ति द्वारा या दो चार व्यक्तियों के एक ग्रूप द्वारा लाई जाती है, उसमें हां मे हां मिला दें। आज-कल तो ऐसा ही होता है। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से भी निवेदन करूंगा कि आप को इस विषय में विचार करना है कि आखिर इस देश में पार्लियामेंट का स्थान क्या है। जब सब बातों का निर्णय सरकार को स्वयं करना है, तो फिर झूठ-मुठ निर्णय मिलाने कराने के लिये और अपनी हां में हां मिलाने के लिये उन बातों को यहां पार्लियामेंट (संसद) में रखना बेकार है।

अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि और भी बहुत से लोग इस विषय में बोलने वाले हैं लेकिन मैं सब से यह अर्ज करूंगा कि चाहे भाषा का प्रश्न हो, अथवा कोई और प्रश्न हो, सब से पहली बात यह है कि देश में शान्ति होनी चाहिये, प्रेम होना चाहिये, सब को मिल-जुल कर रहना चाहिये और सब में सहयोग होना चाहिये जब तक सहयोग नहीं होगा, दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। अगर हर प्रश्न और समस्या के बारे में जनता का सहयोग लिया जायगा, तो यह निश्चित है कि कोई झगड़ा नहीं होगा। इस के विपरीत लोगों के सहयोग के बिना देश में न शान्ति स्थापित हो सकती है और नहीं लोग सुखी हो सकते हैं। इस लिये मैं सारे देश के लोगों से और सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस विषय में लोग शान्तिपूर्वक विचार करें, कोई किसी के साथ अन्याय न करे, सारे देश के लोगों के साथ न्याय हो और कोई किसी का शोषण न करे, इस का पक्का निश्चय हो जाना चाहिये।

यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना-पूर्व) : मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि हम किसी भी क्षेत्र को अपने पास रखने के लिये उत्सुक नहीं हूं, युक्ति और तर्क के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र के हस्तान्तरण के लिये तैयार हैं। यदि वह क्षेत्र हम से ले भी लिये जाये तो हमें इस बात से प्रसन्नता ही होगी क्यों कि हमारे लिये भारत की एकता अधिक महत्व रखती है।

मैं नहीं चाहती थी कि भाषा के प्रश्न को बार बार दोहराया जाता परन्तु क्योंकि श्री ही० ना० मुकर्जी ने उसको दोहराया है इसलिये मैं कुछ तथ्य आप के समक्ष रखती हूं।

यह प्रचार किया गया है कि वह क्षेत्र बंगाल भाषी है। बंगाल के किसी भी सदस्य ने जून १९५६ में की गई भाषाई जनगणना का उल्लेख नहीं किया। उस भाषाई जनगणना में देखा गया कि उक्त क्षेत्र लगभग ५० प्रतिशत जनता हिन्दी भाषी है। हस्तान्तरित किये जाने वाले क्षेत्र में केवल तीन थानों में बंगला भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में मिलाना उचित है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। झालदा और जयपुर में हिन्दी भाषी जनसंख्या ७७.६ प्रतिशत है और बंगाला भाषी १३.८ प्रतिशत। पुरुलिया, अर्सा, बलरामपुर और चास में हिन्दी भाषी जनसंख्या बंगला भाषी जनसंख्या से अधिक है।

वह इस क्षेत्रको इस आधार पर लेना चाहते हैं कि यह बंगला-भाषी क्षेत्र है। परन्तु भाषा के संबंध में वास्तविक तथ्य मैं बता ही चुकी हूं। मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री स्पष्टतः बतायें कि क्या जून १९५६ में की गई भाषाई जनगणना के आंकड़े ठीक माने गये है या नहीं। उन्हों ने ग्रीयर्सन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

के उद्धरण दिये । मै भी इस प्रकार के कई उद्धरण दे सकती हूं परन्तु मैं व्यर्थ में सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहती । उन्होंनें यह प्रचार किया है कि भाषा के आधार पर ही पश्चिम बंगाल और बिहार की समस्या हल हो सकती है । इस संबंध में मैं बताती हूं कि श्री हिगनल ने जो कि १९१५ में मानभूम के मण्डलायुक्त थे, बंगालियों के उस अभ्यावेदन पर, जो उन्होंने हिन्दी को न्यायालय की दूसरी भाषा बनाने के विरोध में दिया था, यह लिखा था कि ३५ या ३६ वर्ष पूर्व सब-डिवीज़न न्यायालयों में सभी वकील और मुख्त्यार हिन्दी अथवा उर्दू में बोलते थे परन्तु १९१२ के समाप्त होने तक हिन्दी या उर्दू बोलने वाला एक भी वकील या मुख्त्यार नहीं रह गया था । सभी सरकारी कामों में यही हालत थी और सभी स्थानों पर बंगाली काम कर रहे थे और बंगला भाषा का प्रयोग किया जा रहा था । हजारी बाग के निकट टोपोचांची थाना में जहां गत जनगणना के अनुसार ७३ प्रतिशत व्यक्ति हिन्दी भाषी हैं, वहां भी किसी पाठशाला में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं था । १९१२ में यह हालत थी परन्तु बिहार सरकार ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और हालत को सुधारने का कोई प्रयन्न नहीं किया । बंगाली पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने स्थिति का लाभ उठाया और १९११–१२ की जनगणना के आंगड़ों में वे हेर-फेर करते रहे क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से वे इस क्षेत्र को बिहार से अलग करके बंगाल में सम्मिलित कर सकेंगे ।

जिस दूरदर्शिता से उन्होंने इस सारे काम को किया उससे मुझे आश्चर्य होता है । वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां इसे बंगला-भाषी क्षेत्र कहेंगी परन्तु अब इस बात पर आपत्ति की गई है । अतः यह कहना गलत होगा कि यह क्षेत्र मुख्यतः बंगला भाषी है ।

श्री मुकर्जी ने और बंगाल के लगभग सभी समाचार पत्रों ने कहा है कि बिहार की नीति कृपण जैसी रही है । परन्तु वे इस बात को भूल गये कि बिहार का जो जन्मसिद्ध अधिकार था वह उसे नही मिला है । पुर्निया का बलिदान हमने इसलिये किया कि मध्य बंगाल और उतर बंगाल के संपर्क बने रहें और इसमें देश का हित था । इसी कारण हमने गृह-कार्य मंत्री के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था कि राष्ट्रीय राजपथ के दूसरी ओर का क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दे दिया जाय परन्तु हमने अन्य क्षेत्र को देना स्वीकार नहीं किया था । बिहार ने सदा देश की भलाई को सामने रख हुये कार्य किया है परन्तु पश्चिम बंगाल ने कभी समझौता की बात नहीं की ।

मानभूम के लिये गृह-कार्य मंत्री ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है । उन्होंने केवल जलग्रहण क्षेत्र की दलील दी है परन्तु गंडक नदी का जलग्रहण क्षेत्र भी तो उत्तर प्रदेश में है । क्या इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सारा क्षेत्र बिहार को दे दिया जाये ? यह तो कोई उचित तर्क नहीं है ।

आर्थिक स्थिति के आधार पर भी यह उचित नहीं होगा कि वह क्षेत्र बंगाल को दे दिया जाये । बंगाल में १५.४ प्रतिशत और बिहार में ३.९ प्रतिशत गैर-काश्तकार लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन कार्यों में लगे हुये है । भूमिहीन कृषि श्रमिकों का अनुपात पश्चिम बंगाल में १२.३ और बिहार में २१.९ है, बिहार का प्रति व्यक्ति राजस्व ८.५ और बंगाल का १५.१ प्रतिशत है । क्या इस आर्थिक अवस्था के आधार पर बिहार से बंगाल में इन क्षेत्रों का हस्तान्तरण करना उचित होगा ? जिस क्षेत्र का हस्तान्तरण किया जा रहा है हम उसका औद्योगिक विकास करके और वहां विकास कार्य आरंभ करके बिहार जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं । परन्तु उसका हस्तान्तरण कर देने से हम कुछ नहीं कर सकेंगे ।

भारत के सभी राज्यों की तुलना में बिहार की आर्थिक हालत खराब है अतः इन क्षेत्रों के हस्तान्तरण से इसे और भी हानि पहुंचेगी । म स्वीकार करती हूं कि बंगाल ने कष्ट सहे हैं । मुझे उस के साथ सहानुभूति है परन्तु उसका यह अर्थ तो नहीं है कि यह क्षेत्र उसे दे दिये जायें । इससे उसके कष्ट कम नहीं होगे । माननीय गृह-कार्य मंत्री बतायें कि इस से उसके कष्टों में कैसे कमी होगी । वहाँ विस्थापित व्यक्तियों को बसाने को कोई औचित्य नहीं है । आयोग ने भी इसे स्वीकार किया

है कि वहां विस्थापित व्यक्तियों को बसाना उचित नहीं होगा क्यों कि वहां की आबादी पहले से ही बहुत घनी है। आयोग ने विशेष परित्राणों की व्यवस्था किये जाने की सिफारिश की ताकि वहां विस्थापित व्यक्तियों को न बसाया जा सके । ऐसा होने पर बंगाल को इस क्षेत्र से कोई लाभ नहीं होगा। यदि इससे पश्चिम बंगाल को कोई लाभ होता तो हम अवश्य इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लेते। इस क्षेत्र को बंगाल को दे देने से राष्ट्रीय एकता को क्या लाभ होगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बंगाल को इस क्षेत्र से लाभ होगा क्योंकि वह कसई नदी पर अपनी परियोजना आरंभ कर सकता है जिसका जलग्रहण क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। उस क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम पहले ही से काम कर रहा है। इस से हजारों बिहारी विस्थापित हो गये है। मैं लोक-सभा और माननीय मंत्री से अपील करती हूं कसई नदी के जलग्रहण क्षेत्र का हस्तान्तरण दामोदर घाटी निगम में कर दिया जाये क्यों कि वह उसके बहुत समीप ही है। इससे न तो बंगाल को हानि पहुंचेगी न बिहार को। माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करें।

बंगाल की जनता के मानसिक संतोष के लिये ही यह हस्तान्तरण किया जा सकता है, परन्तु इस से उसका मानसिक संतोष होगा इसमें भी मुझे संदेह है। उड़ीसा और आसाम से भी उसका संतोष नहीं हुआ था।

धनबाद और जमशेदपुर को मिलाने वाले राजपथ की बाईं ओर वाले क्षेत्र को बिहार में रहने दिया जाये। धनबाद में हमारे कोयला क्षेत्र हैं। इसके आस पास नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। हमें भी इस पृष्ठ भूमि से लाभ उठाने दिया जाये। जिस क्षेत्र का हस्तान्तरण किया जा रहा है वह बिहार की पृष्ठ भूमि, है, इसे हमारे पास ही रहने दिया जाये। लोक-सभा और माननीय मंत्री इस बात पर पुनः विचार करें और उस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये जिसकी कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वसूचना दी है। इस क्षेत्र को बिहार को लौटा देने से पश्चिम बंगाल को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी परन्तु हमें इस से लाभ हो सकता है।

यह उचित होगा कि वह क्षेत्र हमारे पास ही रहे क्योंकि वह क्षेत्र जमशेदपुर को धनबाद से और पटना को रांची से मिलाता है। यदि बंगाल के साथ न्याय किया गया है तो हमारे राज्य के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। माननीय गृह-कार्य मंत्री हमारी मांग को उचित समझते हैं परन्तु फिर भी उन्होंने उसे पूरा नही किया है। मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वह गृह-कार्य मंत्री को बता दें कि बिहार के सदस्यों को इस से बड़ा दुःख हुआ है। धनबाद और जमशेदपुर को मिलाने वाले राजपथ के दूसरी ओर वाले क्षेत्र को हम बंगाल को देने के लिये तैयार हैं परन्तु धनबाद और जमशेदपुर की पृष्ठ भूमि को हमसे न छीना जाये। इन बातों का निर्णय स्वयं संसद को करना चाहिये।

यह आवश्यक नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें ज्यों कि त्यों मान ली जायें। वे तो केवल हमारे मार्ग प्रदर्शन के लिये है; हमें उन पर सोच विचार करके स्वयं निर्णय करने चाहियें।

†**श्री ल० ना० मिश्र** (दरभंगा व भागलपुर) : मैं इस विधेयक के उपबंधों से सहमत नहीं हूं। मैं इसका विरोध करता हूं क्यों कि यह युक्ति और तर्क पर आधारित नहीं है और इस से बिहार और बंगाल के परस्पर संबंध ठीक नहीं रह सकते हैं।

मेरे क्षेत्र में लगभग ५ से १० प्रतिशत बंगाली लोग १०० या १५० वर्ष से रह रहे हैं। अभी तक उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे परन्तु अब वह संबंध ठीक नहीं रह सकते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि बंगाल और बिहार के मध्य अच्छे संबंध बनाये रखने के लिये इस विधेयक को वापस ले लिया जाये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने बताया था कि किसी ऐसे क्षेत्र को, जहां एक भाषा बोलने वालों की संख्या ७० प्रतिशत से कम हो, एक भाषा-भाषी क्षेत्र नहीं माना जाना चाहिये। बिहार के जिस क्षेत्र का बंगला में हस्तान्तरण किया जा रहा है उसमें बंगला भाषी लोगों की संख्या

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ल० ना० मिश्र]

५५ प्रतिशत से अधिक नही है। यदि इस क्षेत्र का हस्तान्तरण किया जाता है तो कोलार को आंध्र में क्यों नहीं मिलाया गया उसे मैसूर ही में क्यों रखा गया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि हम ने किशन गंज का पूर्वी क्षेत्र बंगाल को देना इसलिये स्वीकार कर लिया था ताकि दार्जिलिंग और अन्य जिलों से उसका संपर्क बना रहे। मैं यह कहना चाहता हूं यदि आप चाहते हैं कि बंगाल का क्षेत्र आपस में मिला हुआ रहे तो बिहार के बारे में भी हमें इसी प्रकार सोचना चाहिये। बिहार को भी इसी बात की आवश्यकता है।

धनबाद और जमशेदपुर हमारे दो औद्योगिक क्षेत्र हैं। धनबाद में कोयला क्षेत्र है और जमशेदपुर को कच्चा माल भेजना पड़ता है। जिस क्षेत्र का हस्तान्तरण किया जा रहा है उसमें से लगभग एक हजार से अधिक लारियां हर-रोज आती जाती है।

भाषा या सघनता के आधार पर तर्क करना ठीक नहीं है। क्योंकि इससे हम भी अपनी सघनता के विशेषाधिकार से वंचित हो जाते हैं।

बंगाल की आर्थिक और वित्तीय अवस्था को सुधारने के निमित्त हम त्याग करने को तैयार हैं। अब भी हमारी अवस्था बंगाल की अपेक्षा बहुत खराब है। बिहार में प्रति व्यक्ति राजस्व से आय बंगाल की अपेक्षा बहुत कम है। अतः आर्थिक दृष्टि से इस हस्तान्तरण से बंगाल को कोई लाभ नहीं होगा।

शरणार्थी पुनर्वास के बारे में आयोग का और संयुक्त समिति का यह निश्चित मत है कि उन्हें किशनगंज के आस पास न बसाया जाय। शरणार्थी समस्या समस्त देश की समस्या है और इस का भार उठाना बंगाल और बिहार के संसाधनों से परे है। यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। निस्संदेह इसमें बिहार बंगाल और बंबई सभी का हिस्सा बंटाना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस में बंगाल का कितने प्रतिशत भाग होगा। किशनगंज में शरणार्थीयों को न बसाने का आप आश्वासन दे रहे हैं और उसके लिये कोई भूमि नहीं मिल रही। वर्दवान की अपेक्षा पुरुलिया में अधिक घनी आबादी होने के कारण वहां शरणार्थियों कों बसाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जलग्रहण क्षेत्र के बारे में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा है। बिहार में दामोदर घाटी निगम और मयूराक्षी से कोई सिंचाई नहीं की जायेगी। मयूराक्षी के संबंध में बिहारियों को कोई प्रतिकर भी नहीं मिला है। कसई नदी के संसाधनों का उपयोग बिहारियों की सहमति से ही किया जा सकता है। कई जलग्रहण क्षेत्रों के बारे में विभिन्न राज्यों के बीच विवाद उठे है। वे जलग्रहण क्षेत्र किन राज्यों में मिले, यह एक बड़ी समस्या है ? अतः इस संबंध में जलग्रहण का तर्क देना खतरनाक है। यदि सघनता के कारण किशनगंज बंगाल को देंगे तो मानभूम क्षेत्र में हमारी भी सघनता नष्ट न की जाये। यदि कसई का जलग्रहण क्षेत्र बंगाल को दिया जाता है तो तुंगभद्रा का जलग्रहण क्षेत्र मैसूर को मिलना चाहिये जो सिद्धांत एक मामले में अपनाया जाये वह दूसरे मामलों में भी अपनाया जाना चाहिये। अतः इस विधेयक का यह तर्क सर्वथा अनुचित है।

ऐसा करने से समस्या हल होने की बजाये ओर भी पेचीदा हो जायेगी। बंगाल को भी इस से कोई लाभ नहीं होगा। हम बंगाल के नेताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, परन्तु श्री हीरेन मुकर्जी द्वारा उनका उल्लेख किया जाना उचित नहीं था।

श्री जयपाल सिंह ने कहा है कि बिहार के लाखों लोग दूरस्थ गांवों में रहते है। उन में मैत्री-पूर्ण और अच्छे संबंध बने रहें, इसके लिये आवश्यक है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय।

बंगाल के मुख्य मंत्री ने ठीक ही कहा था कि यह समस्या का अन्त नहीं, प्रारंभ है। यह राजनैतिक और भावनात्मक समस्या है। इस छोटे से क्षेत्र के हस्तान्तरण से समस्या हल नहीं होगी। समस्या तो तब हल होगी जब आसाम, उड़ीसा और बिहार बंगाल में मिल जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वृहत बंबई राज्य बड़ा सुंदर राज्य बनेगा। पूर्वी भारत में भी इस प्रकार का एक बड़ा राज्य होना चाहिये। यह पूर्वी प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से, इस्पात परियोजनाओं और सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी तथा कोयला और अभ्रक की खानों के कारण एक बहुत ही सुन्दर प्रदेश बनेगा। देश की तीन नदी घाटी परियोजनायें इसमें होगी। इस से बंगाल और दूसरे राज्यों की अनेक समस्यायें हल हो सकती हैं। हम बिहारी लोक सभा के इस प्रकार के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करेंगे। पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के प्रश्न भी इस पूर्व प्रदेश के निर्माण से हल हो सकते हैं और सीमा पर यह एक बड़ा शक्तिशाली संगठित राज्य होगा। प्रतिरक्षा की दृष्टि से तथा देश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह एक प्रथम श्रेणी का राज्य होगा। इसलिये आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला कर एक प्रदेश बनाया जाये।

यदि यह बात स्वीकार नहीं की जाती है तो धनबाद और जमशेदपुर के बीच संपर्क स्थापित किया जाना चाहिये। हमारा वह क्षेत्र इस से लिया जा रहा है। मैं बंगाली मित्रों से अपील करूंगा कि उस भाग को विछिन्न न किया जाय। यदि आप इसके बारे में बड़े उत्सुक है, तो इस प्रकार हमारी व्यवस्था को भंग न कीजिये क्योंकि हमारे लिये जमशेदपुर के इर्द गिर्द एक औद्योगिक केन्द्र स्थापित करना कठिन होगा।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी): मैंने संयुक्त समिति के प्रतिवेदन और विमति टिप्पणों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है।

श्री चटर्जी ने अपने विमत्ति टिप्पण के प्रारंभ से ही लिखा है कि बंगाल में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये बहुत बलिदान दिया है, इस लिये इसके साथ न्याय किया जाना चाहिये। परन्तु क्या अन्य राज्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? और यदि किसी राज्य ने भाग न भी लिया हो तो क्या उसके प्रति न्याय नही किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं श्री चटर्जी का यह आशय नहीं है। हम तो साम्यवादियों के हितों की भी रक्षा करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था और हमारा विरोध किया था। श्री चटर्जी के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि बंगाल एक छोटा राज्य है, इसलिये इसमें बिहार के कुछ भाग मिला कर बंगाल को बड़ा राज्य बना दिया जाय।

उन्होंने शरणार्थी समस्या के बारे में जो प्रक्रिया दी है उनसे मैं प्रभावित हुआ हूं। यह अकेले बंगाल की नहीं, अपितु समूचे देश की समस्या है। परन्तु बंगालियों की इस नीति ने शरणार्थीयों के पुनर्वास के माग में बाधायें उत्पन्न कर रखी है। वे बंगाल में उनको बसाना नहीं चाहते फिर जिन क्षेत्रों में वे जाकर बसेंगे बाद में उनको बंगाल में मिलाये जाने की मांग की जायेगी। शरणार्थियों के पुनर्वास में यही सबसे बड़ी अड़चन है। इस प्रकार यह समस्या हल नहीं हो सकती हैं।

इसका हल एक पूर्व प्रदेश का निर्माण करने से हो सकता है। पश्चिम जर्मनी में ९० लाख से भी अधिक शरणार्थी बसाये गये थे और वहां अब भी काम करने वालों की कमी है। यदि इन तीनों-चारों राज्यों को मिलाकर एक पूर्व प्रदेश बना दिया जाय तो इतने ही नहीं अपितु और भी शरणार्थी उसमें बसाये जा सकते हैं। और इन सब को रोजगार मिलने के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लोगों को भी कारबार मिल सकता है।

कहा गया है कि दबाव के कारण संविलय का विचार छोड़ दिया गया है। किन्तु इसका यह कारण नहीं है। मैंने तो इस प्रस्ताव के आरंभ में ही कहा था कि इस कार्य के लिये यह उपयुक्त समय नहीं था क्योंकि अभी भी लोगों के मन में अपवाद की भावना काम कर रही है। कांग्रेस के लोग भी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे इतना ६०-७० मंत्रियों आदि को नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इस कारण वे इस के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग निर्वाचनों के कारण भी इस संविलय के पक्ष में नहीं थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

लोगों में भाषावाद का विष फैला हुआ था इस कारण यह संविलय संभव नहीं था। अब प्रधान मंत्री और लोक-सभा ने यह निश्चय कर लिया है कि भाषावाद के आधार पर राज्य नहीं बनाये जायेंगे इसलिये अब भविष्य में बड़े राज्यों की स्थापना की संभावना हो सकती है।

यदि निष्पक्षता से देखा जाये तो अन्याय बंगालियों के प्रति नहीं; अपितु बिहारियों के प्रति हुआ है बंगाल बिहार के संविलय से बंगलियों को आशंका थी कि बिहारियों का बहुमत हो जायेगा। परन्तु इन चारों राज्यों के संविलय से इस आशंका को कोई स्थान नहीं रह जाता है। जनता चारों राज्यों के विलय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। अब जनता बड़े द्विभाषी राज्यों की स्थापना के पक्ष में है। भाषावाद के द्वारा जो विद्वेष फैला था, उसके दर हो जाने पर बड़े राज्यों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगेगी। छोटे-मोटे क्षेत्रों के मिलने से समस्या हल नहीं होगी इसका हल तो समचे राज्यों के मिलाने से ही होगा।

आसाम में खेती और बागान आदि के विकास की बड़ी गुंजाइश है, परन्तु वे लोग बंगालियों को वहां बसाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि बाद को बंगाल उस क्षेत्र की भी मांग करने लगेगा। डा० राय का भी यह मत था कि इस प्रकार के दावों का अन्त नहीं हो सकता। उचित वातावरण के स्थापित होने पर चारों राज्यों के संविलय का उचित हल सब को स्वीकार्य होगा।

बंगाल बिहार के संविलय के प्रस्ताव के बारे में विचार परिवर्तन होने का यह कारण बताना सर्वथा गलत है कि उप-चुनाव में सत्तारुढ़ दल की हार हुई थी इस कारण यह विचार त्याग दिया गया है। यह बात निर्मूल है।

क्या श्री ही० ना० मुकर्जी बंगाली भाषी लोगों को इकट्ठे करके शरणार्थी समस्या को हल कर सकेगें ? इस से तो लोगों की कठिनांइयां बहुत बढ़ जायेंगी। वास्तव में सीमाओं पर शरणार्थियों को बसाने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिये बिहारी जनता को डा० राय की बातों से क्रोध नहीं करना चाहिये। उन्हें समझना चाहिये कि देश में एक भाषी राज्य नहीं बन सकते है हमें बड़े राज्यों का निर्माण करना ही होगा। आज नहीं, तो बाद को यह करना ही होगा। बड़े राज्य बनाने ही पड़ेंगे। मैं मानता हूं यह विधेयक तर्कसंगत नही है, फिर भी हमें इसे इस समय स्वीकार कर लेना चाहिये और बृहत द्विभाषी राज्य की आशा करनी चाहिये।

मुझे बंगाली मित्रों की भावनाओं से सहानुभूति है। मैं उनकी कठिनाइयों को भी समझता हूं, किन्तु मैं उनसे प्रर्थना करूंगा कि वे दूरदर्शिता से काम लें। वहां बेकारी की समस्या बहुत व्यापक है। इसे केवल एक वृहत राज्य बना करके ही हल किया जा सकता है।

जनसंख्या के आंकड़ों में गड़बड़ी किये जाने की बात कही गई। परन्तु यदि हमारे-तुम्हारे का भेद ही मिटा दिया जाये, तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में पूर्व में एक बड़ा बहुभाषी राज्य बनेगा।

एक बार हम ठीक मार्ग अपना लें, फिर मार्ग की बहुत सी बाधायें स्वत: ही नष्ट हो जाया करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री गाडगील ने अपनी कार्यपद्धति की गलती को महसूस कर लिया है। कोई अज्ञात शक्ति सदा कार्य करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के पूर्व में एक बड़ा पूर्व प्रदेश बन कर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं इस विधेयक का इस कारण स्वागत करता हूं कि इसमें पश्चिमी बंगाल के दो भागों को मिलाने का उपबंध किया गया है, यह राज्यों की सघनता का प्रश्न नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित का प्रश्न है क्योंकि अब पूर्व पाकिस्तान के साथ सीमायें तीन भागों में नहीं बटीं होंगी, बल्कि वह एक होगी; और निश्चित रुप से राष्ट्रीय सरकार के दृष्टिकोण से यह एक उचित बात है। इस लिये मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं अधिकतम इस विधेयक का इस कारण स्वागत करता हूं कि यह राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार की विजय की प्रतीक है। दो

†मूल अंग्रेजी में।

राज्यों के संविलय का प्रयत्न नहीं किया गया है और यह गर्व की बात है कि बंगाल की जनता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस संविलय से एक बड़ा राज्य बन जायेगा परन्तु इससे लोगों की भावनाओं का अन्त हो जाता, जो लोग अपनी मातृ भाषा में प्रशासन कार्य चलाना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा खत्म हो जाती। दूसरे इस के कई झगड़े बढ़ जाते और संभवत: कम से कम दो या तीन राज्य बन जाते, क्योंकि विभिन्न दल एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते।

इस के अतिरिक्त, हमारे देश की समस्याओं का सर्वोत्तम लोकतन्त्रीय समाधान, राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन है और इस विलीनीकरण से यह आदर्श पूर्णत: समाप्त हो जाता जिन क्षेत्रों को हस्तान्तरित किया जा रहा है वे अधिकतर बंगाल भाषा भाषी हैं और यही कारण है कि मैं विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु भाषा संबंधी सिद्धांत को उसके तर्कसंगत निष्कर्षतक लागू नहीं किया गया है।

गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा है इस विधेयक से सभी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हुये है। यदि ऐसा है तो इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है क्यों कि वह उन सिद्धांतों से पीछे हटी है जिनकी उसने प्रतीक्षा की थी, प्रधान मंत्री के यह शब्द सुनकर मुझे अचम्बा हुआ था कि कांग्रेस एकल भाषी राज्यों के सिद्धांत के अब पक्ष में नहीं है, ७ नवंबर, १९४७ को उन्होंने एक अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देत हुये कहा था, कि कांग्रेस भाषा के आधार पर पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार करती है। कांग्रेस ने अपने वचनों को भंग किया है और प्रशासी सुविधा, आर्थिक सुविधा जैसे असंगत बातें पुरस्थापित की हैं जिनसे दोनो के पंक्षों के व्यक्ति, प्रादेशिक दावों के समर्थन के लिये दोनों दिशाओं में, अर्थ निकाल सकते हैं।यदि कांग्रेस भाषा संबंधी आधार पर पुनर्गठन के पुराने सिद्धांत पर डटी रहती तब यही होता कि कोई ऐसा विवाद होता कि क्या अमुक क्षेत्र भाषा संबंधी आधार पर अमुक पक्ष का है या नहीं है और इस समस्या का समाधान भी सरल होता। एक निष्पक्ष सीमा आयोग गठित किया जाता और उसे निर्णय करने के लिये कहा जाता। गांव को इकाई माना जा सकता था यदि सीमा आओग वास्तव में निष्पक्ष होता तो किसी को भी उस के निर्णय पर आपत्ति नहीं हो सकती थी। इस प्रकार बिना किसी रुकावट के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया जा सकता था, परन्तु आज वे जनता पर असंतुष्टि के लिये आरोप लगा रहे हैं। हम अपने पुराने सिद्धांतों पर कायम हैं और देश के विरूद्ध किसी अभिद्रो के लिये अपराधी नहीं हैं।

हम से प्राय यह कहा जाता है कि आप को यह चुनना होगा कि क्या आप सर्वप्रथम भारतीय हैं या बंगाली या बिहारी या उड़ीया हैं, यहाँ पहले और दूसरे का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं। मैं भारतीय हूं और साथ ही साथ बंगाली हूं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं एक साथ दोनों न हो सकूं। आप इस पहले और दूसरे का प्रश्न उठाकर ही भारत तथा बंगाल, या भारत तथा बिहार, या उत्तर प्रदेश या उड़ीसा, जैसी भी स्थिति हो, फूट पैदा करते हैं। यह प्रश्न राष्ट्रीयता की परम्पराओं के अनकूल है और भाषा संबंधी आधार पर पुनर्गठन के सिद्धान्त के भी विरुद्ध है। हमारे राष्ट्रीय गान में भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा के शब्द हैं, इन्हें स्पष्ट रुप से भारत का भाग कहा गया है, और यही हमारी परम्परा है। इन उच्च आदर्शों के साथ विश्वासघात करने के फलस्वरुप आज सभी प्रकार के दावे किये जा रहे हैं जैसे कि हम किसी विदेशी राष्ट्र से कुछ दावा कर रहे हों। परिणामस्वरुप विभिन्न भागों में एक ही दल के व्यक्ति लड़-झगड़ रहे हैं। साम्यवादियों के विरुद्ध जो कुछ कहा गया है उस के उत्तर में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि १९४२ में प्रधान मंत्री ने यह शब्द कहे थे कि यदि नेताजी सुभाष बोस जापानी सेना के नेता के रूप में भारत आये तो वह गोलियों से उनसे भेंट करेंगे। गलत या ठीक हमारी भी यही राय थी। नवंबर १९४५ में जब कलकत्ता के बाजारों में लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थीं, कांग्रेसी नेताओं ने बंगाल के राज्यपाल श्री केसी से भेंट की थी और तुरंत ही बाद में एक वक्तव्य में लोगों से अहिंसक रहने के लिये कहा था। बृटिश गुण्डागर्दी की निन्दा में एक शब्द भी नहीं कहा था। १९४६ में रायल इंडियन नेवी के सैन्यद्रोह में कांग्रेसी नेताओं ने नौसेना के सैनिकों से सैन्यद्रोह समाप्त करने के लिये कहा था और सुरक्षा का आश्वासन दिया था और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था। मैं इस से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

[श्री साधन गुप्त]

अब मैं वास्तविक बातों की ओर आता हूं। मैंने कहा था कि इस सिद्धांत से विमुख होने से झगड़े बढ़ गये हैं और पूर्णतः असंगत बातें कही जा रही हैं। बिहार के सदस्यों द्वारा कहा गया है कि बंगाल को रियायत देने से रांची और धनबाद या धनबाद और जमशेदपुर के बीच एक अटूट संचार व्यवस्था से बिहार वंचित हो जायेगा। हम किसी विदेशी राष्ट्र के बीच में से हो कर नहीं गुज़र रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के मामले में कड़ी की एकमात्र औचित्यता यह है कि पूर्वी पाकिस्तान की ओर सीमा टुकड़ियों में न हों। दो राज्यों में होने से विधि तथा व्यवस्था में कठिनाई होती है जैसे कि तस्कर व्यापार की समस्या है। पाकिस्तान से चोरी छिपे माल लाने वाले बिहार में आकर बंगाल में भाग जाते हैं या बंगाल में आ कर बिहार में निकल जाते हैं। इसीलिये यह कड़ी प्रदान की गई है और एक इंच भूमि भी अधिक नहीं दी गई है। परन्तु दूसरी ओर क्या कोई विदेशी सीमा है? बिल्कुल नहीं। केवल एक सड़क पार करनी है और इसमें कठिनाई क्या है? इसलिये सघनता का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है? रियासतों के विलीनीकरण से पूर्व जमशेदपुर जाने के लिये बिहार को सरायकेला और खारस्वान की रियासतों में से गुज़रना पड़ता था जो न बंगाल में थीं न उड़ीसा में न ही ब्रिटिश इंडिया में। उस समय जब कोई कठिनाई नहीं थी तो आज क्या हो सकती है?

जहां तक किशनगंज के गैर-बंगालियों का संबंध है उनकी सुरक्षा अवश्य होनी चाहिये और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। हम यह कह सकते हैं कि हमारा दल इस बात पर पूरा ध्यान देगा और राज्य पुनर्गठन आयोग की इच्छाओं का सम्मान करेगा और यह देखेगा कि शरणार्थियों को उन पर नहीं लादा जाता है क्योंकि यहां जन-घनता अत्याधिक है। बल्कि अन्य विस्थापित व्यक्तियों को भूमि देने के लिये बसे हुये लोगों को नहीं उखाड़ना चाहिये। बड़े आदमियों के पास भूमि है, उन से भूमि लेकर पुनर्वास समस्या का समाधान किया जा सकता है, इसलिये हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।

बिहार में कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जो अविवाद रूप से बंगला भाषा भाषी हैं, जैसे कि पूर्निया, धलभूम सब-डिवीज़न, सन्थल परगना और मानभूम जिले के धनबाद सब डिवीज़न के क्षेत्र हैं। पश्चिमी बंगाल कांग्रेस ने विभिन्न जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों की मांग की है। उसने भाषा संबंधी विचारों पर अपना दावा नहीं किया है बल्कि प्रशासी सुविधा और आर्थिक दृष्टिकोण आदि के आधार पर यह दावा किया है। हम यह कहते हैं कि एक सीमा आयोग इन बातों पर विचार करे और बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों को सीमांकित करे। इन क्षेत्रों को जो पश्चिमी बंगाल राज्य के संस्पर्शी हैं, बंगाल में मिला दिया जाय। शेष क्षेत्र बिहार में ही रहें।

जहां तक पुरुलिया का संबंध है वह बंगला भाषा भाषी है। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने यह सिद्ध करने के लिये कि ऐसा नहीं है कई बातों का हवाला दिया है। हम १९५१ की जनगणना या १९५५–५६ की पुनःगणना पर विश्वास नहीं करते क्योंकि यह गणना ऐसे वातावरण में हुई है जिसमें किसी न किसी पक्ष को परिणाम में रुचि थी तथा इस दिशा में वह अपना प्रभाव डालना चाहता था। उन्होंने किसी पूज्यपाद की राय की भी चर्चा की है जिन्होंने कहा है कि तीस वर्ष पहले न्यायालयों में हिन्दी और उर्दू में काम होता था परन्तु ऐसा आज नहीं हो रहा है, इस कथन से यह सिद्ध नहीं होता है कि यह बंगला भाषा भाषी क्षेत्र नहीं है। इस से यह भी सिद्ध नहीं होता कि बंगाली वहां पर अल्प-संख्या में हैं। इससे केवल यही पता चलता है कि उन दिनों के प्रशासकों द्वारा हिन्दी भाषा को दबाने का प्रयत्न किया गया था।

दूसरी ओर ग्रियर्सन का प्रमाणित कथन है जिसने कहा है कि वे बंगला-भाषी हैं। क्योंकि वह अंग्रेज थे इसलिये यह बात नहीं कही जा सकती कि वह किसी एक दल के समर्थक थे। अतः मेरा ख्याल है कि हम यह स्वीकार कर सकते हैं।

सन्देहास्पद क्षेत्रों के लिये हमने एक सीमा आयोग का समर्थन किया है। हम भाषावार पुनर्गठन के सिद्धांत को मानते हैं। इस सिद्धांत को मानने की आवश्यकता का यह अर्थ नहीं है कि हम अलग हैं। लोकतन्त्रात्मक प्रशासन संबंधी हमारी आवश्यकता यह है कि लोग प्रशासन में भाग ले सकें

और उसके ढंगों को समझ सकें तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रशासन-कार्य का लोगों की भाषा में होना आवश्यक है।

श्री म० महाता (मानभूम—दक्षिण व धालभूम) **ने बंगला में बोलना आरंभ किया।**

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (जिला बनारस—पूर्व) : भाषण का रेकार्ड कैसे होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें अपने भाषण का अंग्रेजी अनुवाद देना होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : एक औचित्य प्रश्न पर। हिन्दी या अंग्रजी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में बोलने की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जाती है जब कि सदस्य दोनों में से कोई भी भाषा न जानता हो। यदि सदस्य हिन्दी जानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अन्य भाषा में बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। माननीय सदस्य पहिले संसद में ही हिन्दी में बोल चुके हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, अंग्रेजी और हिन्दी में से कोई भी भाषा न जानने पर ही अन्य भाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसी कारण मैंने इस बारे में माननीय सदस्य से पूछा था कि क्या वह हिन्दी में बोल सकते हैं। वह कहते हैं कि हिन्दी में नहीं बोल सकते। अब एक विशिष्ट प्रश्न किया गया है कि क्या कभी माननीय सदस्य इस सभा में हिन्दी में बोले हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य :** अवश्य ही; कई बार।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने विचार हिन्दी में पर्याप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं ?

†**श्री म० महाता :** जी नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तो उन्हें अनुमति दी जाती है क्योंकि उसमें पर्याप्त रूप से विशेषण लगा हुआ है।

†**श्री म० महाता ने बंगला में अपना भाषण जारी रखा।**

***श्री म० महाता** : मैंने खंड ३, ३४ और नये खंड ३क के संबंध में अपने संशोधन संख्या २८, २९, ३१, ३२ और ३३ प्रस्तुत किया है।

मेरे पहले संशोधन का उद्देश्य यह है कि पूर्निया के बंगला भाषी क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में मिला दिया जाय। संयुक्त समिति ने १५ अगस्त को बंगला भाषी कुछ और क्षेत्रों को बिहार में मिला देने के बारे में जो निर्णय किया है वह अत्यन्त निर्दयतापूर्ण है। यह विधेयक जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया था अन्याय का एक प्रतीक था जिसमें खुल्लम खुल्ला पक्षपात किया गया था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ इने गिने लोगों को संतुष्ट रखने में सरकार की नीति का अनुसरण करते हुये लोगों को वैध राष्ट्रीय हितों से वंचित रखने का प्रयत्न किया गया था।

लोग यह आशा रखते थे कि संयुक्त समिति सारे मामले पर विचार करेगी और राज्य पुनर्गठन इस प्रकार करेगी जिससे सारे देश के लोगों की उन्नति हो। इस कारण उन्हें आशा थी कि पश्चिमी बंगाल के पड़ोसी राज्यों के बंगला भाषी क्षेत्रों के साथ जो अन्याय किया गया है उस संबंध में कुछ सुधार करेगी। किन्तु संयुक्त समिति ने बजाय कुछ सुधार करने के घाव पर नमक छिड़क दिया। अतः उसे जो कार्य सौंपा गया था उसे करने में वह सर्वथा असमर्थ रही।

पश्चिम बंगाल की मांग का मामला राष्ट्रीय महत्व का एक बड़ा मसला है। यह पश्चिम बंगाल अथवा अन्य किसी संबंधित सरकार के लाभ या हानि का प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो संबंधित लोगों की उन्नति और उनके विकास का प्रश्न है। भारत की सुरक्षा और प्रशासकीय विचार आदि के बारे में जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनको हमने पूर्णरूपेण समझ लिया है। इससे बढ़कर प्रशासकीय

---

†मूल अंग्रेजी में।

*बंगला भाषण का हिन्दी अनुवाद।

[श्री म० महाता]

कठिनाइयां और क्या हो सकती हैं कि राज्य का प्रशासन मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में किया जा रहा है ? यदि हम किसी को हानि पहुंचाये बिना इन क्षेत्रों को उचित स्थान दे सकें तो ऐसा क्यों न किया जाये । मेरा निवेदन है कि ये क्षेत्र किसी की वैयक्तिक संपत्ति नहीं होते और आत्म-सम्मान की किसी भी गलत भावना के प्रति राष्ट्र को चिन्ता नहीं होनी चाहिये ।

यहां प्रश्न इस बात का न होकर कि कौन सा क्षेत्र किसका है इस बात का निर्णय करने का है कि कुछ क्षेत्रों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध किस स्थान के साथ में हैं । राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जो भी कार्यवाही की जाये वह संबंधित लोगों के कल्याण की दृष्टि से की जाये । अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा के सिद्धात को ध्यान में रखा जाये ।

इसलिये मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक वास्तव में कोई राष्ट्र हित-विरोधी बात न हो तब तक भाषा के सिद्धांत को अवश्य लागू करना चाहिये । इसलिये हमने मांग की थी कि बंगला भाषी क्षेत्रों का विलीनकरण भाषा के आधार पर किया जाये । इस संबंध में जो मिथ्या प्रचार किया गया इसके बाबजूद भी हमने यह प्रमाणित कर दिया कि जो क्षेत्र हमने मांगे वे बंगला भाषी हैं । किन्तु हमारी इस न्यायोचित मांग को ठुकरा दिया गया है ।

हमारी मांग को उन्होंने विग्रहात्मक बताया है, किन्तु मेरा निवेदन है कि संपूर्ण भारत में प्रायः सभी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के सिद्धांत पर किया गया है और पूर्वी भाग में कुछ राज्यों की उपेक्षा की गई है । जब हम इसी प्रकार के पुनर्गठन की मांग करते है तो वे हमें विग्रहवादी कहते हैं ।

इसमें संदेह नहीं कि भाषा तथा राज्य के सिद्धांत का उन लोगों ने दुरुपयोग किया है जो विग्रह-वादी हैं । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सिद्धांत को ही बुरा बता दिया जाये । कुछ लोग जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उन्होंने हिन्दी को इस रूप में अपनाया है जिससे उनके आधिपत्य जमाने की भावना को प्रोत्साहन मिला है किन्तु महज इसी कारण से हम हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में त्याग नहीं कर देते । इसलिये हमारा दृष्टिकोण युक्तियुक्त होना चाहिये और जटिल परिस्थितियों के कारण हमें अपना सन्तुलन नहीं खो देना चाहिये ।

भाषा के सिद्धान्त को हमें उचित स्थान देना चाहिये और सत्य की आवाज को सुनना चाहिये । किन्तु उन सब बातों की उपेक्षा की गई है । मेरा दूसरा संशोधन इसी संबंध में है ।

मेरे जिला मानभूम को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग ने तीन भागों में विभाजित किया था जिसे आगे चलकर सरकार ने चार भागों में विभाजित कर दिया । राज्य पुनर्गठन आयोग का यह मत था कि यदि कोई नदी किसी जिले में से होकर बहती है तो उस जिले को दो उप-जिलों में विभाजित हुआ माना जाना चाहिये । इसके अनुसार धनबाद और पुरुलिया दो जिलों में विभाजित कर दिये गये इसके साथ ही उसने चास थाना को पुरुलिया से अलग कर दिया जो उसका एक अविभाज्य अंग है । इस विभाजन का किसी भी दशा में समर्थन नहीं किया जा सकता । चास के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मैं संसद से अनुरोध करता हूं कि वह इस गलती को सुधारे ।

ऐसा ही अन्याय मानभूम के साथ किया गया है जिसके लिये कोई कारण नहीं है । आयोग ने चांडिल थाना और पत्मदा थाना को पुरुलिया में मिलाने ओर उन्हें पश्चिम बंगाल में विलीन करने की सिफारिश की थी । किन्तु भारत सरकार ने इन भागों को पुरुलिया से इसलिये अलग कर दिया है कि उनके बिहार में रहने से टाटा कंपनी की एक जल परियोजना पूरी होने में सुविधा मिलेगी । किसी कंपनी के लिये किसी जिले को इस प्रकार अलग करना अनुचित है और विशेषकर उस समय जब कि संबंधित राज्य इसके लिये तैयार न हो । बिहार के मुख्य मंत्री के कथनानुसार किसी ऐसे हस्तांतरण का समर्थन नही किया जा सकता । यह क्षेत्र विशुद्ध बंगला भाषी है और भौगोलिक दृष्टि से एक ठोस इकाई में स्थित है । इस प्रकार के अस्वाभाविक विभाजन से लोगों को प्रशासकीय दृष्टि से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा । लाखों लोगों की प्रगति और भविष्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करना ठीक नहीं है । अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इस बात की निरर्थकता पर ध्यान देगी और गलती को सुधारेगी ।

चौथे संशोधन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि 'मानभूम' जिले का वास्तविक नाम मानभूम है इसकी अपनी ऐतिहासिक महत्ता और परम्परा है। यदि जिलों को अलग अलग बताने के लिये 'पुरुलिया' और 'धनबाद' नाम स्वीकार किये जाते है तो 'मानभूम' के ऐतिहासिक नाम का लोप हो जायेगा। ऐतिहासिक परम्परा को कायम रखने के लिये इसका नाम मानभूम रहने दिया जाना चाहिये।

पांचवे संशोधन में मैंने इस बात की मांग की है कि निश्चित दिनांक को जो बंगला भाषी क्षेत्र बंगाल में नहीं मिलाये जा रहे है, निश्चित दिनांक के छः मास पश्चात, उन्हें सम्मिलित घोषित किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि मिथ्या प्रचार के द्वारा वातावरण दूषित हो गया है और हम चाहते हैं कि प्रमाणित तथ्यों की जांच करने का अवसर इन छः महीनों में दिया जाय। यह हमारी सद्भावना का प्रतीक है और मुझे आशा है कि इस संशोधन का समर्थन किया जायेगा।

भाषावार आधार तथा कुछ तथ्यों के बल पर हमने इन इलाकों की मांग की थी :

(१) संपूर्ण धनबाद सब-डिवीज़न;

(२) संपूर्ण डालभूम सब-डिवीज़न; और

(३) सन्थाल परगना जिला से ये स्थान—

(क) जमतारा सब-डिवीज़न (ख) पाकुर सब-डिवीज़न (ग) साहिबगंज थाना को छोड़ कर राजमहल सब-डिवीज़न (घ) डुमका सब-डिवीज़न का दक्षिण डुमका तथा इस सब-डिवीजन में ऐसे ही अन्य बंगला भाषी क्षेत्र (ङ) देवघर सब-डिवीजन में कोरों तालुक और इस सब-डिवीजन में ऐसे ही अन्य बंगला भाषी क्षेत्र।

(४) पूर्निया के ऐसे बंगला भाषी क्षेत्र जो धारा ३ में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

उपयुक्त सभी स्थानों में बंगला भाषियों की ही बहुतायत है। यह बात वहां के लोगों के रस्मों रिवाज, वहां के सरकारी अभिलेखों, वहां के लोक-गीतों आदि से पूर्णतया निश्चित हो चुकी है। वहां के अधिकांश आदिवासी भी बंगला बोली ही बोलते हैं और जो लोग अन्य बोलियां भी बोलते हैं वे भी बिना किसी अपवाद के अपनी दूसरी भाषा के रूप में बंगला का प्रयोग करते है। मगर फिर भी इन इलाकों को पश्चिमी बंगाल में नहीं सम्मिलित किया गया है। और बड़े खेद की बात है कि भारत सरकार ने बिहारियों द्वारा फैलाई गई झूठी कहानियों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को जानने की कोशिश किय बिना ही इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है, इससे उनका और भी उत्साह बढ़ गया है। और उन्होंने यह कहना शुरु कर दिया कि मानभूम के अधिकांश लोग भी बंगला नहीं बोलते हैं, उनकी बोली कुर्मी है जो कि हिन्दी के अधिक समीप है। इसी प्रकार आदिवासियों की भी मुंदरी, भूमिज, कोरा आदि बोलियां हैं बंगला नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि १९५१ की जनगणना को दोबारा देखने से ये सब बातें सिद्ध हुई हैं आदि। किन्तु मैं कहता हूं कि ये सब बातें बिल्कुल निराधार हैं, असत्य हैं और कोई भी निष्पक्ष आदमी इनको सही नहीं साबित कर सकता है।

मैं स्वयं एक कुर्मी हूं। मुझसे अधिक कोई भी व्यक्ति इस जाति के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है। मैं बिल्कुल कुरमाली नहीं जानता हूं और न ही मेरे पूर्वज यह भाषा जानते थे। केवल ५ प्रतिशत कुर्मी ही कुरमाली बोलते हैं। किन्तु इस बोली का हिन्दी से कोई संबंध नहीं है। यह बंगला से ही निकली हुई एक बोली है।

जहां तक आदिवासियों का संबंध है, उनमें से एक भी व्यक्ति मुंदरी आदि नहीं बोलता है। सन्थालों को छोड़कर सभी आदिम जातियां एकमात्र बंगला ही बोलती हैं। इस सब के उपरान्त भी बिहारियों ने ये सब झूठी और मन गढ़न्त बातें उड़ाई हैं।

अभी हाल ही में बिहार के जनगणना अधिकारियों ने एक "भाषा पुस्तिका" निकाली है। इसमें सदर मानभूम की भाषा के बारे में यह कहा गया है कि वहां पर बंगला भाषियों की प्रतिशत संख्या १९५१ में की गई जनगणना से कहीं कम है। यह सब एक षडयंत्र मात्र है। उन्होंने मेरे गांव के बारे

[श्री म० महाता]

में यह बतलाया है कि वहां ४०२ आदमियों में से ३०५ हिन्दी बोलते हैं, ४४ सन्थाली और ८ मुंदरी। मैं कहता हूं कि यह सर्वथा असत्य है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति बंगला बोलता है। अगर कोई आदमी अन्यथा सिद्ध कर सकता हो तो मैं उसको चेलेंज करता हूं।

इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि बिहार में अधिकारियों ने कैसे १९५१ की जनगणना के आंकड़ों में हेर-फेर किया है। कैसे उन्होंने गणकों को 'बंगाली' के स्थान पर 'हिन्दी' लिखने के लिये नाजायज़ रूप से दबाने की कोशिश की है। उन्होंने स्याही के स्थान पर इस स्तम्भ को पैंसिल में भरा ताकि बाद में वे उसको बदल सकें। मानभूम के लोगों ने इस सबके विरुद्ध भारत सरकार से कई शिकायतें कीं मगर इसका कोई उपचार नहीं किया गया। यह है पृष्टभूमि जिसके आधार पर मानभूम को हिन्दी भाषी क्षेत्र दिखाया गया है। इन सब पद्धतियों से बिहार के लोग वहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते है और उनकी प्रगति के मार्ग में बाधायें खड़ी कर रहे हैं। और सरकार भी ऐसे लोगों को कोई दंड नहीं देना चाहती है जो कि खुले आम राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। प्रत्युत सरकार ने ऐसे स्वार्थी लोगों को खुली छुट्टी दे रखी है। सरकार को इस प्रकार की बातों के लिये ढील नहीं देनी चाहिये। हमें कोई भी निश्चय करने से पहले उसके तथ्यों कीं सत्यता का निश्चय कर लेना चाहिये। और पुनर्गठन जैसे इस महत्वपूर्ण विषय में तो इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि सभा मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करेगी।

बिहार के पक्ष में दावेदारों ने जनमत संग्रह करने की आवाज उठाई है। उनका यह कहना है कि मानभूम के सभी लोग उनके पीछे हैं। मगर मेरे विचार में यह सर्वथा निराधार है। बिहार सरकार इसके लिये अरसा दराज़ से व्यर्थ प्रयत्न करती रही है। इसके लिये उसने वैध अवैध दोनों प्रकार से लाखों रुपया बरबाद किया है। किन्तु उसे फिर भी कुछ किराये के लोगों को छोड़ कर वहां के लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हो सका है। वहां के लोग प्रशासनिक सुविधाओं तथा भाषाई आकर्षण के कारण अब भी पश्चिमी बंगाल में ही मिलना चाहते है। उन्होंने अपनी इच्छाओं का 'जनमुक्ति आन्दोलन' 'तुसू सत्याग्रह' तथा "बंग सत्याग्रह अविजन" आदि द्वारा कई बार इजहार किया है इसके लिये हजारों लोगों को दंड दिये गये है; उन्हें कारावास की यातनायें भुगतनी पड़ी हैं। सरकार ने अनेक लोगों की जायदादें ज़ब्त कर ली हैं। अतः हम कभी नहीं कह सकते कि बिहार सरकार को वहां के लोगों का समर्थन प्राप्त है।

मेरे गांव के तथा अन्य स्थानों के भी बंगला भाषी लोग अब बिहार सरकार के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वे यह समझने लगे हैं कि अब उनकी वहां पर कोई प्रतिष्ठा नहीं कायम रह सकती है। बिहारियों की उभड़ती हुई प्रान्तीयता का नज़ारा वे खूब दिल भर कर देख चुके हैं।

इस विधेयक में चास थाना को बिहार में मिलाने के लिये कहा गया है। मगर आज वहां क्या हो रहा है? वहा पर जगबन्धु भट्टाचार्य जैसे साधु लोगों की खोपड़ियां फोड़ी जा रही हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर चास थाना बिहार ही में रहा तो वहां के अल्पभाषियों की क्या दशा होगी। चान्दील और पातमदा में भी यही स्थिति है। वहां भी बिहार सरकार लोगों को हर प्रकार से दबाने का प्रयत्न कर रही है। वहां पर लोक सेवायतन नाम का महिलाओं का एक आश्रम है। बिहार सरकार उसके गिराने के लिये तरह तरह के षडयंत्र कर रही है। क्या बिहार सरकार को ऐसी हरकतें शोभा देती हैं?

इन सब बातों के संबंध में हम कांग्रेस तथा सरकार के पास पहुंचे किन्तु हमें इनका कोई उत्तर नहीं मिला। कांग्रेस के पिछले ८ वर्षों के शासन में हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है उसको याद करके हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आज अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का नाम लेकर लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करने को तुले हुये हैं। मगर मैं समझता हूं अगर हम अपने देश में से इस प्रकार की अराजकता को दूर कर दें तो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अधिक बढ़ सकती है बनिस्बत इसके कि हम लोगों की वैध मांगों और आकांक्षाओं का दमन करके उन पर अपना राज्य ठंसने का प्रयत्न करें।

इन सब कारणों से मैं यह कहता हूं कि बिहार के बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों को पश्चिमी बंगाल में मिला देना चाहिये। मैं भाषावार राज्यों के सिद्धांत का समर्थक हूं और उस आधार पर भी मेरी यह मांग न्यायपूर्ण है। इन इलाकों के तबादले में सरकार को अब कोई देर नहीं लगानी चाहिये वरना उन लोगों को बिहार सरकार के अत्याचारों का और अधिक देर तक शिकार बनना पड़ेगा।

मैं धनबाद टाटा सड़क को भी एक राष्ट्रीय राजपथ बनाने का समर्थन करता हूं। मुझे इसमें कोई युक्ति नहीं दिखाई देती है। इसके लिये कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव केवल एक संकुचित दृष्टि के कारण ही रखा गया है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं। अंत में मुझे आशा है कि सभा न्याय और सिद्धांत पर आधारित मेरी मागों का समर्थन करेगी।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गाँव) : क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय भाषा समझ रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बिल्कुल नहीं। परन्तु टेप रिकार्डर पर इसे रिकार्ड किया जा रहा है। यदि उसमें कोई असंसदोचित बात होगी तो अध्यक्ष को यह शक्ति है कि वे उसे कार्यवाही के विवरण से निकाल सकते हैं। इस का अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त होगा तो उसका अध्ययन किया जा सकता है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : जो यह कहा जाता है कि यह मामूली सी बात है और इसको सभी को मंजूर कर लेना चाहिये, मेरे विचार में ठीक नहीं है। एस०आर० बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) और एस० आर० सी० राज्य (पुनर्गठन आयोग) की जो रिपोर्ट है वह बिल्कुल एक सहल भावना से ले ली गई हो, ऐसी बात नहीं है, हमारे भाई ठाकुर दास जी हम को कह रहे थे कि इस में क्या है, यह कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी बहुत ज़मीन इस तरफ से उस तरफ दी जा रही है, इसे तो आपको खुशी से मान लेना चाहिये। मैं कहता हूं कि जहां तक मेरा सवाल है और मेरा ही क्यों, जहां तक हमारे सब बिहारी भाइयों का सवाल है, मैं उनकी ओर से भी यह कह सकता हूं कि यदि यह केवल छोटी सी बात होती तो हम में से किसी को भी इसे मानने में आपत्ति न होती। लेकिन जो भी चीज की जाये वह किसी सिद्धात को लेकर की जानी चाहिये। जितनी बातें हमारे गृह मंत्री जी ने इस बिल के सपोर्ट में कही हैं, उनमें कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आई है। गृह मंत्री जी का हम बहुत आदर करते हैं और मैं यह भी मानता हूं कि उनके नीचे रह कर हमने एक वालेंटीयर (स्वयंसेवक) की हैसियत से काम किया है। उनके तथा प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रति सब के दिलों में और खास तौर से बिहारी भाइयों के दिलों में बड़ी भारी श्रद्धा है। लेकिन जो आर्गुमेंट (तर्क) इसके सपोर्ट (समर्थन) में पेश किये गये हैं वे मेरी तो समझ में नहीं आये हैं। उन्होंने कहा है कि इस से न तो बिहारी भाइयों को संतोष है और न ही बंगाली भाइयों को। तो यदि ऐसी बात है तो फिर यह चीज क्यों की जा रही है, यह मैं जानना चाहूंगा।

आज मैंने इस हाउस में सुना है कि हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब ने यह बात कही है कि यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है। यह तो थोड़ी सी ही मांग की गई है और हमारी मांग आगे बढ़ेगी। और किस तरह की मांग की जायेगी, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

इसका अर्थ यह निकल सकता है कि इस समय तो हम ने थोड़ा सा एरिया (क्षेत्र) मांगा है, बाद में हम यह कहेंगे कि संथाल परगना का क्षेत्र भी हमारे प्रदेश में सम्मिलित किया जाना चाहिये। आज ही हम देख रहे हैं कि हमारे कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) भाई बड़े ज़ोर से लिंग्विस्टिक स्टेट की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी भाषा बोलने वाले प्रदेश में रहेगा, वही ठीक तरह से रह सकेगा और काम कर सकेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि वह इस बात को भूल गये हैं कि भारतवर्ष के दो विभाग हो जाने के बाद क्या क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। उन को यह समझ लेना चाहिये कि उन की इस मनोवृत्ति से वही नतीजे फिर हमारे सामने आयेंगे। आज जब लिंग्विस्टिक स्टेट (भाषा भाषी राज्य) की बातें की जाती हैं, तो हमको बड़े भयानक रूप से डर लगता है। हमें आशंका होती है कि यदि आज आप ने थोड़ी सी टैरीटरी (राज्य क्षेत्र) उधर दे दी, तो बाद में कहीं

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री झुनझुनवाला]

भी यह सवाल उठ सकता है कि कोई प्रदेश कहे कि हमारा क्षेत्र बहुत छोटा सा है, इसलिये हम को थोड़ी ज़मीन दूसरे प्रदेश से मिलनी चाहिये। यह प्रश्न उठ सकता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इस लिये उसमें से थोड़ी सी ज़मीन बिहार को मिल जानी चाहिये। इसमें सिद्धांत की बात ज़रा भी नहीं मालूम होती है।

जिस समय राज्य सभा में इस बिल पर बहस हो रही थी, तो वहां के एक मुख्य सभासद ने कहा कि बंगाल को पाटीर्शन (विभाजन) से बहुत भारी हानि हुई है और इसलिये बंगाल को कुछ मिलना चाहिये। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बार बार पार्टीशन होने से बंगाल के ऊपर कई तरह मुसीबत आई और उन की तरफ ध्यान रखना चहिये। मैं इस बात को मानता हूं परन्तु मेरा कहना यह है कि यह मसला सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से तय किया जाय। इसको सारे देश की एक समस्या समझ कर हल किया जाय, न कि केवल बिहार को कह दिया जाये कि चूंकि बंगाल पर इतनी मुसीबतें आई हैं, इसलिये अपना थोड़ा सा हिस्सा उसको दे दो। मेरा यह मत है कि यदि बंगाल के ऊपर कई तरह की मुसीबतें आई हैं, तो उसको ज़रूर कुछ मिलना चाहिये, लेकिन क्या मिलना चाहिये, कैसे मिलना चाहिये, इस का निश्चय सारे भारतवर्ष का नक्शा सामने रख कर किया जाय।

लिंग्विस्टिक स्टेट्स के सिद्धांत से देश को क्या नुक्सान हो रहा है और किस प्रकार के भयानक आन्दोलन हो रहे हैं और भविष्य में इस के क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, इन सब बातों को देख कर ही हमारे बुद्धिमान नेतागण ने यह तय किया कि हम लोगों को बड़ी बड़ी स्टेट्स बनानी चाहियें। श्री एन० सी० चटर्जी आज कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों का पूरा ज्ञान नहीं है। वह हमारे प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस की विचारधारा सिखाते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस ने किसी वक्त यह कहा था और अब आप क्या कह रहे हैं। यह बड़ी ताज्जुब की बात है कि एन० सी० चटर्जी साहब कहते हैं कि वह कांग्रेस की बातों को अधिक जानते हैं बनिस्वत हमारे प्राइम मिनिस्टर(प्रधान मंत्री)साहब के। आज मुश्किल यह है कि जिन्होंने भारतवर्ष को स्वाधीन कराने की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, वे कई तरह की पुरानी बातों को निकाल कर, टुकड़े टुकड़े कर के, हमारी सरकार और प्राइम मिनिस्टर पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वे कांग्रेस के सिद्धांतों को नहीं जानते। यह कितनी विचित्र बात है। वह पूना गये और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं यहां पर लोकमान्य तिलक का कर्ज़ा अदा करने के लिये आया हूं—जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब लोकमान्य ने हमारी सहायता की थी, इसलिये आज मैं महाराष्ट्र की सहायता करने आया हूं। मैं तो यही कहूंगा कि यह छोटे मुंह और बड़ी बात वाला मामला है। मेरे विचार में उन्होंने लोकमान्य तिलक को नहीं समझा है।

श्री वि० घ० देशपांडे (गुना) : आप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है।

श्री झुनझुनवाला : मैं तो लोकमान्य तिलक को तब से जानता हूं, जब कि आप का जन्म भी नहीं हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य मुझे यह सब समझाने की कोशिश करें, तब बहुत अच्छा रहेगा।

श्री झुनझुनवाला : मैं तो आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस दिन सैंट्रल हाल में लोकमान्य तिलक का फोटो खोला गया, मैं ने देखा कि उसी दिन पार्लियामेंट के कई मेम्बरों के मन में यह भाव आया कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो तफ़र्रुका चल रहा है, हम उसको खत्म करेंगे और दोनों को एक करेंगे। इसके बाद बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन को अर्ज़ी दी कि यह झगड़ा नहीं रहना चाहिये और दोनों प्रदेशों को मिला कर एक बड़ी बाईलिंगुअल स्टेट (द्विभाषी राज्य) बनानी चाहिये।

मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को करने का इंस्पीरेशन (प्रेरणा) हम को उस दिन सैंट्रल हाल में मिला था, जहां लोकमान्य तिलक के अतिरिक्त दादाभाई नौरोजी और महात्मा गांधी के फोटो भी हैं।

श्री वि० घ० देशपांडे : फिर भी अपने भाइयों पर गोली चलाई जाती है।

श्री झुनझुनवाला : गोली हमारे भाई चलवाते हैं। वे जाकर लोगों को उकसाते हैं। उन को मालूम होना चाहिये कि वे तिलक महाराज के अनुयायी नहीं हैं। तिलक महाराज कभी गोली चलाने के पक्ष में न होते। आपस के मामलों को तय करने में उन्होंने खास तौर पर शान्ति की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एक भाई से दूसरे भाई को कभी कुछ लेना देना हो तो उस को आपस में शान्ति से तय कर लेना चाहिये। संभव है कि ब्रिटिश सरकार के काल में यहां पर कई प्रकार के मत रहे हों, लेकिन आखिर में सबने यह तय किया कि हमारा देश भारतवर्ष एक है और इस देश की एक भाषा रहेगी और न केवल हर प्रान्त में, बल्कि हर एक गांव में लोगों को अपनी भाषा के प्रयोग करने और उस की तरक्की करने का अधिकार रहेगा—अपने कल्चर की तरक्की करने का अधिकार रहेगा। हमारा ध्येय सदा से एकता फैलाने का रहा है।

आज मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमारे हीरेन मुकर्जी साहब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के सिद्धांत की बड़े जोर शोर से हिमायत कर रहे है। वह प्रोफेसर हैं उनको देखना चाहिये और अनुभव करना चाहिये कि इस सिद्धात पर चलने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और हुये हैं। उनको केवल किताब पढ़कर ही अपनी राय नहीं बना लेनी चाहिये। आज हम को यह देखना चाहिये कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का सिद्धांत हम को किस तरफ ले जा रहा है। वह हम लोगों में तफ़र्रुका पैदा कर रहा है। जहाँ तक हमारे एन० सी० चटर्जी साहब का संबंध है, वह सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं। वहां पर वह केवल रूलिंग देते हैं और बतलाते हैं कि यह फैसला होना चाहिये। यहां पर भी वह रूलिंग की तरह बतला गये कि कांग्रेस ने फलां साल में यह रेज़ोल्यूशन (संकल्प) पास किया, उस ने यह कहा, महात्मा गांधी ने यह कहा है और लोकमान्य तिलक ने यह कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज रूलिंग्ज़ और कानून स बंधे होते हैं और उसी के अनुसार वे केवल फैसला करते हैं। परन्तु हमको यहां पर देश का निर्माण करना है, हम को यह देखना है कि वर्तमान अवस्था में हमारे लिये सबसे उपयोगी कौन सी चीज़ होगी और उपयोगिता के अनुसार ही हमको चलना है। जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में कोई ऐसा फैसला हो गया है जिसका असर हमारे देश पर खराब होता है, तो हम यहां आकर उस कानून को बदल देते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि एक बार कांग्रेस ने कहा कि भाषावार राज्य होने चाहियें। हो सकता है कि उसने किसी खास मतलब स या किसी खास अवस्था को देखकर ऐसा कहा हो पर इस समय कोई भी बुद्धिमान आदमी ऐसी बात नहीं कहेगा। हमारे कितने ही भाई यह ख्याल करते हैं कि राज्य छोटे छोटे टुकड़ों म बंट जायें जो कि आपस में लड़ें। हो सकता है कि इसमें उनका कुछ उद्देश्य हो। हो सकता है कि वे समझते हों कि इस तरह से वे भी कहीं पावर में आ जायें। परन्तु हमको तो अपने भारतवर्ष को एक करना है और एक करके संसार को दिखला देना है कि हम प्रधान मंत्री के बतलाये हुये पंचशील के मार्ग पर चल रहे हैं। आज सब लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि जो वह कहते हैं वही ठीक है। परन्तु यदि हममें आपस में ही फूट हो जायेगी तो हम बाहर क्या दिखला सकेंगे। हम लोगों ने जो स्वराज्य प्राप्त किया है वह केवल भारतवर्ष के लिये नहीं किया है। महात्मा गांधी कहते थे, "मैं भारतवर्ष को स्वाधीन कराना चाहता हूं केवल भारतवर्ष को रोटी कपड़ा दिलाने के लिये नहीं बल्कि सारे संसार को एक मैसेज देने के लिये"। वह मैसेज हम इसी हालत में दे सकेंगे जब हमारे यहां एकता रहे और हम बड़े बड़े राज्य बनायें जिनमें गांव वालों को भी अपनी भाषा में बोलने की और अपना काम करने की स्वतंत्रता हो।

हमारे गृह-कार्य मंत्री जी ने कहा कि बिहार में जो प्रश्न है वह बाईलिंग्वल स्टेट का प्रश्न ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से सिद्धांत के अनुसार बिहार का एरिया बंगाल को दिया

[श्री झुनझुनवाला]

जा रहा है। यदि केवल इसलिये यह एरिया बंगाल को दिया जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, तो कहूंगा कि यह सरकार बड़ी गलती कर रही है।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारी बाग--पश्चिम) : इस सरकार को खत्म कीजिये।

श्री झुनझुनवाला : उन को देखना चाहिये कि असल में ठीक बात क्या है, सिद्धांत क्या है। इसके साथ आप यह भी देखिये कि एक बात को लेकर हमारा किशन गंज का एरिया वैस्ट (पश्चिम) बंगाल को दिया जा रहा है। उसी सिद्धांत के अनुसार मैं कहता हूं कि जो एरिया धनबाद और जमशेदपुर को मिलता है वह भी बिहार में रहने दिया जाना चाहिये। मैं गृह मंत्री साहब से कहूंगा कि इस प्रश्न पर पूर्णरूप से विचार करें। यहां कहा जा रहा है कि बिहार का एरिया बंगाल को देना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया ही जाये तो धनबाद और जमशेदपुर को मिलाने वाला एरिया तो बिहार में अवश्य रहने दिया जाना चाहिये।

†**श्री गाडगिल** : मैं इस चर्चा में सीमा सम्बंधी विवादों पर कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैसूर राज्य तथा द्विभाषी बंबई राज्य के बारे में यह संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सभा जो फैसला करेगी वह लागू करना ही होगा।

हमें इस विषय में केवल गुणावगुणों के विचार से चर्चा करनी चाहिये।

मैं अब भी यह समझता हूं कि फेड्रल संविधान में केवल एकमात्र सिद्धांत जिसके अनुसार अंगभूत राज्यों का परिसीमन किया जाना चाहिये, भाषा का है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में इसी सिद्धांत का अनुसरण किया है। इस संबंध में केवल बंबई और गुजरात का अपवाद है। यद्यपि मैं इस सभा के निर्णय को स्वीकार कर चुका हूं तो भी और व्यक्तियों को यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राज्यों या द्विभाषी राज्यों के निर्माण के प्रयोग से परे रहें। इस प्रकार के संयुक्त राज्य के चलाने में कुछ मनोवैज्ञानिक बातों की आवश्यकता है जो इस समय विद्यमान नहीं हैं। अतएव हमें इस सीमा की समस्या को इस प्रकार से हल करना है जिससे संबंधित पक्षों को अधिकतम संतोष तथा नूनतम असुविधा हो।

इसके लिये मैंने इस सभा में मध्यस्थता का कई बार सुझाव दिया है। जिन बातों के बारे में संबंधित पक्ष परस्पर समझौता न कर सकें, वे प्रधान मंत्री को निर्दिष्ट कर दी जायें। उनके बारे में हमें उनका पंचाट अर्थात निर्णय स्वीकार्य होना चाहिये। यदि ऐसा करना स्वीकार्य नहीं तो हमें सर्वप्रथम भाषा को मुख्य विचारनीय आधार समझना चाहिये। इसके बाद प्रशासनीय सुविधा तथा संबंधित पक्षों की इच्छाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

संयुक्त समिति द्वारा जिस रूप में विधेयक प्रस्तुत किया गया है उससे मालूम होता है कि आपने संस्पर्शता के तत्व को ध्यान में रखा है और कहा है कि राष्ट्रीय राजपथ को पृथक्करण की सीमा समझा जाना चाहिये। किसी अन्य मामले में संस्पर्शता का सिद्धांत लागू न किया गया तो यह एक अनुचित बात होगी। इसलिये या तो इस सिद्धांत को सभी मामलों पर लागू किया जाना चाहिये या इसे कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि हमें स्पष्ट रूप से वे सिद्धांत निर्धारित कर लेने चाहियें जिन्हें सीमा क्षेत्रों के सीमांकन में हमारा पथ प्रदर्शन करना है। यदि उन्हें स्वीकार किया जाता है तो ठीक है इससे उनका बोझा हल्का होगा और जहां हम सहमत नहीं होते हैं वहा उस मामले को उन पर छोड़ देना चाहिये। ये वार्षिक आय व्ययक या वित्त विधेयक जैसे मामले नहीं हैं कि जिन पर हम प्रति वर्ष विचार करेंगे। इसलिये इनका पूर्णतः तथा अन्ततः निबटारा करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इसलिये मेरा सुझाव है कि उत्तर में यदि आपने संस्पर्शता के तत्व पर विचार करते हुये दार्जिलिंग तथा अन्य जिलों को दक्षिण जिलों में मिलाने के लिये कहा है तो इसी सिद्धांत को अन्य स्थानों पर लागू करना चाहिये क्योंकि प्रशासन जनता की सुविधा के लिये होता है। यदि यह सिद्धांत निर्धारित कर लिया जाय तो मेरे विचार में समस्या का समाधान ढूंढने में कोई कठिनाई न होगी। यदि इसमें कुछ विलम्ब भी हो तो विलम्ब करना उचित होगा परन्तु समाधान अवश्य ही युक्तियुक्त विचारशील तथा टिकाऊ हो।

†**श्री बर्मन** (उत्तर-बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (प्रदेशों का हस्तान्तरण) विधेयक पर विचार लगभग समाप्त हो रहा है इसलिये मैं इन प्रदेशों को बिहार से पश्चिमी बंगाल को हस्तान्तरित किये जाने के पक्ष में या विपक्ष में किसी तर्क को नहीं दोहराऊंगा।

कल वाद-विवाद के दौरान अन्य राज्यों के कई मित्रों ने और बिहार के मित्रों ने भी पश्चिमी बंगाल में वर्तमान स्थिति पर सहानुभूति प्रकट की थी। कई सदस्यों ने इस बात को दोहराया है कि डा० विधान चन्द्र राय ने यह कहा है कि यह पहली किश्त है जो हम मांग रहे हैं। इसलिये कहा गया है कि यह अन्तिम मांग नहीं है।

डा० विधान चन्द्र राय ने जो कुछ कहा था उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी बंगाल की यह मांग ५० वर्ष पुरानी है जब १९११ में कुछ राजनीतिक कारणों से उसका कुछ क्षेत्र बिहार को दे दिया गया था और आज राज्यों के पुनर्गठन के मामले के कारण उसे अपना मामला संसद् के समक्ष रखने का अवसर मिला है। बंगाल का दावा उचित है या नहीं है, इस बात का निर्णय संसद् को करना है। क्या मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि बंगाली राजनीतिक दृष्टिकोण से इतने अन्धे हैं कि वे बिहार से और अधिक प्रदेश की पुनः मांग करेंगे और संसद् उसे स्वीकार करेगी।

डा० विधान चन्द्र राय ने यह कहा था कि "यद्यपि सरकार, सभा के समक्ष इस विधेयक को सदस्यों द्वारा, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये उपस्थित कर रही है तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि हमने अपनी मूल मांग को वापिस ले लिया है।" मूल मांग बिहार से ८००० वर्ग मील लेने के सम्बन्ध में है परन्तु यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि संसद् द्वारा विधेयक पारित किये जाने के बाद भी हम अन्य भागों के लिये अपने दावे पर जोर देंगे। "पहली किस्त" शब्द डा० राय के नहीं हैं बल्कि अन्य व्यक्तियों के हैं। उन्होंने स्वयं अपने भाषण में कहा था "मेरे कुछ मित्रों ने 'पहली किस्त' शब्द का प्रयोग किया है जिसके सम्बन्ध में कुछ आलोचनाएं की गयी हैं।" उन्होंने कहा है 'हम विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और हमने दो अतिरिक्त भागों की मांग भी की है'। जहां तक किशनगंज का सम्बन्ध है इसका कारण यह है कि दार्जिलिंग तथा मालदाह से हमारी संस्पर्शता हो। इसमें अनुचित बात क्या है? इसलिये मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे डा० राय के वक्तव्य को उचित दृष्टिकोण से पढ़ें। उन्होंने विरोधी पक्ष की आलोचनाओं का जो उत्तर दिया है उसे उस सदन में हुए वाद-विवाद की परिस्थितियों में देखें। डा० राय की सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा विधेयक में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के अतिरिक्त दो और प्रदेशों की मांग की है। संसद् अपने अंतिम निर्णय में इस मांग को स्वीकार करती है कि नहीं यह एक विभिन्न मामला है।

यह भी कहा गया है कि डा० राय ने संविलयन का प्रस्ताव चुपके से वापस ले लिया था। इस मामले में अकेले उन पर आरोप लगाना अनुचित है। सभा को यदि ज्ञात होगा कि डा० राय ने स्वयं इस प्रयोजन से विधेयक तैयार किया था और केन्द्रीय सरकार से सलाह करने के लिये वह यहां आये थे। परन्तु उस दिन बिहार के मुख्य मंत्री डा० सिन्हा नहीं आये थे। पूछने पर हमें बताया गया था कि डा० सिन्हा को कोई निमन्त्रण नहीं मिला है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बर्मन]

तदुपरान्त पिछले सत्र में यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था। बंगाल बिहार विधेयक तब तक तैयार नहीं था। पहली मार्च को डा० राय यहां पर आये थे परन्तु डा० सिन्हा नहीं आये। हमें बताया गया वह बीमार हैं। उस समय हम संसद् सदस्यों के मन में बंगाल बिहार विधेयक के परिणाम के सम्बन्ध में आशंका उत्पन्न हुई थी।

हम बंगाल तथा बिहार का संघ चाहते थे। परन्तु जब हमारे बिहारी मित्रों ने यह कहा कि इस संविलय की स्थिति में क्षेत्रों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर विचार नहीं होगा तब हमारे मन में यह शंका उत्पन्न हुई थी कि सम्भवतः आयोग की इसी सिफारिश का गला घोंटने के लिये बिहार अस्थायी रूप से संविलयन के लिये तैयार हुआ है। और जब हमने डा० राय से भेंट की थी तो हमने उन्हें बता दिया था कि यदि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जिस देश के हस्तान्तरण की सिफारिश की गई है, बिहार उसे हस्तान्तरित करने के लिये तैयार है तो चाहे सूत्र कोई भी हो, विधेयक तुरन्त ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। परन्तु बिहार के प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि यह हस्तान्तरण नहीं होना चाहिये। तदुपरान्त जब राज्य पुनर्गठन विधेयक संयुक्त समिति के समक्ष था, इस सभा के सामने बिहार बंगाल विधेयक नहीं था और पहली मार्च को डा० सिन्हा भी नहीं आ सके थे तब हमने सोचा कि यह प्रयत्न छोड़ देना चाहिये और यदि बाद में दोनों राज्य वास्तव में, दोनों की भलाई के लिये, मिलना चाहें तो यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात होगी।

इसलिये डा० राय पर आरोप लगाना उनके प्रति अन्याय करना है। कई बार जिन तर्कों को प्रस्तुत किया जा चुका है, मैं उन्हें फिर नहीं दोहराऊंगा। परन्तु उत्तरी भाग के सम्बन्ध में मैं इतना कहूंगा कि वे प्राप्त अभिलेखों से यह देख सकते हैं कि पूर्निया की जिला विवरणिका के अनुसार वे क्षेत्र निश्चित रूप से बंगाल के हैं और भाषा के आधार पर भी वहां की जनता बंगला भाषा-भाषी है। स्वयं राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर सिरीपुरिया भाषा बोली जाती है जो बंगला से मिलती जुलती है। इसके बाद मैथिली है और कुसी से परे वास्तविक हिन्दी है। मुझे आशा है कि मेरे बिहारी मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे और वह क्षेत्र जो कभी बंगाल का एक भाग था उसे बंगाल को वापस दिया जायेगा।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मैं न बिहारी हूं और न बंगाल का रहने वाला हूं। मैंने इस हाउस में चन्द मौकों पर पहले भी और आज भी तकरीरें सुनी हैं, जिन को सुनकर मुझ को उस कदर तसल्ली और खुशी नहीं हुई जिस कदर मैं समझता था कि ज्वायंट कमेटी (संयुक्त समिति) के बाद जब बिल हाउस में आयेगा तो होगी। मेरा ख्याल था कि यहां पर बिल आने के बाद हाउस के अन्दर एक ऐसी क्लाईमेट (वातावरण) पैदा होगी जिसके अन्दर हमारे बंगाली और बिहारी दोनों भाई संतुष्ट होंगे।

यह अनुमान किया जा रहा था कि उनकी रज़ामन्दी से फैसला हो जायेगा। दोनों तरफ से जो जो बातें कही गयी हैं, उनको मैंने सुना है। डा० राय के मुताल्लिक भी जो कुछ कहा गया है तथा उसका जो जवाब दिया गया है, उसको भी मैंने सुना है। एक वक्त था जब कि बम्बई में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो खबरें अखबारों में छपीं कि बिहार और बंगाल दोनों ही मिलने वाले हैं, उनका मरजर होने वाला है, उनको पढ़ कर मेरे ख्याल में शायद ही कोई हिन्दुस्तानी ऐसा होगा जिसके दिल में खुशी की लहर न दौड़ गयी हो। आज जब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ऐसे ख्याल का इज़िहार किया तो मैं समझता हूं कि चाहे वह दिन दूर हो या नजदीक लेकिन जब कभी यह होगा बिला शुबा हिन्दुस्तान की भलाई के लिये ही होगा और इससे हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को खुशी ही होगी। लेकिन वह दिन अभी दूर है। हमारी किस्मत ऐसी अच्छी नहीं कि अभी इसका फैसला हो जाए। लेकिन मुझे कोई शुबहा नहीं है कि वह वक्त आएगा जब हिन्दुस्तान के अंदर जितनी भी फिसिपेरस टेंडेंसीस (विध्वंसात्मक प्रवृतियां) हैं ये सारी की सारी खत्म होंगी और यूनिटी संगठन को बल मिलेगा।

मैं एस० आर० बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) पर बहुत बार बोल चुका हूं और मैं, जो मेरी इस बारे में साफ राय है, उसे प्रकट कर चुका हूं। मैं कह चुका हूं कि सिर्फ लैंगुएज के आधार पर स्टेट के कायम किये जाने के ख्याल को मैं महत्व नहीं देता और मैं नहीं समझता कि इसे ही एक बेसिस माना जाये। मैं यह भी मानता हूं कि यह चन्द बेसिस में से एक बेसिस है जिसकी तरफ तवज्जह दी जानी चाहिये। जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूं वह है यूनिटी और इंटेग्रिटी आफ दी होल आफ दी इंडिया (अखिल भारत का संगठन)। इस कंसिड्रेशन पर मैं बाकी सारे प्रिंसिपल (सिद्धान्त) को न्योछावर करने के लिये तैयार हूं। यह सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है इसके अन्दर मैं बहुत ज्यादा सवाल इंडिया की इंटेग्रिटी का या इंडिया की सेफ्टी (रक्षा) का या इंडिया की यूनिटी का नहीं देखता हूं। जो ज़िमनी सवाल पैदा होता है वह यह है कि जो इलाके बिहार से लेने हैं वे इलाके इस किस्म के नहीं हैं कि बिहार में रहने से हिन्दुस्तान की यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा और बंगाल में चले जाने से वह यूनिटी खत्म हो जायेगी। लेकिन एक तरह से यह सवाल बड़ा ज़रूरी है। बंगाल और बिहार के लोग तमाम हिन्दुस्तान के लोगों को लीड (नेतृत्व) करते हैं। बंगाल को जितना भी मैं ट्रिब्यूट (प्रशंसा) अदा करूं वह थोड़ा है। जब मैं पढ़ा करता था उस वक्त से लेकर आज तक बंगाल के लोगों ने तमाम हिन्दुस्तान के लोगों को जो लीड किया है, उसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उसके बारे में मैं जितना भी कहूं थोड़ा है। सन् १९०२ और १९०५ से जितनी भी पोलिटिकल लीड (राजनैतिक नेतृत्व) हिन्दुस्तान को दी गयी है, वह बंगाल की तरफ से ही दी गयी है। आज बंगाल की जो हालत है, वह आप से छिपी हुई नहीं है। आज वहां पर बहुत भारी तादाद में रिफ्यूजी आ रहे हैं। मैंने वहां पर जा कर उनकी हालत को देखा है। उनके जो इंतिजामात किये गये हैं, उनको मैंने देखा है। जो कैम्प (शिविर) गवर्नमेंट की तरफ से खोले गये हैं, उनको मैंने देखा है। चन्द साल हुए मैंने इस हाउस के अन्दर अर्ज किया था कि रिफ्यूजीज़ की हालत बहुत खराब है और जहां उनके कैम्प हैं वे हैल हैं। तो जब ऐसी हालत वहां पर लोगों की है। तो मेरी यह समझ में आता है कि इस बंगाल की मुसीबत को सारे देश को शेयर करना चाहिये। बंगाल के रिफ्यूजिज़ (शरणार्थियों) को बसाने का तमाम देश को प्रयत्न करना चाहिये। इसमें बंगाल के आसपास के जो प्रांत हैं उन पर खास जिम्मेवारी आती है। जो भाई ईस्ट (पूर्वी) पाकिस्तान से आते है वे शायद नार्थ में आकर बसना पसन्द नहीं करते और दरअसल में बिहार में भी जा कर बसना पसन्द नहीं करते। लेकिन चूंकि बिहार बंगाल के नजदीक है अगर हम इस नुक्तेनज़र से देखेगें तो हमारी समझ में आ जायेगा कि बंगाल अगर यह मांग करे कि बंगाल को अपनी टेरीटरी के अन्दर उनको लेकर बसाना चाहिये तो बिहार को उनकी मांग पूरी कर देनी चाहिये।

श्री जयपाल सिंह : बसा चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अन्य सदस्य से वाद-विवाद नहीं करना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं तो केवल यह बता रहा था कि शरणार्थियों की स्थिति क्या है और बंगाल के कुछ लोगों का बिहार में कैसे स्वागत किया गया है। मेरा निवेदन था कि सारे भारत को बंगाल से सहानुभूति होनी चाहिये और यदि शरणार्थियों को भूमि देनी पड़े तो सारे भारत को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। परन्तु इस कारण बंगाल को बिहार से राज्य क्षेत्र नहीं मांगना चाहिये और बिहार को कोई भाग देना नहीं चाहिये।

मैं जो कुछ भी अर्ज करना चाहता हूं उसको मैं बहुत ही मुख्तसिर में अर्ज कर दूंगा। मैं अपने दोस्तों से यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसमें वे दखल न दें। जो मैं कहना चाहता हूं, मैं अर्ज करता हूं, उसे वह सुन लें।

आज मैं देखता हूं कि बिहार का कोई क्लेम भी बंगाल के बरखिलाफ नहीं है और न ही मैं किसी ऐसे क्लेम को नक्शे में देख पाया हूं। अगर कोई किसी का क्लेम है तो बंगाल का ही है। वह चाहता है कि बिहार के कुछ हिस्से उसे मिल जायें। यह एक्सचेंज (विनिमय) का सवाल नहीं

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है, यह गिव ऐंड टेक का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बंगाल का जो क्लेम है वह कहां तक जायज है, कहां तक दुरुस्त है। अगर उसके क्लेम जायज हैं, अगर उसके क्लेम दुरुस्त हैं, अगर उसके क्लेम मुनासिब हैं, तो हमें उन्हें मान लेना चाहिये।

जनाबेवाला, मैंने जब सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) की रिपोर्ट को पढ़ा तो यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि किशनगंज के बराबर के हाईवे के जो इलाके थे, इतने हिस्से तक जो कि उनके वास्ते गैर जरूरी थे, उनको हमारे बंगाली भाइयों ने लेने के लिये ज्यादा जोर नहीं दिया। हमारे बिहार के भाइयों ने जो इलाका उनको देना चाहिए था जिससे बंगाल के नीचे के हिस्से को ऊपर के बंगाल से मिलना था, उसको देना कबूल कर लिया। मिनिटस आफ डिसेंट (विमति टिप्पण) में मैं देखता हूं कि बहुत से भाइयों ने उसको कबूल नहीं किया है। मैं यह भी देखता हूं कि हमारे बहुत से बंगाली भाइयों ने जितनी भी वे डिमांड बढ़ा सकते थे, उसको बढ़ाने में कमी नहीं की है। यह कुदरती बात है। मैं न बंगाली भाइयों को और न ही बिहारी भाइयों को कोई दोष देता हूं। मैं मानता हूं कि हर कोई अपने इंटरेस्ट्स (हितों) को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। जो मिनट्स आफ डिसेंट लिखे गये हैं उनमें उन्होंने अपनी डिमांड को काफी बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। नार्थ बंगाल और साउथ बंगाल को मिलाने के लिए कौरिडोर (गलियारा) की बात कही गई है। अब एक ही मुल्क में कौरिडोर के क्या माने हैं? पाकिस्तान के दो हिस्से हैं। वह भी कौरिडोर की मांग कर सकता है। जर्मनी में किसी ने कौरिडोर मांगा था और जिस तरह से झगड़े पैदा हुए, उनका हम सब को इल्म है। लेकिन बंगाल के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए किशनगंज के पास से एक रास्ते की जो मांग की गई है जिस पर कि बंगाल वालों का अपना जुरिसडिक्शन हो और वह दोनों हिस्सों को एक कम्पैक्ट (संयुक्त) हिस्से के तौर पर रख सकें, उसमें मैं काफी वजन देखता हूं। लेकिन जब मैं दूसरे हिस्से को देखता हूं जहां पर २४,०६० स्क्वेयर मील की मांग की गई है बंगाल की तरफ से तो मैं समझ नहीं पाता हूं। जनाबेवाला, कई जगह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस होंगे लेकिन खुद इसके अन्दर डिस्ट्रिक्ट बेसिस नहीं है। इसके अन्दर तो सिर्फ एक हिस्सा सब-डिवीजन का मांगा जाता है। मैंने जब इस सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट पढ़ी तो उसके अन्द रहमारी बहन रेणु चक्रवर्ती, श्री तुषार चटर्जी वगैरह ने जो कुछ अपने मिनट्स आफ डिसेंट में कहा है, उसको भी देखा है।

सफा ३९ पर मैं यह पाता हूं--

"क्योंकि हम यह निश्चित उल्लेख नहीं कर सकते कि इस प्रदेश में बंगाली भाषी बहु-संख्यकों के कौन से क्षेत्र हैं और क्योंकि जनगणना और विभापाओं का विषय विवादास्पद है हम प्रस्ताव करते हैं कि सीमा आयोग नियुक्त किया जाये।....."

इस तजवीज पर मैं सख्त हैरान हूं और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में विलेज को यूनिट मान कर बंटवारा किया जाय, तो वह बंटवारा इन्टर्मिनेबल होगा। लेकिन मैं इसकी स्पिरिट (धारणा) को देखता हूं। यहां पर तो लिंग्विज्म रन्ज मैड (भाषावाद पागलपन) है। इस सिलसिले में हमको मुताल्लिका इलाके को देखना है, पापुलेशन को देखना है, उनके आपस के ताल्लुकात को देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कनवीनिएन्स (प्रशासनिक सुविधा) को देखना है और फिर कोई फैसला करना है। मैं विलेज को यूनिट नहीं मान सकता हूं। मैं तो लिंग्विज्म के उसूल को पक्का नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी उनके कहने को एग्जामिन करना चाहता हूं कि आखिर बिहार पर उनकी डिमांड कहां तक जायज है। मैं देखूंगा कि जो उसूल किशनगंज वगैरह के मुताल्लिक कायम किया गया है, क्या वह बिहार के लिहाज से भी कायम रहता है या नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे बतलाया है और मुझे इस नक्शे से भी मालूम होता है कि धनबाद से जमशेदपुर जाने का रास्ता ३५० मील के करीब हो जायगा, अगर यह सारा टेरीटरी जिसका कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र है बंगाल को दिया गया। इसी तरह धनबाद और रांची और मूरी और धनबाद के दरमियान कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं रहेगा और अगर कोई शख्स बंगाल में से होकर न जाना चाहे, तो उसको बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ेगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बंगाल गैंडर के लिए सौस है,

वह बिहार गूस के लिये भी सौस है। अगर बंगाल के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए बिहार का टुकड़ा दिया जाता है, तो फिर बिहार के मामले में यह बात सामने क्यों नहीं रखी जाती है? धनबाद में रॉ मैटीरियल (कच्ची सामग्री) मिलता है, जमशेदपुर में मैनुफक्चर (निर्माण) होता है। मुझे बताया गया है कि उन दिनों के दरमियान तकरीबन दो हजार गाड़ियां रोज गुजरती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि किस उसूल के मातहत---किस क्राइटेरियन (कसौटी) से--- आप धनबाद वालों को मजबूर करते हैं कि वे लम्बे रास्ते से होकर जमशेदपुर जायें, अगर वे बंगाल में से होकर न जाना चाहें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं इस सवाल को सिर्फ इन्साफ की निगाह से देखता हूं। मेरे लिये बंगाल और बिहार दोनों काबिल-इज्जत हैं। वे दोनों मुझको बराबर प्यारे हैं। मैं कोई पार्शिएलिटी (पक्षपात) से काम नहीं लेना चाहता हूं। मैंने इस बारे में कई लोगों से पूछा, क्योंकि मुझे इस सवाल की पूरी हिस्टरी और हालात का पता नहीं था। जो मिनट्स आफ डिसेन्ट दिये गये हैं, उनसे भी मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ है। सफा ३६ पर एक मेम्बर साहब---श्री दिनकर---ने कुछ फिगर्स दी हुई हैं। वे पापुलेशन (जनसंख्या) की फिगर्ज (आंकड़े) हैं और वे गलत नहीं हैं। वे १९५६ की सैन्सस (जनगणना) से ली गई हैं और होम मिनिस्ट्री ने उनको सार्ट किया है और एसरटेन (निश्चित) कराया है कि वे दुरुस्त हैं या नहीं। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक दुरुस्त हैं। मैं समझता हूं कि वे सही हैं और उनकी बिना पर अर्ज करना चाहता हूं कि बिहारी भाइयों की यह शिकायत बजा है कि जो इलाका बंगाल को दिया जा रहा है, उसके देने के बाद बिहार के लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। उन फिगर्ज से पता चलता है कि भाखड़ा, जयपुर, अरसा और वाघमंडी में हिन्दी-स्पीकिंग पापुलेशन की परसेंटेज ७९ परसेंट, ७३ परसेंट, ५७ परसेंट और ५० परसेंट है और बंगाली पापुलेशन कम है। मेरी दरख्वास्त यह है कि आज फिजा बहुत अच्छी है और अगर बंगाली और बिहारी भाई दोनों मिल कर बैठें और एक फैसला करें तो हिन्दुस्तान पर उनका बड़ा अहसान होगा। हालांकि इन फिगर्ज के मुताबिक बाकी इलाकों में भी बंगाली पापुलेशन प्रीपांडरेट (अधिक जनसंख्या) नहीं है, वह बराबर भी नहीं है या कम है लेकिन फिर भी रजामन्दी के साथ, गुडविल के साथ, एमिटी के साथ इस बारे में फैसला कर दिया जाय। बंगाली और बिहारी भाइयों ने यह राय जाहिर की है कि हम यही चाहते हैं कि प्रीपांडरेट पापुलेशन के लिहाज से यह मामला तय किया जाय। बिहारी भाइयों की यह शिकायत जायज है कि यह सारा इलाका प्रीपांडरेटली हिन्दी-स्पीकिंग है। मैं बंगाली भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर उनको इन चार थानों की पापुलेशन फिगर्ज मन्जूर हैं, तो आप अपने बिहारी भाइयों की बात को क्यों नहीं मानते।

मेरे मित्र कहते हैं कि "गृहमंत्रालय में क्या है"। तब आप गृह मंत्रालय से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री से ठोस आधारों पर अपील करता हूं। यदि सरकार जनगणना के आंकड़ों से सहमत है तो वह किस आधार पर हिंदी भाषी लोगों को बंगाल को सौंप रही है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे बंगाल से बेहद मुहब्बत है और मैं बंगालियों का बेहद मशकूर हूं। मेरी सारी जिन्दगी उनकी मेहरबानी से बनी है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। मैंने कलकत्ता में ही सीखा है कि पढ़ना क्या होता है। पंजाब के लोग ज्यादा पढ़ाकू नहीं होते हैं। मैं कलकत्ता गया और वहां मैंने देखा कि एक एक बंगाली स्टुडेंट रात दिन किताबों के पीछे पड़ा रहता था। मुझमें भी यह आदत बंगालियों से आई और मैं बंगाली भाइयों का बेहद मशकूर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कहीं यह आदत पंजाब के लिये तकलीफदेह तो नहीं है?

पण्डित ठाकुर दास भार्गव: जनाबेवाला, मैं निहायत आजिजाना तौर पर अपने बंगाली और बिहारी भाइयों से अपील कर रहा हूं कि वे हिन्दुस्तान की यूनिटी के नाम पर मेरी अपील को मान लें। जिस उसूल पर मैं हाथ जोड़ कर उनसे अपील कर रहा हूं, अगर कोई उसी उसूल पर मुझे अपील करे, तो मैं उसे सिर्फ कबूल ही न करूं बल्कि उसके गले मिल जाऊं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैंने श्री मुकर्जी की तकरीर सुनी है। वह हमेशा अपने आप को नेशन के इलमबरदार कहते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर यह दुरुस्त है कि अगर यह इलाका बिहार में मिला दिया जाय, तो वहां के लोग धनबाद, जमशेदपुर और रांची वगैरह शहरों को अपने इलाके में से होकर जा सकते हैं, तो उनका फर्ज है कि वह उन लोगों को रास्ता दें और इन चार थानों को छोड़ दें। वह दूसरा रास्ता ३५० मील लम्बा है। आप उनको इतना लम्बा रास्ता अख्तियार करने के लिये मजबूर क्यों करते हैं ?

श्री क० कु० बसु : वहां पर बहुत जगह है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वहां ही नहीं, दुनिया में भी बहुत जगह है। आप के पास ही ईस्ट बंगाल है, आप जरा उधर कदम बढ़ाइये। मैं अर्ज करूंगा कि बिना किसी बेसिस के किसी जगह को क्लेम करके बिटरनैस बढ़ाना जायज नहीं है। मेरी यह एक मामूली सी अपील है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले गवर्नमेंट ने बम्बई को सैंट्रली-एडमिनिस्टर्ड (केन्द्र द्वारा प्रशासित) बनाना तय किया था, लेकिन हमने उस पर जोर देकर गवर्नमेंट से अपील की कि वह हाउस के कहने को माने। उसने मान कर गुजरात और महाराष्ट्र को मिला कर एक बाईलिंगुअल स्टेट (द्विभाषी राज्य) बना दिया है। मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि ये स्टेट्स के फैसले मामूली इन्सानों के प्राइवेट फैसले नहीं हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बिटरनैस पैदा कर सकते हैं। हमको इस मामले को सहूलियत के साथ हल करना है। अगर आप को मेरी दलीलें पसन्द हैं तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इन पर गौर कीजिये, परवाह न कीजिये कि आप किसी चीज के लिये कमिटेड हैं। आप किसी चीज के लिए कमिटेड नहीं हैं, अगर आप किसी चीज के लिए कमिटेड हैं तो इन्साफ और गुडविल के लिए। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट हर मामले में पीछे नहीं हट सकती, ऐसा करना उसके लिये मुश्किल होगा। लेकिन मैं जानता हूं पंडित नेहरू और पंत साहब जस्टिस (न्याय) को हरगिज कुरबान न होने देंगे।

मुझे एक अर्ज और करनी है। मैंने जो एस० आर० सी० की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें जिक्र दिया गया है कसाई दरिया का। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस कसाई दरिया के कैचमेंट एरिया में उन चार थानों में से कोई जमीन नहीं आती है जिनके लिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि बिहार को दे दिये जायें। मैं कैचमेंट एरिया के उसूल को नहीं मानता। आज किस उसूल के मातहत भाखरा डैम का एरिया हिमाचल प्रदेश में है। जमुना और गंगा के कैचमेंट एरिया को हम कहां देखते हैं। इसी तरह से दुनिया में और जगह भी कैचमेंट एरिया को नहीं माना जाता, जैसे कि डेन्यूब के बारे में है। लेकिन फिर भी जो एरिया कि मैंने बिहार को देने के लिये कहा है उसमें तो इस दरिया के कैचमेंट (जलागम) का सवाल भी नहीं आता। अगर वह एरिया किसी दरिया के कैचमेंट एरिया में है तो वह स्वर्णरेखा दरिया के में है जो कि बिहार का दरिया है। जिस बेसिस पर यह रिपोर्ट लिखी गई है, जिस बेसिस पर कि बंगाल को बिहार का एरिया दिया जा रहा है उसी बेसिस पर ये चार हिन्दी स्पीकिंग इलाके बिहार को दिये जायें। यहां ८० परसेंट पापुलेशन हिन्दी बोलने वाली है। यह एरिया बंगाल को हरगिज नहीं जाना चाहिये। मैं जिद्दन यह बात नहीं कहता। मैंने इस वास्ते इस मामले में दखल दिया है कि अगर आप किसी मामले को इन्साफन तै नहीं करेंगे अगर एक ही मामले में आपकी यार्डस्टिक एक जगह एक होगी और दूसरी जगह दूसरी होगी तो इससे लोगों में ऐसे खयालात पैदा हो जायेंगे जो कि गवर्नमेंट के लिये अच्छे नहीं होंगे। मैं चाहता हूं वह चीज पैदा न हो। इस वास्ते मेरी गुजारिश है कि एक ही यार्डस्टिक से सारे मामले को तय किया जाये।

आज बंगाल के बहुत से भाई बिहार में रहते हैं और बिहार के भाई बंगाल में रहते हैं। मैं अपने उन भाईयों से और बंगाल और बिहार की सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि जिस हालत से हो कर आज मुल्क गुजर रहा है उसको देखते हुए उनको चाहिये कि वे इस मसले को दोस्ती से तय

कर लें। कल सुबह जब वे आवें तो होम मिनिस्टर साहब के सामने अपना फैसला पेश कर दें और कहें कि हमने दोस्ती से यह फैसला कर लिया है। जो भी फैसला हो उसमें किसी किस्म की बिटरनैस नहीं होनी चाहिये और हमको मिल कर ही उस फैसले पर पहुंचना चाहिये।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा--मध्य) : इस विवाद में जो आपने मुझे मौका दिया है उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

इस राज्य पुनर्गठन के प्रश्न को लेकर देश में बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गयी है, इसको लेकर देश में उत्तेजना फैल गयी है और आपस में वैमनस्य पैदा हो गया है। जहां तहां इस कारण पागलपन भी देखने में आता है। आज इस बंगाल बिहार प्रश्न का निबटारा हो जाने के बाद यह प्रश्न खत्म हो रहा है। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग न एक राज्य के हिस्से को दूसरे राज्य में मिलाने के लिये कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये थे। आज बिहार का जो हिस्सा बंगाल को दिया जा रहा है वह उन सिद्धान्तों पर पूरा नहीं उतरता।

मैं उत्तर बिहार का रहने वाला हूं और दक्षिण बिहार के बारे में इस संबंध म जितनी जानकारी की आवश्यकता है उतनी मुझको नहीं थी। मेरा ख्याल था कि पुरुलिया सबडिविजन में कुछ ज्यादा थानों में बंगाली भाषा बोलने वाले रहते हैं। लेकिन जब मैंने वहां के सम्बन्ध में आंकड़ों को देखा और वहां के इतिहास को पढ़ा तो सारी स्थिति मुझे मालूम हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सारे इलाके में घूम कर और बहुत से लोगों की गवाहियां लेने के बाद और उनकी बातों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट लिखी थी।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वह रिपोर्ट उसने गवर्नमेंट और इस पार्लियामेंट के सामने पेश की। उसको पढ़ने बाद मैं कह सकता हूं कि भाषा के आधार पर पूर्णिया जिला, संथाल परगना, डालभूम तो बंगाल में जा ही नहीं सकते, मानभूम भी नहीं जा सकता। जो हिस्सा बंगाल को दिया जा रहा है वह भाषा के आधार पर नहीं दिया जा सकता चाहे भाषा का आधार लीजिये, चाहे संस्कृति का आधार लीजिये, किसी भी आधार पर जो कि राज्य पुनर्गठन कमीशन ने अपने सामने रखे, यह भाग बंगाल को नहीं दिया जा सकता। जब यह रिपोर्ट सरकार के सामने आयी तो बंगाल के नेताओं ने अपनी आवाज बुलन्द की। अगर आप ऊपर से बंगाल का इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बराबर बंगाल का एरिया कम होता रहा है खासकर देश विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल के दो हिस्सों में बट जाने से दोनों के बीच भौगोलिक सम्बन्ध नष्ट हो गये हैं। शासन की दृष्टि से इन दोनों हिस्सों में भौगोलिक सम्बन्ध जोड़ना स्पष्टतः आवश्यक मालूम पड़ता है और साधारण दृष्टि से सभी लोगों की सहानुभूति बंगाल की ओर हो जाती है।

बंगाल वालों की तरफ खासकर कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से बार बार भाषा की दोहाई दी जाती है और कहा जाता है कि कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने का वचन दिया था जिसको अब पूरा नहीं किया जा रहा है। यह सिद्धान्त और राज्यों में जिस तरह से भी लागू हुआ हो लेकिन सन् १९२१ और सन् १९५१ की सेंसस रिपोर्ट को देखने से और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो जांच की है उसको देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भाषा का सिद्धान्त बिहार पर लागू ही नहीं होता। लेकिन यह एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है। बंगाल के लोग बहुत समय से कोशिश करते आ रहे हैं कि बिहार का कुछ हिस्सा उनको मिलना चाहिये, चाहे शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मिले, चाहे उनके आर्थिक विकास के लिये मिले, या और किसी काम के लिये मिले। यह उनके लिये भावना का प्रश्न बन गया है। उनको सन्तुष्ट करने के लिये सरकार ने सुझाव रखा है कि उत्तर और दक्षिण बंगाल को मिलाने के लिये कुछ हिस्सा बिहार का बंगाल को दे दिया जाये। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सिद्धान्त पर बंगाल को पश्चिम दिनाजपुर से जलपाईगुड़ी तक बिहार किशनगंज सबडिविजन का पूर्व का हिस्सा दिया जा रहा है, उसी सिद्धान्त पर, जैसा कि

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री श्रीनारायण दास]

हमारे भार्गव साहब ने कहा है, धनबाद और जमशेदपुर को मिलाने वाली रेखा पश्चिम का भाग बिहार को दिया जाये ताकि धनबाद से जमशेदपुर और पुरूलिया से रांची जाने का सीधा रास्ता बिहार वालों को मिल जाये । लाखों बंगाली बिहार में रहते हैं । और लाखों बिहारी बंगाल में रहते है । इसलिये यह सभी के हित में होगा कि जो फैसला हो वह ऐसा हो कि सद्भावना बनी रहे । जो कुछ भी अब तक हमने इस सम्बन्ध में कहा और किया उसको भूल कर बंगाल और बिहार के भाईयों को मिलकर फैसला सभा के सामने रखना चाहिये । में चाहता हूं कि बंगाल और बिहार के भाई इस प्रश्न पर विचार करें ।

बिल के पुरुलिया सब डिविजन का जो हिस्सा शायद ५०० वर्गमील या ५५० वर्गमील के लगभग जो उस लाइन से पश्चिम में पड़ता है वह हिस्सा बिहार को छोड़ कर बाकी जो पूर्निया का हिस्सा है वह बंगाल में मिला दिया जाये, भले ही ऐसा करना भाषा, संस्कृति या किसी भी आधार पर ठीक न हो । ऐसी अवस्था में इन सब सवालों को उठाना में समझता हूं कि मेरे लिये और इस सभा के लिये भी उचित नहीं है । मैंने बहुत विचार विमर्श के बाद और विभिन्न स्वार्थ वालों की बात सुनने के बाद जिस बात को रक्खा है उसके अनुसार इस वर्तमान विधेयक में तबदीली करके हाउस को इस बिल को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिहार की जनता और वहां की विधान सभा का ताल्लुक है में आपको बतलाना चाहता हूं कि जब यह बिल वहां पर विचारार्थ पेश हुआ तो केवल ६ सदस्यों को छोड़ कर बाकी तमाम विधान सभा के सदस्यों ने एक स्वर से यह अनुरोध किया था, सरकार से अनुरोध किया था और राष्ट्रपती से भी अनुरोध किया था कि इस बिल को पेश ही न किया जाये और इस बात से आप भलीभांति अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सम्बन्ध में बिहार की जनता का क्या मत है । बिहार की जनता अगर वह समझती कि भाषा के सिद्धान्त के आधार पर, कैचमेंट ऐरियाज के सिद्धान्त पर या किसी दूसरे सिद्धांत पर यह बात कसौटी पर ठीक उतरती तो वहां की जनता कभी उसका विरोध नहीं करती । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्णिया की पांच परसेंट जनता भी बंगाल में जाने के लिये तैयार नहीं है । पूर्णिया के बारे में हमारे भाई कहते हैं कि उस क्षेत्र में बंगला भाषा-भाषी लोग बहुत अधिक हैं और वहां के लोग बंगाल में जाना चाहते हैं । माननीय सदस्य जो उस इलाके से यहां लोक-सभा में चुन कर आये हैं वे बंगला में भाषण देकर इस बात को साबित करना चाहते हैं कि दरअसल में वह बंगला भाषा-भाषी क्षेत्र है । उनसे मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो इसी बात को कसौटी मान कर उस क्षेत्र का जनमत लेने में उन्हें क्यों एतराज है ? वहां की जनता अगर बंगला बोलने वाली है और उसकी संस्कृति बंगालियों से मिलती है और वे लोग बंगाल में जाना चाहते हैं तो फिर उस इलाके में मत ले लीजिये और मत लेकर जो निर्णय हो उसके मुताबिक वहां पर अमल किया जाये और ऐसा करने में उनको क्या ऐतराज होता है ।

मैं अधिक न कह कर यह कहना चाहता हूं कि जो समझौते का सुझाव हमारे गाडगील साहब और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने हाउस के सामने रखा है उसके ऊपर बिहार और बंगाल के मेम्बरों को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

एक बात और कह कर मैं खत्म करूंगा । श्री साधन गुप्त ने बड़े फख्र के साथ यह बात कही थी कि जब कोई उनसे कहता है कि आप पहले भारतीय हैं या बंगाली तो उनको यह सवाल समझ में नहीं आता है और इस सवाल का जवाब उनके पास यह है कि हम भारतीय भी हैं और साथ ही साथ बंगाली भी हैं । मेरा कहना है कि भारतीय और बंगाली तक ही तो बात खत्म नहीं हो जाती है और बंगाली से चल कर यह भी तो चलता है कि अमुक हिन्दू है, इसाई है अथवा मुसलमान धर्म का माननेवाला है और एक बार संकीर्णता में उतर जाइये तो फिर उसका अंत नहीं रहता और आदमी संकीर्णता के दायरे में नीचे धंसता जाता है और स्पष्ट बात है कि अगर बंगाली, बिहारी, जांतिपांत जैसे अमुक ब्राह्मण है और फला हिन्दू है और फला मुसलमान है, इन चीजों में चले जाने के बाद

राष्ट्रीयता कहां रह जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह ठीक है कि बिहार में बिहारी बसते हैं और बंगाल में बंगाली बसते हैं लेकिन सबकी जितने इस देश में बसते है उनकी एक भारतीय राष्ट्रीयता है न कि बंगाली और बिहारी राष्ट्रीयता है। इसलिये हमारे कम्यूनिस्ट सदस्य के मन में जो कि तमाम विश्व को एक समझते हैं और विश्व में एक आन्दोलन चलाना चाहते हैं और विश्व के लिये एक सरकार बनाना चाहते हैं उनके दिल में जो यह प्रांतीयता का भाव है वह मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का संकीर्ण बिहारी अथवा बंगालीपना कैसे उनमें समाया हुआ है।

श्री साधन गुप्त : लेनिन पढ़िये।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इसी तरह एक दूसरे कम्यूनिस्ट सदस्य श्री ही० ना० मुकर्जी हैं जिन्होंने कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत लांछन फेंका है और कहा है कि इस गवर्नमेंट को केवल जनता द्वारा किये गये वायलेंस की निन्दा करना आती है लेकिन जो पुलिस जनता पर गोलियां चलाती है उसकी यह सरकार निन्दा नहीं करती। इसके लिये मेरा उनको जवाब है कि कोई भी सरकार जो कि शान्तिमय उपायों में विश्वास करती हो उसको गोली चलाने में बहुत संकोच होता है लेकिन जब देखती है कि देश में कुछ ऐसे शरारती तत्व मौजूद हैं जो किसी खास परिस्थिति का नाजायज फायदा उठा कर के अपना स्वार्थ साधन करना चाहते हैं और हमारी भोली भाली जनता जो अभी पूर्णतया प्रजातांत्रिक भावनाओं से अवगत नहीं है और जिसको कि यह पता नहीं है कि वह प्रजातांत्रिक तरीके से किस तरह अपनी आवाज और मांग को रख सकती है वह इन अराजक तत्वों के बहकावे में आकर के गुमराह हो जाती है और हमने देखा कि अहमदाबाद, बम्बई या अन्य शहरों की गलियों में किसी बात का निबटारा ढेले और पत्थर से करना चाहते हैं और तब मजबूर हो कर सरकार को हजारों आदमियों के प्राण बचाने के खातिर गोली चलाने को बाध्य होना पड़ता है और हजार की जान बचाने के लिये कभी कभी पुलिस की गोली से एकाध आदमी मर जाते हैं। जो भाई ऐसे लोगों को उकसाते हैं, जो संस्थायें ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं और प्रजातांत्रिक ढंग से उस रास्ते को छोड़ कर ऐसा रास्ता अपनाने के लिये कहते हैं कि जिस रास्ते पर किसी समस्या का समाधान कभी दुनिया में हुआ नहीं है तो मैं समझता हूं कि उनको इस हाउस के सामने आकर यह कहना कि यह सरकार केवल जनता की हिंसा को दबाती है और पुलिस की हिंसा को नहीं दबाती है, शोभा नहीं देता है। पुलिस को तो हिंसा मजबूरी की अवस्था में करनी पड़ती है।

श्री साधन गुप्त : जुडिशल इनक्वायरी कराइये। होशियारपुर में क्या हुआ ?

श्री श्रीनारायण दास : अगर सरकार को मजबूर होकर कहीं हजार आदमियों की जान बचाने के लिये गोली का आश्रय लेना पड़ता है तो हर दफा आप की तरफ से यह मांग आना कि जुडिशल एनक्वायरी बैठनी चाहिये, यह मेरी समझ में नहीं आता है। बम्बई में या अहमदाबाद के अंदर जो बातें हो रही हैं उनमें क्या उनको इस बात का संदेह है कि उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है वह कंडैम करने लायक नहीं है ? ढेलेबाजी, पत्थरबाजी करके, मकानों को गिराकर के और रेलवे को उखाड़ने जैसे कामों को करने के लिये जनता को उकसाया जाना किसी भी देश की संसद् के सदस्यगण जो कि प्रजातांत्रिक और शान्तिपूर्ण सिद्धान्तों में विश्वास करते होंगें, वे कभी बर्दास्त नहीं करेंगे। मैं तो समझता हूं कि हमारे कम्यूनिस्ट सदस्य जो कि बाहर तो जनता को इस तरह के अवैधानिक, अप्रजातांत्रिक और हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिये उकसाते हैं और जब मजबूर हो कर सरकार ऐसे शरारती तत्वों को रोकने के लिये गोली चलाती है तो हाउस में उसके लिये शोर मचाते हैं, मेरी समझ में उनका ऐसा करना इस देश में हिंसा को प्रोत्साहन देना है और हिंसा से किसी भी प्रश्न का हल नहीं हुआ है और मेरी समझ में नहीं आता है कि वे देश को किधर ले जाना चाहते हैं।

इस बिल के मुताबिक यद्यपि कोई भी हिस्सा बिहार का बंगाल में मिलाये जाने का औचित्य किसी भी सिद्धान्त के मुताबिक न तो कमीशन हमको बता सका और न सरकार ही बता सकी लेकिन चूंकि बंगाल को किसी तरह से हमको संतुष्ट करना है तो कुछ थोड़ा सा हिस्सा बिहार के बावजूद इस बात के कि हमारी जनता उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी कुछ हिस्सा बंगाल को दिये जाने का प्रस्ताव

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री श्रीनारायण दास]

जा रहा है। मैं उसका समर्थन नहीं करता लेकिन मैं कहता हूं कि जो निर्णय सरकार ने किया है वह उसको करे लेकिन उस सम्बन्ध में जो सुझाव हमारे गाडगील साहब और भार्गव साहब ने रखा है, उस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और मैं अपने नेता से कहूंगा कि वह इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके बिहार और बंगाल के सदस्यों के ऊपर थोड़ा प्रेमपूर्व दबाव डाल कर ऐसा प्रयत्न करें कि यह विधेयक उस सुझाव के अनुसार संशोधित रूप में कल आ जाये और हाऊस से स्वीकृत हो जाये और अगर ऐसा हो सका तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक बिहार के लोगों को संतोष हो जायेगा और बंगाल के लोगों को भी असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं रहेगा। सुझाव यह है कि धनबाद से जमशेदपुर तक जो एक सीधा राजपथ बनाया जायेगा उसके पश्चिम का मानभूम का सबडिविजन का हिस्सा बिहार को छोड़ दिया जाये और बाकी बंगाल में आ जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का इस संशोधन के साथ समर्थन करता हूं।

†**डा० कृष्णस्वामी** : लगभग साढ़े तीन घंटे से पश्चिमी बंगाल को बिहार के कुछ हिस्सों के हस्तांतरण के प्रश्न पर चर्चा हो रही है। मैं अपने बिहारी मित्रों के भावों को समझ सकता हूं। परन्तु मैं सभा के समक्ष इस मामले के दूसरे पहलू को भी रखूंगा।

पश्चिमी बंगाल आज एक छिन्न भिन्न राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मूल्य उसने दिया...

†**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं। यह कहते हैं कि बंगाल ने स्वराज्य की लड़ाई में ज्यादा त्याग किया है। तो क्या बिहार और देश के दूसरे भागों ने कम त्याग किया है? बराबर इस तरह से क्यों कहा जाता है?

†**डा० कृष्णस्वामी** : मैं किसी विशेष राज्य पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति में भाग नहीं लिया। मैं तो केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि बंगाल को जो कष्ट उठाने पड़े हैं वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण ही उठाने पड़े हैं।

शरणार्थियों का पुनर्वास करना तथा उनको नौकरियां दिलाना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं मानता हूं कि अन्य सरकारें भी इनके पुनर्वास की इच्छुक हैं? परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी इच्छा होने पर भी प्रशासनिक दृष्टि से इन शरणार्थियों को एक राज्य में बसाना आसान होगा। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि शरणार्थियों को बसाने की समस्या ही क्षेत्रों के हस्तांतरण का मुख्य कारण बन जाये। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जिन स्थानों, जैसे सन्थाल परगना आदि में बंगाली लोग अधिक हैं, उन स्थानों को पश्चिम बंगाल में मिला देना चाहिये। इसके अतिरिक्त बड़ी परियोजनाओं जैसे दामोदर घाटी परियोजना आदि से बेकारी की समस्या भी दूर हो जायेगी क्योंकि बहुत से शरणार्थी इनमें नियुक्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त बंगाल तथा पंजाब के शरणार्थियों में भी बड़ा अन्तर है और इसलिये बंगाल सरकार की समस्यायें बहुत गम्भीर समस्यायें हैं।

मैं संक्षेप में कुछ अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भाषावार सिद्धान्तों का ध्यान रखा। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आयोग द्वारा बंगाल को जिन स्थानों को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की गयी थी मूल विधेयक में इन स्थानों को भी कम कर दिया गया है। संयुक्त समिति के सभापति ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जहां तक पूर्निया का सम्बन्ध है, शरणार्थियों को उस क्षेत्र में बसाने के लिये न भेजा जाये। यदि ऐसा है तो कुछ अन्य क्षेत्रों को भी बिहार से बंगाल को हस्तान्तरित करना आवश्यक हो जाता है।

परंतु मैं अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि क्षेत्रों के प्रश्न के अतिरिक्त, जब हम अन्य प्रश्नों पर समझौते पर पहुंच चुके हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम पूर्णतया उस समझौते के अनुसार कार्य करें। ऐसा समाचार मिला है कि एक समझौते के अनुसार बिहार ने यह स्वीकार कर लिया था कि किशनगंज नगर के बदले पूर्निया जिले का एक थोड़ासा भाग बंगाल को दे दिया जायेगा जिससे दार्जिलिंग से सम्पर्क रखा जा सके।

†मूल अंग्रेजी में।

श्री विभूति मिश्र : मैं भी बिहार का मेम्बर हूं, मेरे सामने कोई कम्प्रोमाईज नहीं हुआ था।

†**डा० कृष्णस्वामी** : मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समझौते को बिहार तथा बंगाल की जनता, आपसी भलाई सोच कर ही पूर्ण कर सकती है। पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस दल के एक भी सदस्य ने विमति टिप्पण संलग्न नहीं किया है जब कि बिहार के सभी सदस्यों ने विमति टिप्पण संलग्न किया है। मैं खंड ३ की ओर निर्देश करना चाहता हूं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है कि उप-धारा (१) में निर्देशित सीमा रेखा इस प्रकार बनायी जायेगी कि यह पूर्निया जिले के राजपथ पश्चिम में २०० गज पर दलकोला, किशनगंज तथा थमरा को सिलिगुरी से मिलाते हुए २०० गज दक्षिण में दलकोला, करांड़ीधी को रामगंज से मिलायेगी। इसको और स्पष्ट कर देना चाहिये क्योंकि विधेयक के अनुसार पूर्निया जिले के किशनगंज सब-डिविज़न के राष्ट्रीय जनपथ के पश्चिम में "सामान्यत:" २०० गज भूमि का हस्तांतरण होना चाहिये। यदि शब्द "सामान्यत:" का स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो बाद में कठिनाईयां पैदा होने की सम्भावना है।

मेरे मित्र श्री मुकर्जी ने कहा है कि उन क्षेत्रों के आदिम जातियों के व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिये। मैं भी उनका समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सुरक्षा को कार्यरूप देने में हमें सभा के सभी सदस्यों की सद्भावना प्राप्त होगी। आदिम जातियों को संरक्षण देने से देश की संस्कृति के विकास में और वृद्धि होगी।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने गत तीन चार घंटों से भाषणों को सुना है। मैं समझता हूं कि उनमें बहुत कम ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर देने की आवश्यकता हो। विरोधी दृष्टिकोण रखने वालों ने जो तर्क दिये हैं उनके द्वारा उन्होंने स्वयं एक दूसरे के तर्कों का खंडन कर दिया है जिससे किसी हद तक मेरा काम हल्का हो गया है।

परन्तु मेरा विचार है कि श्री मुकर्जी ने भाषा के सिद्धान्त पर जब जोर दिया उस समय वह अपनी बात के महत्व को पूर्णतया नहीं जानते थे। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि भाषा के आधार पर ही इन प्रदेशों को बिहार से बंगाल को दिया गया है। ऐसा नहीं है, तथा जो भाषा के सिद्धान्त को पूर्णतया मानने वाले हैं, मेरी समझ में, इस विधेयक में प्रस्तावित हस्तान्तरण का समर्थन नहीं करेंगे। यदि आप राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को देखें तो आपको जानकारी होगी कि आयोग ने स्वंय कहा है कि भाषा की समानता के सिद्धान्त पर उन्होंने इन स्थानों को बंगाल को नहीं दिया है। पूर्निया के मामले को लीजिये। इस सम्बन्ध में उसमें कहा गया है कि :

"हमारा यह विचार है कि इस प्रश्न का पुनरीक्षरण करने के लिये हमसे नहीं कहा जायेगा। पूर्निया जिले के सुदूर पूर्व में तथा बंगाल में किशनगंजिया अथवा सिरपुरिया कहे जाने वाले क्षेत्रों में आपसी सम्बन्ध घनिष्ट मालूम होते हैं। परन्तु यह बोली कैथी लिपि में लिखी जाती है जो कि हिन्दी के समान है तथा जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, मैथिली तथा हिन्दी से इसका सम्बन्ध और अधिक निकट का होता जाता है। भाषा के आधार पर दिये गये तर्क, चाहे वह बिहार ने प्रस्तुत किये हों अथवा बंगाल ने, निर्णयात्मक नहीं हैं।

इसलिये इस विधेयक में भाषा के सिद्धान्त पर बंगाल के पूर्निया के भागों का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है। यदि श्री हीरेन मुकर्जी तथा उनके साथी केवल भाषा के आधार पर मांगें बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा विचार है कि वह शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बिहार से पूर्निया अलग करके बंगाल को न दिया जाये।

इसी प्रकार आप यदि पुरुलिया को लें तो आपको ज्ञात होगा कि आयोग ने उस क्षेत्र में भी भाषा पर जोर नहीं दिया है। मेरा विचार है कि पुस्तक को आप पढ़ें। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि उन्होंने उसे पढ़ा नहीं है। १९५१ की जनगणना के अनुसार उस क्षेत्र की बंगाली भाषा भाषी जनता लगभग ५१ प्रतिशत है। हमारे समक्ष बाद में रखे गये आंकड़ों में वह प्रतिशतता बहुत कम है। परन्तु इस प्रश्न पर मैं विवाद करना नहीं चाहता। आयोग ने एक निश्चित सिद्धान्त का पालन

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० ब० पन्त]

किया तथा वह यह था कि यदि किसी जिले की, अथवा अपवादस्वरूप मामलों में किसी तहसील अथवा तालुक की ७० प्रतिशत जनता एक भाषा भाषी हो, तभी भाषा के आधार पर परिवर्तन करना उचित होगा। अतः यदि भाषा के सिद्धांत को अपनाया जाये तो श्री मुकर्जी का तर्क व्यर्थ रहेगा। यह उनके लिये लाभदायक नहीं रहेगा।

प्रश्न उठता है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को क्यों स्वीकार किया। इसके लिये मैं सदस्यों का ध्यान सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों की ओर आकर्षित कराता हूं। ये मार्गदर्शक सिद्धांत आयोग की नियुक्ति के संकल्प में दिये गये हैं। उनमें लिखा है :

"आयोग समस्या की दशाओं, ऐतिहासिक पृष्ठभमि, वर्तमान स्थिति तथा इनके सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण तथा उचित तथ्यों की जांच करेगा। इस प्रकार के पुनर्गठन के सम्बन्ध में किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये वह स्वतंत्र होंगे।"

दर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विशिष्ट कसौटी रखी थी। उसने कहा :

"आयोग का विचार है कि प्रान्त का निर्माण प्राथमिक रूप से प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिये। भाषा की एकता पर भी प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर विचार होना चाहिये।"

दर आयोग ने यह सिद्धान्त रखा था और राज्य पुनर्गठन आयोग ने आपने प्रारूप के आधार को स्पष्ट करते हुए, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय सामर्थ्य तथा उस क्षेत्र के विकास तथा पंचवर्षीय राष्ट्र योजना की योजनाओं की प्रगति को देश के विभिन्न क्षेत्रों का पुनर्गठन करते समय ध्यान में रखा था। इसी कसौटी के आधार पर यह प्रस्ताव किये गये। परन्तु यदि कोई केवल भाषा के सिद्धान्त पर ही निर्भर रहे तो निश्चय ही वह समाप्त हो जायेगा तथा उसके साथ साथ पूर्निया तथा पुरुलिया के बंगाल में मिलाने का प्रस्ताव भी समाप्त हो जायेगा।

प्रो० मुकर्जी ने कहा कि जब कांग्रेस का कोई महत्व नहीं था तब कांग्रेस भाषा के आधार के पक्ष में थी। मेरा विचार है कि साम्यवादी दल एक परिवर्तनशील संस्था है, तथा इसीलिये वह अपने ज्ञान तथा अनुभवों से जनता का लाभ करना चाहती है और सदा के लिये उसे पिछड़ी हुई नहीं चाहती है।

जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब देश "भारत छोड़ो" संकल्प के आधार पर लड़ रहा थी उस समय कांग्रेस अपने उत्कर्ष के दिनों मे थी। जो भी हो, हमारा सम्बन्ध प्रस्तावों के औचित्य से है तथा पूर्ण सावधानी से यह निर्णय किये गये हैं। मैं विवाद में पड़ना नहीं चाहता तथा मैं किसी दावे का विरोध करना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि यह मामला केवल तर्क का नहीं है।

इसलिये मैं पूर्णतया जानता हूं कि इस प्रकार के मामलों में भावनायें भी रहती हैं। परन्तु मैं अपने माननीय मित्रों से अपील करूंगा कि भावनाओं में न बहें। हम बंगाल तथा बिहार की भलाई चाहते हैं उनकी भलाई एक दूसरे पर निर्भर है तथा यदि एक पर कोई संकट आता है तो दूसरा उस संकट से नहीं बच सकता है। इसलिये ऐसे हल निकालना हमारा कर्त्तव्य है, जो किसी भी पक्ष की भावनाओं को हानि न पंहुचाकर परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करें।

जहां तक पूर्निया का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि सभी इससे सहमत हैं कि विधेयक में की गयी व्यवस्था एकदम संतोषजनक है। जहां तक पुरुलिया का सम्बन्ध है, कुछ असंतोष है क्योंकि पुरुलिया के कुछ भाग बंगाल को बंगाल का विकास करने के लिये दे दिये गये हैं, तथा परियोजनाओं के द्वारा बंगाल को कुछ लाभ हो जायेगा। यह कहा जाता है कि बिहार को भी इसी प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहियें। यह ठीक है। इसलिये हमने जमशेदपुर तथा धनबाद के बीच एक राजपथ बनाना स्वीकार

कर लिया है । जहां तक धनबाद से रांची तक यातायात का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस परिवर्तन के कारण बिहार को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने पर सहानुभूति से विचार करेगी ।

हम नहीं चाहते कि सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबन्धों के कारण देश के किसी भाग को कुछ कष्ट उठाना पड़े । यह याद रखना चाहिये कि बिहार तथा बंगाल में इन प्रदेशों के सम्बन्ध में दीर्घकालीन विवाद हैं । तथा इससे आपसी मनमुटाव पैदा हो गया जो दूर करना आवश्यक है । आयोग ने कहा था कि अन्य कारणों के अतिरिक्त, बंगाल तथा बिहार के नेताओं के बीच की इस गुत्थी को सुलझाना आवश्यक है । इसलिये किसी तरीके का पता लगाना था तथा उसका यही कहना है ।

मैं समस्या का इतिहास नहीं बताऊंगा । मैं केवल बिहार के माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर उदारता से विचार करें । जैसा कि मैंने प्रातः बताया, बिहार की जनता पूरा बिहार ही बंगाल को देने को तैयार है ।

मेरा विचार है कि यदि बंगाल बिहार का यह मिलन इस समय नहीं हो सके तो आपसी भेदभाव तो दूर कर ही देना चाहिये तथा यही महत्वपूर्ण भी है । यद्यपि हमारे प्रशासनिक एककों में विभिन्नता हो सकती है, परन्तु एक दूसरे के लिये हमारा आदर हमें हमारे कार्यों तथा निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करेगा ।

चर्चा के दौरान में किसी ने यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह पहली किस्त है, कुछ और स्थानों को बाद में देना होगा । ऐसा वक्तव्य मैंने तो नहीं देखा है । इस विधेयक से उत्पन्न समस्याओं के प्रति, जिन पर बंगाल विधान मंडल में चर्चा हुई थी और मत लिये गये थे, बंगाल के मुख्य मंत्री तथा बहुमत दल के अन्य सदस्यों द्वारा ऐसा रवैया अपनाना सुसंगत नहीं है ।

दलभूम, धनबाद तथा सम्पूर्ण पुरुलिया को हस्तान्तरित कर देने के सुझाव दिये गये थे । सम्भवतः सिंहभूम को भी हस्तान्तरित करने का सुझाव था । किन्तु यह सब सुझाव समाप्त कर दिये गये ।

†**श्री क० कु० बसु** : अन्य क्षेत्रों के बारे में अनुचित मांग न कीजिये ।

†**श्री साधन गुप्त** : कांग्रेस के लोग अनुचित मांगें ही करते हैं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये थे । आज मुझे प्रो० मुकर्जी से सुन कर प्रसन्नता हुई कि वह धनबाद, धनभूम और जमशेदपुर नहीं चाहते हैं । मैं नहीं कह सकता कि उनके और साथी उनसे पूर्णतया सहमत हैं या नहीं, क्योंकि संयुक्त समिति में प्रो० मुकर्जी द्वारा किये गये कुछ संशोधन उन्होंने यहां जो दृष्टिकोण प्रकट किया उससे मिलते नहीं हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : उनकी बात को बिल्कुल गलत समझा गया है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे आशा है कि इसे पहली किश्त समझने के बारे में और आगे बात नहीं की जायगी । पहली किश्त का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हम सब एक ही गणराज्य के नागरिक हैं । हमें सब जगह समान अधिकार प्राप्त है । हम प्रत्येक एकक की प्रगति और सम्पन्नता में दिलचस्पी रखते हैं जिस से सारे एकक एक साथ उन्नति कर सकें । ऐसी परिस्थितियों को मैं नही समझता कि कुछ क्षेत्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हस्तांतरित करने के लिये प्रश्न को अनुचित महत्व क्यों दिया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र इस मामले पर उदार दृष्टिकोण रखेंगे । हम अपने प्रस्तावों के बारे में कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि आयोग की नियुक्ति संसद् की सहमति से की गई थी.....

†**श्री क० कु० बसु** : किन्तु उसमें आपने रूपभेद कर दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** :.....राज्यों के पुनर्गठन के सारे प्रश्नों को तय करने के लिये निश्चय ही उक्त आयोग का निर्णय अन्तिम नहीं था ।

†**श्री क० कु० बसु** : हम कारण भी जानना चाहते हैं ।

†**पंडित गो. ब. पन्त** : आयोग की नियुक्ति करते समय संसद् अशक्त नहीं हो गई थी । उसका समस्त प्रभुत्व विद्यमान था, फिर भी उसने आयोग नियुक्त किया था । उस आयोग ने सम्पूर्ण देश का दौरा किया, समस्त समस्याओं का अध्ययन किया, प्रत्येक संगत कारण पर ध्यान दिया तथा जिन मामलों को उसे तय करना था उसके प्रत्येक पहलू पर विचार करके कुछ निष्कर्ष निकाले और कुछ सिफारिशें कीं ।

सीमा क्षेत्रों के बारे में केवल इसके अतिरिक्त कि हम आयोग के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, सिद्धांत का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अतः हमें इस बारे में उनकी सिफारिशों को अस्वीकार नहीं कर देना चाहिये ।

यह सभा इससे अधिक महत्वपूर्ण समस्यायें सुलझा चुकी है । बम्बई के बारे में जो हल ढूंढ निकाला गया है वह इस सभा के लिये श्रेय और गौरव की बात है । हमें उसी भावना का अनुसरण करना चाहिये जिसने सभा को ऐसे हल पर पहुंचने के लिये प्रोत्साहित किया था । यदि हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि जो मामले आज हमारे सम्मुख हैं वे अपेक्षातया बड़े छोटे और मामूली से हैं । अतः हम आपस में तय करके इन प्रस्तावों को स्वीकार करें जो इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में संयुक्त समिति द्वारा बड़ी लम्बी चौड़ी वार्ता के परिणामस्वरूप ढूंढ निकाले गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बिहार से पश्चिम बंगाल में कतिपय राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों, अपने संशोधनों की संख्या तथा सम्बधित खण्ड संख्या १५ मिनट के भीतर सचिव को दे दें ।

खण्ड २ (परिभाषायें)

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ट १, पंक्ति ८ में—

"October" (अक्टूबर) के स्थान पर "November" (नवम्बर) रखा जाये ।

†**श्री क० कु० बसु** : क्यों श्रीमान ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इसे पहले ही किसी और विधेयक में पारित कर चुके हैं ।

†**श्री क० कु० बसु** : यह और भी आवश्यक है । यह तो मामूली सा समायोजन करना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टतः उद्देश्य यह है कि सारे देश में इसे एक साथ ही अपनाया जा सके । प्रश्न यह है :

पृष्ट १, पंक्ति ८ में—

"October" (अक्टूबर) के स्थान पर "November" (नवम्बर) रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** (मुजफ्फरनगर—मध्य) : मैं अपना संशोधन संख्या ४४ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मेरा यह संशोधन प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि "बिहार" की परिभाषा बिहार राज्य और "पश्चिमी बंगाल" की परिभाषा पश्चिमी बंगाल राज्य कर दी जाये ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विधेयक में कहीं पर "बिहार राज्य" और "पश्चिमी बंगाल राज्य" तथा कहीं पर केवल "बिहार" और "पश्चिमी बंगाल" शब्द प्रयोग करने से गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है । अतः इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये क्योंकि बिहार और बिहार सरकार तथा पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल सरकार दोनों अलग-अलग चीजें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पृष्ट ४ पर खण्ड ६ में "बिहार" और "पश्चिमी बंगाल" शब्द आये हैं । दोनों का तात्पर्य एक ही है किन्तु हम एक संविधि बना रहे हैं ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : यदि हम सारे विधेयक में "बिहार" और "पश्चिमी बंगाल" का ही उपयोग करते तो इस संशोधन को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतः "बिहार" का तात्पर्य बिहार की सरकार और "पश्चिमी बंगाल" का तात्पर्य पश्चिमी बंगाल की सरकार होना चाहिये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इस विधेयक में "बिहार" की सरकार और "पश्चिमी बंगाल की सरकार" नामक शब्दों का प्रयोग कई बार हुआ है । अब यदि आप "बिहार" का तात्पर्य बिहार की सरकार लगाते हैं तो उन सभी स्थानों के लिये हमें संशोधन रखने पड़ेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ६ और खण्ड ३ में "बिहार की सरकार" और "पश्चिमी बंगाल की सरकार" दोनों प्रयुक्त हुऐ हैं ।

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड ६ में बिहार और पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त और कुछ अर्थ नही हो सकता ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इससे क्या गड़बड़ी हो सकती है ? "बिहार की सरकार" और "बिहार" में क्या अन्तर है ? हमें 'बिहार की सरकार' नामक शब्दों का प्रयोग वहीं करना चाहिये जहां प्रशासकीय एकक पर जिसे बिहार कहते हैं जोर दिया गया हो । हम 'बिहार' शब्द का उपयोग वहां पर कर सकते हैं जहां राज्य क्षेत्र अथवा उन क्षेत्रों पर जो बिहार के नाम से पुकारे जाते हैं, विचार करना हो । इससे मैं समझता हूं कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी ।

†**श्री क० कु० बसु** : संविधान में राज्यों के नाम दिये हुए हैं ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : यदि बराबर एक ही से शब्द प्रयोग किये गये होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और न मैं परिभाषा के लिये ही कहता ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : एक ही शब्द का हर जगह प्रयोग करना आवश्यक नहीं है ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : यदि इनका तात्पर्य एक ही है तो कोई बात नहीं । सामान्यतः सभी संविधियों में हम वे ही शब्द प्रयोग करते हैं, बदल बदल कर नहीं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की आशंका हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस खण्ड का केवल संशोधन संख्या ८ रह जाता है ।

†**श्री पाटस्कर**: मैं समझता हूं कि वह अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खण्ड ३ तथा ४

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ— २, पंक्ति ३८ और ३९ में "South East" ["दक्षिण पूर्व"] के स्थान पर "South West" ["दक्षिण-पश्चिम"] कर दिया जाये ।

यह गलती से ही छपा हुआ है । यहां पर 'दक्षिण पश्चिम' ही होना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : केवल एक ही 'पश्चिम' हो सकता है और वह ३९वीं पंक्ति में हो सकता है।

जहां तक ३५वीं पंक्ति का सम्बन्ध है उसमें पहले ही में "West of the Highway" ("राजमार्ग के पश्चिम में") शब्द हैं । केवल ३९वीं पंक्ति में ही ये शब्द होने चाहियें ।

"पूर्निया जिले में डालकोला और करनदिघी को मिलाने वाले राजमार्ग के दक्षिण अथवा 'दक्षिण पश्चिम' में....."

†**पंडित गो० ब० पन्त** : केवल एक ही स्थान पर 'दक्षिण पूर्व' शब्द का प्रयोग हुआ है. इसके स्थान पर 'दक्षिण पश्चिम' होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य माननीय सदस्य भी जो अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने संशोधनों की संख्या बताने की कृपा करें ।

†**श्री तुषार चटर्जी** (श्रीरामपुर) : मैं संशोधन सं० १० प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**श्री क० कु० बसु** : मैं संशोधन संख्या २ और ३ प्रस्तुत करना चाहता हूं । संशोधन संख्या ३ में एक नया खण्ड ४क जोड़ने के लिये कहा गया है । मेरे विचार में यह विधेयक के इस भाग में ठीक बैठता है अतः हम इस खण्ड के साथ इस की भी चर्चा कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संशोधन में एक नया खण्ड ४क जोड़ने के लिये कहा गया है ।

†**श्री क० कु० बसु** : यद्यपि इसमें नया खण्ड जोड़ने के लिये कहा गया है, फिर भी यह इसी विषय से संगत है । अतः इसकी अभी चर्चा की जा सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नया खण्ड ४क खण्ड के पश्चात् ही लिया जा सकता है ।

†**श्री क० कु० बसु** : अगर हम खण्ड ३, ४ और ४क को एक साथ ही ले लें तो अच्छा रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । खण्ड ३ और ४ पर चर्चा की जाये और नये खण्ड पर भी ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : क्या हम खण्ड ३ को कल नहीं ले सकते हैं । इस समय हम उस पर रखे गये संशोधनों पर विचार कर सकते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं भी इसका समर्थन करता हूं । क्यों कि कल छुट्टी होने के कारण कुछ संशोधनों को परिचालित नहीं किया जा सका है, अतः उन पर विचार प्रगट करना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मुझे उसी दिन संशोधन मिलें तो मैं उन्हें कैसे परिचालित कर सकता हूं ? खैर आज हम खण्डों पर चर्चा करेंगे और आज सायं सभी नये संशोधनों को सदस्यों में परिचालित कर दिया जायगा । हमारे पास आधा घंटा है हमें जल्दी करनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० महाता :** मैं संशोधन संख्या २८,२९ और ३१ से ३४ तक के संशोधन रखना चाहता हूं।

†**श्री म० कु० मैत्र :** (कलकत्ता—उत्तर—पश्चिम) मैं संशोधन संख्या ४०,४१,४२, और ४३ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**श्री म० प्र० मिश्र :** मैं संशोधन संख्या १७ और १८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय :** मैं संशोधन संख्या ४५ और ४६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री विभूति मिश्र :** मैं संशोधन संख्या ११,१२,१३,१५, और २७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं संशोधन संख्या ३७,३८ और ३९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री चेतन मांझी** (मयूरमंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) **:** मैं संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**श्री क० कु० बसु :** वह इन खण्डों से संबंधित नहीं है। उसका खण्ड ५२ से संबंध है।

इसके पश्चात् निम्नलिखित सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री तुषार चटर्जी	१०,१४
श्री क० कु० बसु	२,३
श्री म० महाता	२८,२९,३३
श्री जयपाल सिंह	३८
श्री म० कु० मैत्र	४०,४१,४२,४३
श्री म० प्र० मिश्र	१७,१८
श्री श्यामनन्दन सहाय	४५
श्री विभूति मिश्र	११,१२,१३,२७
श्री जयपाल सिंह	३७,३९

†**श्री श्यामनन्दन सहाय :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ट ३ में पंक्ति ५ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :

"Provided further that the demarcation referred to in sub-clause (2) being 200 yards to the west of the Highway in Purnea district connecting Dhalkola, Kishanganj and Chopra with Silliguri in Darjeeling district and 200 yards to the south or south-east of the highway in Purnea district connecting Dhalkola and Karandighi with Raiganj in West Dinajpur district shall be so fixed as not to divide any existing village or town or bazar into two parts; and that the area of this 200 yards will be reduced to the extent required to avoid division of populated area."

[परन्तु यह और भी कि उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट सीमा रेखा जो पूर्णिया जिले के राजपथ जो ढालकोला, किशनगंज और चोपड़ा को दार्जिलिंग जिले के सिलिगुडी से मिलाता है के २०० गज पश्चिम में पूर्णिया ज़िले के राजपथ जो ढालकोला,कारण्डिघी को पश्चिमी दीनाजपुर ज़िले के रायगंज से मिलाता है, के दक्षिण अथवा दक्षिण-पूर्व में २०० गज तक इस प्रकार निर्धारित की जायगी जिससे कि कोई विद्यमान गांव अथवा नगर अथवा बाजार दो भागों में विभक्त न हो; और यह २०० गज का क्षेत्र उस सीमा तक कम किया जायगा जितना कि बसे हुए क्षेत्र के विभाजन न करने के लिये आवश्यक हो]

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय**: अब ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : मैने अपने संशोधन में यह प्रस्ताव रखा है कि किशनगंज क्षेत्र के अलावा मानभूम जिले का सारा पुरुलिया इलाका तथा अन्य क्षेत्र जो स्थापित किये जाने वाले सीमा आयोग द्वारा पश्चिमी बंगाल में मिलाने के लिये निर्धारित किया जाय हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए । मेरा संशोधन भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त पर आधारित है जिसकी मेरे बिहार के कुछ मित्रों तथा गृह-कार्य मंत्री ने आलोचना की है । किन्तु वास्तविकता यह है कि वास्तव में कांग्रेस के भी काफी सदस्यों ने भाषा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । अतः इस प्रश्न को उठाने के लिये केवल साम्यवादियों को बुरा भला कहना उचित नहीं है । इसी सभा में बहुत से कांग्रेसी सदस्यों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट किये थे कि राज्यों का पुनर्गठन करने का सबसे अधिक वैज्ञानिक आधार भाषा है । इस प्रकार भाषा को आधार बनाने का आरोप साम्यवादियों के मत्थे मढ़ा जा रहा है ।

जब हमारे बिहार के मित्र तथा अन्य लोग यह कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा को ही आधार मानकर सिफारिश नहीं की है तो मैं उन से यह प्रश्न पूछता हूं कि फिर इस बात पर क्यों जोर दिया जाता है कि एक विशेष भाषा-भाषी बहुमत हैं अथवा नहीं हैं ।

†**श्री म० प्र० मिश्र** : अनेक बातों में से एक यह बात भी है ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : हो सकता है कि ऐसा हो किन्तु राज्य पुनर्गठन के लिये यह दिखाने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जा रहा है कि एक भाषा विशेष, किसी स्थान विशेष के बहुमत की भाषा है; दूसरी भाषा नहीं है ।

अतः मेरा तो विचार यही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सभी व्यावहारिक कार्यों में भाषा का सिद्धान्त ही सम्मुख रखा था । इसी आधार पर अधिकांश निर्णय किये गये हैं, जिसे अनेक कांग्रेसी सदस्य स्वीकार करते हैं । अतः मूल बात की सर्वथा उपेक्षा करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है ? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारी मांग का आधार भाषा है क्योंकि राज्य पुनर्गठन कार्य तथा समायोजना करने का एकमात्र वैज्ञानिक आधार भाषा ही है । यही एक आधार ऐसा है जिसके द्वारा एक उचित प्रशासन व्यवस्था तथा गणतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है ।

अतः यह किसी राज्य का राज्य क्षेत्र मांगने का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न तो इस प्रकार उठाया जा रहा है कि मानो विभाजन का अभियोग चलाया जाने वाला है अथवा दो भाइयों में बटवारा हो रहा हो । यह प्रश्न वास्तव में इतना मामूली न होकर बड़ा गम्भीर है । मैं तो कहता हूं कि इसमें समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह एक नीति का राज्यों का पुनर्गठन करने तथा सम्पूर्ण देश को एक विशेष तरीके से बनाने का प्रश्न है । सीमा के पुनः बटवारे के प्रश्न को दो राज्यों के विवाद का प्रश्न क्यों समझा जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

अतः मै इस बात पर पुनः जोर देता हूं कि भाषा के आधार को स्वीकार करना चाहिये ।

मैं पूछता हूं कि क्या मानभूम जिले के पुरुलिया इलाके को केवल सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित कर दिया जाये ? नहीं, कभी नहीं । मेरा तो कहना है कि जन-गणना के आंकड़े गलत हैं । क्या यह सच हो सकता है कि पुरुलिया के ३।। लाख बंगला बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल लौट आये हैं ? अथवा क्या कभी भी सच हो सकता है कि ६ लांख हिन्दी भाषा-भाषी लोग बिहार के अन्य भागों से पुरुलिया में आ गये हैं ? वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । अतः इसका एकमात्र उत्तर यही है कि गणना में अवश्य गलती रही होगी । इस कारण जनगणना के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अतः अच्छा यह हो कि आंकड़ों पर विचार करते समय पुरुलिया जाकर देख लिया जाये कि स्थिति क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मैंने स्वयं झालदा में जाकर देखा है कि वहां के कुर्मियों की भाषा हिन्दी नहीं बंगला है। पुरुलिया के लोग वही भाषा बोलते है जो कि मिदनापुर या बांकुरा में बोली जाती है। अतः मेरा निजी अनुभव यह है कि वहां के लोग बंगला बोलते है, अतः उसे पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित न करने का कोई कारण नहीं है। वहां के न्यायालयों में बंगला चलती है और शिक्षा का माध्यम बंगला ही है।

हमने मांग यह की है कि चास थाने को भी पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग का विचार इस बारे में सही नहीं जान पड़ता। चांदिल और पाटद्मा थानों को इस कारण छोड़ दिया गया है कि वे टाटा को जल सम्भरण करते हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। यह क्षेत्र भी पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये।

यदि आप किशनगंज के एक भाग को पश्चिमी बंगाल में सम्पर्क बनाये रखने के कारण हस्तांतरित करना चाहते हैं तो उसी आधार पर मानभूम भी हमें क्यों नहीं दे देते ?

यह पहले ही कहा गया है कि पाकिस्तान राज्य क्षेत्र वहीं पर होने के कारण विशेष सजग रहने की आवश्यकता है जब कि दूसरी ओर केवल धनबाद से जमशेदपुर तक एक चक्करदार मार्ग का प्रश्न है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धनबाद से जमशेदपुर को कोयला स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह बड़ा बुरा हुआ है। यह कोयला मालगाड़ी के डिब्बों में जाता है, इसलिये धनबाद से जमशेदपुर को सड़क द्वारा मिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतः मैं समझता हूं कि मानभूम जिले के पुरुलिया इलाके की मेरी मांग बिलकुल उचित है। अन्य बातों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अन्य क्षेत्रों के बारे में निर्णय करने के संबंध में मैं कुछ और न कह कर इतना ही कहूंगा कि एक सीमा आयोग स्थापित किया जाना चाहिये जो इसकी भलि भांति जांच करें।

श्री म० प्र० मिश्र : मैं अपने दोनों संशोधन पेश करता हूं। मेरा एक संशोधन तो यह है कि किशनगंज का जो इलाका बिहार से पश्चिमी बंगाल को दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय सड़क है, जो राज पथ है और उसके पश्चिम में २०० गज की जो लिमिट रखी गई है उसको घटा कर २० गज कर दिया जाये। २० गज की बात मैंने इसलिये कही है कि शायद डाइवर्शन बनाने की जरूरत पड़े या कोई और जरूरत पड़ सकती है। यों तो सड़क के साथ साथ एक हिस्सा रहता है जिसमें, जिसे हमारे इलाके में खांता कहते हैं, खाई होती है, खंदक होती है। वह तो सड़क का ही हिस्सा होता है। वह तो हुआ लेकिन २०० गज लेने की क्या जरूरत है यह मेरी समझ में नहीं आया। सड़क के किनारे किनारे बिहार के गांव हैं और माननीय गृहमंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि उस इलाके के लोग बंगला नहीं बोलते। इस वास्ते भाषा के आधार पर भी उनको पश्चिम बंगाल में भेजने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल के पूर्वी हिस्सों का उत्तरी हिस्सों से मिलाने के लिए एक रास्ता चाहिए जो कि उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन २०० गज का इलाका क्यों छोड़ा जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इससे बहुत सारे गांव कट जायेंगे। कोई आधे कट जायेंगे और कोई एक-चौथाई कट जायेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उन गांवों के लोगों को बिहार में ही रहने दिया जाए और मैं समझता हूं कि यह बात बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनको बंगाल में मिलाया जाये। इस वास्ते उनको बंगाल में भेजने का कोई औचित्य नहीं है और इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उनको जबरदस्ती उधर न भेजा जाए।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि मानभूम के सदर सब-डिविज़न का पूरे का पूरा इलाका जो अब पश्चिमी बंगाल को दिया जा रहा है, उसे न दिया जाये और उसे बिहार में ही रहने दिया जाए। अभी हमारे दोस्त श्री ही० ना० मुकर्जी को अपनी आंतड़ियों पर यह बात कहने में कितना बल देना पड़ा है कि भाषा के सिवा प्रान्तों की रचना का कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता, यह आपने देख ही लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने भाषा को धर्म ही बना लिया है, भाषा का

[श्री म० प्र० मिश्र]

बड़ा महत्व है, इसको मैं मानता हूं। मानवीय तथा व्यवहार में भाषा का बहुत ऊंचा स्थान है, इससे भी मैं इनकार नहीं करता। लेकिन भाषा को ही एक मात्र आधार बनाना, इसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं। मैं आपको बताऊं कि आज ही स्टेट्समैन में मैंने एक समाचार पढ़ा है। कल भारत ने अपनी स्वाधीनता की नवीं सालगिरह मनाई। उस समाचार में कहा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कल १५ अगस्त को पहली बार भारत की स्वाधीनता के इस उत्सव में हिस्सा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि नौ बरस तक तो वे मानते ही नहीं थे कि भारत स्वाधीन भी हुआ है। इससे मैं यह सोचने लगा कि इस दल को, इस पार्टी को नौ महीने नहीं नौ साल जब इस बात को मानने में लगे कि भारत स्वाधीन हो गया है तो इसे यह बात मानने में भी नौ महीने ही नहीं नौ साल लगेंगे कि प्रान्तों की रचना म भाषा को ही एक मात्र आधार माना जा सकता है। भाषा भी एक स्थान रखती है, इसको हम मानते हैं और आयोग ने भी इसे स्वीकार किया है। लेकिन दूसरी बात हैं, जिन पर विचार कर लेना जरूरी है और भाषा उन में से एक है। भाषा बिलकुल ही कोई आधार नहीं है, यह कोई अंधा ही कहेगा। इस वक्त भी जितने प्रदेश भारतवर्ष में बने हुए हैं, उनमें से बहुत से भाषा के आधार पर ही बने हुए हैं। अगर आप भाषा को ही धर्म मानते हैं और भाषा के ही आधार पर सब कुछ करना चाहते हैं तो पुरुलिया को कतई भी बंगाल में नहीं जाना चाहिए। हमारे कम्युनिस्ट भाई तथा दूसरे भाई भी जो भाषा को ही आधार मानते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दार्जिलिंग के जिले को इसी आधार पर बंगाल में रहने का क्या हक है। पश्चिम बंगाल को क्या अधिकार है कि वह उसे अपने पास रखे ?

श्री क० कु० बसु : वह कहां जा सकता है ?

†**श्री म० प्र० मिश्र** : स्वाधीन सूबा बना दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग में या तो पहाड़ी नेपाली लोग रहते हैं, या बिहारी रहते हैं और यू० पी० वाले। बंगाली वहां पर सिर्फ मुट्ठीभर हैं। फिर भी दार्जिलिंग बंगाल का हिस्सा है। गर्मियों में वह बंगाल की राजधानी होता है। हमारे कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) भाईयों ने आज भाषा की इतनी दुहाई दी है, लेकिन उन में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि दार्जिलिंग को स्वाधीन कर दिया जाय या चूंकि उसमें ज्यादा नैपाली रहते हैं, इसलिए उस को नेपाल में मिला दिया जाय। वहां उन को भाषा की बात नहीं सूझती है।

अध्यक्ष महोदय, समय पूरा हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गरुवार, १६ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख ११०१

अध्यक्ष ने लोक-सभा के वर्त्तमान सदस्य श्री शिव दयाल उपाध्याय के निधन का उल्लेख किया।

उसके बाद सदस्य सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें अहमदाबाद नगर के पुलिस सुपरिटेंडेंट की ओर से एक तार मिला है जिसमें बताया गया है कि श्री कामत सदस्य लोक-सभा को १५ अगस्त, १९५६ को जानबूझकर करफ्यू आदेश भंग करने पर गिरफ्तार किया गया था।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा २० की उपधारा (३) के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड नियम, १९५६ की एक प्रति।

(२) भारत में पर्यटकों की अभिरुचि के स्थानों के बारे में पर्यटकों के लिये जानकारी।

नियम समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया . . ११०२

पांचवा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ११०२

अठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ११०३–०४

श्री विभूति मिश्र ने खाद्य और कृषि मंत्री का ध्यान बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की ओर दिलाया। कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक विचाराधीन ११०४–५२

गृह-कार्य मत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, खण्ड २ से ४ पर विचार आरम्भ हुआ। खण्ड २ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। खण्ड ३ और ४ पर विचार समाप्त नहीं हुआ।

शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि––

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में आगे खण्डवार विचार और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा।

भा. स. मु. ना.–विभाग ३–२१४–लोक-सभा ५६–११-११-५७–१९०